



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे (2019-20)



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2019-20

उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची

पृष्ठ सं०

विषय सूची	i
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	xv
अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	
01 विधान सभा	1
02 राज्यपाल	3
03 मंत्रिपरिषद्	5
04 न्याय प्रशासन	8
05 निर्वाचन	15
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	18
07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं	27
08 आबकारी	52
09 लोक सेवा आयोग	53
10 पुलिस एवं जेल	56
11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	67
12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	94
13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	106
14 सूचना	116
15 कल्याण योजनाएं	120
16 श्रम और रोजगार	135
17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान	142
18 सहकारिता	149
19 ग्राम्य विकास	152
20 सिंचाई एवं बाढ़	159
21 ऊर्जा	170
22 लोक निर्माण कार्य	174
23 उद्योग	181
24 परिवहन	190
25 खाद्य	196
26 पर्यटन	200
27 वन	204
28 पशुपालन संबंधी कार्य	213
29 औद्योगिक विकास	220
30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	226
31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	245

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2019-2020 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई	263
परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण	264
परिशिष्ट III	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग	266
परिशिष्ट IV	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग	267
परिशिष्ट V	उचंत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग	268

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2019-2020 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुये 31 मार्च 2020 को समाप्त हुये वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं ।

इस लेखे में-

'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है ।

'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है ।

'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है ।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय *तिरछांकित* किये गये हैं ।

टिप्पणियों पर चयन का मानक

बचत पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

- (अ) जब किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) कुल बचत बजट प्रावधान का 2 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख से अधिक हो, में जो भी अधिक हो ।
- (ब) जब किसी अनुदान के किसी उपशीर्ष में बचत उस उपशीर्ष में बजट प्रावधान का 10 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख, जो भी अधिक हो ।

आधिक्य पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

- (अ) किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) व्ययाधिक्य प्राप्त होने पर उसके नियमितीकरण हेतु टिप्पणी में लिया जाता है ।
- (ब) प्रत्येक उपशीर्ष जहाँ पर ₹ 2.00 लाख या उस उपशीर्ष के कुल बजट प्रावधान का 10 प्रति शत से अधिक व्ययाधिक्य प्राप्त होता है, में जो भी कम हो पर टिप्पणियाँ ।

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(₹ हजार में)				
01. विधान सभा				
दत्तमत	70,68,51	15,60,00	64,65,44	12,00,09
भारित	2,24,82	--	2,23,80	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	12,93,19	--	9,30,99	--
03. मंत्रिपरिषद्				
दत्तमत	46,51,90	60,00,00	36,70,68	42,07,90
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	2,20,28,61	55,40,00	1,61,64,54	26,41,31
भारित	47,25,64	--	36,44,96	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	1,51,98,97	11,00,00	1,19,72,30	11,00,00
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	11,21,42,36	4,10,25,01	8,30,37,99	1,97,90,25
भारित	2,82,50	--	2,09,51	--
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं				
दत्तमत	95,54,41,34	2,96,55,47	81,49,42,08	90,30,27
भारित	56,75,69,45	28,76,31,00	46,54,78,86	90,96,03,18
08. आबकारी				
दत्तमत	29,63,39	--	25,39,78	--
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09. लोक सेवा आयोग				
दत्तमत	16,19,24	2,00,00	14,39,14	2,00,00
भारित	27,64,02	1,00,00	19,15,18	--
10. पुलिस एवं जेल				
दत्तमत	19,70,56,34	53,72,65	18,20,88,34	36,06,51
भारित	--	--	--	--
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति				
दत्तमत	83,79,76,63	4,47,23,43	74,02,91,24	2,57,91,14
भारित	--	--	--	--
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण				
दत्तमत	23,02,24,31	1,88,21,65	17,82,43,01	97,59,50
भारित	--	--	--	--
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास				
दत्तमत	6,81,49,01	14,32,14,01	5,20,75,06	10,15,40,98
भारित	--	--	--	--
14. सूचना				
दत्तमत	76,04,13	63,17	55,99,57	1,76
भारित	--	--	--	--
15. कल्याण योजनाएं				
दत्तमत	18,59,21,41	1,09,36,07	14,44,05,00	70,14,21
भारित	--	--	--	--
16. श्रम और रोजगार				
दत्तमत	4,35,22,46	15,34,49	2,88,77,70	4,21,74
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. कृषि कर्म एवं अनुसंधान				
दत्तमत भारित	12,07,27,53	25,00,05	8,88,89,38	37,17,65
	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत भारित	87,06,32	1,00,00,01	50,94,25	99,97,99
	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत भारित	10,26,13,11	13,56,43,54	6,83,16,43	11,44,42,95
	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत भारित	5,77,71,57	6,39,99,05	4,23,94,43	3,34,27,95
	--	--	--	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत भारित	14,20,13	3,51,32,55	12,63,81	1,39,11,54
	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत भारित	8,93,28,10 7,46,00	12,29,00,01 --	6,66,67,78 4,69,00	8,48,83,24 --
23. उद्योग				
दत्तमत भारित	2,96,18,75 --	48,69,37 --	2,21,30,60 --	26,71,22 --
24. परिवहन				
दत्तमत भारित	1,22,36,09 --	1,73,50,02 --	1,02,80,67 --	30,47,35 --

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(₹ हजार में)			
25. खाद्य				
दत्तमत	2,25,58,98	28,50,02	48,52,17	10,11,08,03
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन				
दत्तमत	98,75,11	1,32,60,02	57,52,30	88,69,07
भारित	--	--	--	--
27. वन				
दत्तमत	10,30,27,35	90,59,96	6,31,28,38	36,76,14
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन संबंधी कार्य				
दत्तमत	3,44,01,62	37,62,69	2,93,72,10	13,22,73
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास				
दत्तमत	3,28,85,99	11,85,07	2,60,87,16	8,77,37
भारित	1,72,55	--	1,06,02	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
दत्तमत	12,09,53,24	3,26,65,51	8,29,57,32	2,38,00,03
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
दत्तमत	3,84,32,74	1,32,21,59	2,39,02,84	97,77,38
भारित	--	--	--	--
योग				
दत्तमत	3,47,61,25,24	77,81,45,41	2,81,29,01,49	60,18,36,30
भारित	57,77,78,17	28,77,31,00	47,29,78,32	90,96,03,18
कुल योग	4,05,39,03,41	1,06,58,76,41	3,28,58,79,81	1,51,14,39,48

का सारांश (क्रमशः)

कुल अनुदान / विनियोग की तुलना में व्यय

बचत		आधिक्य		बचत / आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	2019-20		2018-19	
(6)	(7)	(8)	(9)	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)				(10)	(11)	(12)	(13)
1,77,06,81	--	--	9,82,58,01 (9,82,58,01,230)	(-)78.49	(+)3447.63	(-)33.55	(+)7442.13
--	--	--	--	--	--	--	--
41,22,81	43,90,95	--	--	(-)41.75	(-)33.11	(-)19.42	(-)48.95
--	--	--	--	--	--	--	--
3,98,98,97	53,83,82	--	--	(-)38.73	(-)59.42	(-)17.33	(-)56.02
--	--	--	--	--	--	--	--
50,29,52	24,39,96	--	--	(-)14.62	(-)64.85	(-)8.03	(-)67.12
--	--	--	--	--	--	--	--
67,98,83	3,07,70	--	--	(-)20.67	(-)25.96	(-)14.51	(-)68.45
66,53	--	--	--	(-)38.56	--	(-)0.59	--
3,79,95,92	88,65,48	--	--	(-)31.41	(-)27.14	(-)26.74	(-)29.06
--	--	--	--	--	--	--	--
1,45,29,90	34,44,21	--	--	(-)37.81	(-)26.05	(-)33.55	(-)35.77
--	--	--	--	--	--	--	--
66,32,23,75	27,57,84,72	--	9,94,75,61	(-)19.08	(-)22.66	(-)13.73	(-)7.33
10,47,99,85	1,00,00	--	62,19,72,18	(-)18.14	(+)216.13	(-)13.98	(+)221.40
76,80,23,60	27,58,84,72		72,14,47,79	(-)18.95	(+)41.80	(-)13.76	(+)60.69

विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

पूँजीगत प्रभाग

- (i) 17- कृषि कर्म एवं अनुसंधान
- (ii) 25- खाद्य

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

पूँजीगत प्रभाग

- 07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 25,77,67 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2019-20 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हो पायी थी | इस व्यय के ब्यौरे **परिशिष्ट-I** में दिए गये हैं |

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 94,41,53 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई | अनुदानों जिससे यह सम्बंधित है, के अंतर्गत भी ₹ हजार में दर्शाए गये हैं |

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां (व्यौरेवार **परिशिष्ट-II** में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है | शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए गये हैं |

विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2019-20 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत है |

	भारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	47,29,78,32	90,96,03,18	2,81,29,01,49	60,18,36,30
घटाइए-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ	4,78,40,66
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	47,29,78,32	90,96,03,18	2,81,29,01,49	55,39,95,64

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है |

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।

उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले उत्तराखण्ड सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो सार्वजनिक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने तथा इन लेखों की सटीकता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दो अनुदानों और एक विनियोग के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्राधिकार पर ₹ 7,214.48 करोड़ का अधिक संवितरण था। वर्ष 2005-06 से 2018-19 की अवधि से सम्बंधित ₹ 35,659.13 करोड़ के अधिक संवितरण का नियमितीकरण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाना शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल के विधि द्वारा किए गए विनियोग के अलावा समेकित निधि से किसी राशि का संवितरण नहीं किया जाएगा। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त मुद्दे पर लेखा परीक्षा अवलोकन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विस्तृत रूप से वर्णित है।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

दिनांक: 22.03.2021

स्थान: नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुदान सं० 01 विधान सभा

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	---

राजस्व:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

दत्तमत-

मूल	63,56,01			
		70,68,51	64,65,44	(-)6,03,07
पूरक	7,12,50			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

भारित-

मूल	2,14,52			
		2,24,82	2,23,80	(-)1,02
पूरक	10,30			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	15,60,00			
		15,60,00	12,00,09	(-)3,59,91
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 6,03.07 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- ₹ 6,03.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 7,12.50 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	28,56.26	26,44.87	2,11.39
2015-16	31,45.81	28,64.91	2,80.90
2016-17	35,30.18	31,74.93	3,55.25
2017-18	43,64.73	43,18.90	45.83
2018-19	72,34.35	69,15.19	3,19.16

अनुदान सं० 01 विधान सभा समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

**राजस्व:
भारित-**

- (iv) ₹ 1.02 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (v) ₹ 1.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 10.30 लाख के विनियोग अधिक सिद्ध हुए |

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 3,59.91 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	1,13,10.00	93,13.22	19,96.78
2015-16	25,50.00	2,00.00	23,50.00
2016-17	20,20.00	10,27.29	9,92.71
2017-18	20,20.00	19,74.12	45.88
2018-19	31,50.00	31,45.00	5.00

- (viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

03 गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन विधान सभा भवन का निर्माण

मूल	15,00.00	15,00.00	11,40.34	(-)3,59.66
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)				

अनुदान सं० 02 राज्यपाल

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	--------------------	----------------------	---

राजस्व:

2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

भारित-

मूल	12,93,19			
		12,93,19	9,30,99	(-)3,62,20
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

भारित-

- (i) ₹ 3,62.20 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	7,40.85	6,22.05	1,18.80	
2015-16	8,26.06	6,95.12	1,30.94	
2016-17	12,24.91	7,43.68	4,81.23	
2017-18	10,40.07	8,21.64	2,18.43	
2018-19	12,52.95	9,37.41	3,15.54	

- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति / राज्यपाल / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

090 सचिवालय

- (1) 03 अधिष्ठान व्यय

मूल	7,72.02	7,72.02	5,28.69	(-)2,43.33
-----	---------	---------	---------	------------

अनुदान सं० 02 राज्यपाल समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(2)	101 राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक 03 राज्यपाल मूल	92.12	92.12	42.00	(-)50.12
(3)	103 पारिवारिक स्थापना 02 राजभवन की स्वच्छता मूल	27.20	27.20	17.57	(-)9.63
(4)	03 कर्मचारीवर्ग मूल	2,63.50	2,63.50	2,20.10	(-)43.40
(5)	105 चिकित्सा सुविधाएं 03 चिकित्सा संबन्धी व्यय मूल	60.35	60.35	46.32	(-)14.03

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(iv) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2012 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति / राज्यपाल / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

106 मनोरंजन खर्च

03 मनोरंजन/सम्मान सत्कार तथा आतिथ्य व्यय

मूल
 7.30 | | | || | | 10.50 | 10.49 | (-)0.01 |
| | पुनर्वि० | 3.20 | | |

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2020 को ₹ 3.20 लाख की वृद्धि आतिथ्य विषयक व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद्

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	---

राजस्व:

2013 मंत्रिपरिषद्

दत्तमत-

मूल	35,42,20			
		46,51,90	36,70,68	(-9,81,22
पूरक	11,09,70			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	45,00,00			
		60,00,00	42,07,90	(-17,92,10
पूरक	15,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 9,81.22 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 9,81.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 11,09.70 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	1,27,94.22	1,26,78.42	1,15.80
2015-16	1,57,65.67	1,16,66.47	40,99.20
2016-17	84,58.00	67,03.16	17,54.84
2017-18	64,29.99	52,31.05	11,98.94
2018-19	76,71.59	64,46.14	12,25.45

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
	2013 मंत्रिपरिषद्		
	00		
	101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन		
(1)	04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी		
	मूल	50.00	50.00
			24.80
			(-)25.20
	104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते		
(2)	03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च		
	मूल	2,50.00	2,50.00
			96.53
			(-)1,53.47
(3)	04 मुख्यमंत्री कार्यालय में सत्कार व्यय		
	मूल	1,75.00	1,75.00
			41.15
			(-)1,33.85
	105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान		
(4)	05 माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान		
	मूल	4,00.00	
			5,00.00
			2,36.27
			(-)2,63.73
	पूरक	1,00.00	
	108 दौरा खर्च		
(5)	03 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का यात्रा व्यय		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			89.42
			(-)10.58
	800 अन्य व्यय		
(6)	03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय		
	मूल	6,52.20	
			9,61.90
			7,36.34
			(-)2,25.56
	पूरक	3,09.70	

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (v) ₹ 17,92.10 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vi) ₹ 17,92.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 15,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	25,00.00	24,37.55	62.45	
2015-16	25,00.00	22,15.94	2,84.06	
2016-17	1,00,00.00	18,69.37	81,30.63	
2017-18	25,00.00	23,71.70	1,28.30	
2018-19	65,00.00	54,55.97	10,44.03	

- (viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

800 अन्य व्यय

02 माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान

मूल 45,00.00

60,00.00 42,07.90 (-)17,92.10

पूरक 15,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2014 न्याय प्रशासन

दत्तमत-

मूल	2,13,15,11			
		2,20,28,61	1,61,64,54	(-)58,64,07
पूरक	7,13,50			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				7,39,97

भारित-

मूल	45,19,00			
		47,25,64	36,44,96	(-)10,80,68
पूरक	2,06,64			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	52,10,00			
		55,40,00	26,41,31	(-)28,98,69
पूरक	3,30,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 58,64.07 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹7,39.97 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके ।
- (ii) ₹ 58,64.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 7,13.50 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	1,47,71.04	1,11,97.99	35,73.05
2015-16	1,36,99.62	1,07,32.38	29,67.24
2016-17	1,77,25.17	1,22,58.19	54,66.98
2017-18	1,63,72.26	1,44,34.60	19,37.66
2018-19	2,07,64.85	1,67,91.61	39,73.24

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

105 सिविल और सेशन न्यायालय

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 0.00

65.50 43.99 (-)21.51

पूरक 65.50

(2) 03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश

मूल 1,24,46.20

1,26,10.10 97,61.68 (-)28,48.42

पूरक 1,63.90

(3) 04 पारिवारिक न्यायालय

मूल 14,31.37

14,64.52 7,40.88 (-)7,23.64

पूरक 33.15

(4) 06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय

मूल 56.97

56.97 36.94 (-)20.03

108 दण्ड न्यायालय

(5) 03 नियमित अधिष्ठान

मूल 23,57.92

23,60.92 15,87.26 (-)7,73.66

पूरक 3.00

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
114 विधि सलाहकार और परामर्श परिषद			
(6) 03 महाधिवक्ता			
मूल	17,00.35		
		17,03.85	15,03.95
			(-1,99.90)
पूरक	3.50		
(7) 04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता			
मूल	11,57.75		
पूरक	82.00	12,39.25	10,18.04
पुनर्वि०	(-)0.50		(-)2,21.21
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 0.50 लाख के अभ्यर्पण यात्रा व्यय, फार्मों की छपाई एवं व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए ₹ 2,21.21 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)			
(8) 05 राज्य विधि आयोग			
मूल	24.20		
		93.35	38.27
			(-)55.08
पूरक	69.15		
800 अन्य व्यय			
(9) 05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
मूल	2,87.51		
पूरक	41.00	2,85.02	1,65.60
पुनर्वि०	(-)43.49		(-)1,19.42
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 43.49 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः यात्रा व्यय, स्थानांतरण यात्रा भत्ता एवं टेलीफोन पर व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
(10) 06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण			
मूल	6,15.60		
पूरक	2,00.00	4,11.05	4,52.62
पुनर्वि०	(-)4,04.55		(+)41.57
दिनांक 30 मार्च 2020 को ₹ 2,00.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 2,04.55 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन एवं महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए प्रावधान का अभ्यर्पण किया जाना तत्पश्चात् अंतिम आधिक्य को प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11) 09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी			
मूल	3,89.56		
		3,90.31	
पूरक	0.75	2,84.10	(-1,06.21)
(12) 10 लोक अदालत			
मूल	3,73.60		
		82.17	
पुनर्वि०	(-2,91.43)	80.03	(-2.14)
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 2,91.43 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (9) एवं (11), (12) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (10) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2014 न्याय प्रशासन

00

800 अन्य व्यय

(1) 08 अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण				
मूल	20.00			
		30.00	0.00	(-30.00)
पूरक	10.00			
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(2) 12 राज्य विधिक सहायता निधि				
मूल	10.00	10.00	0.00	(-10.00)
वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	--------------------	----------------------	--

**राजस्व:
भारित-**

- (vi) ₹ 10,80.68 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹ 10,80.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 2,06.64 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	32,27.91	24,69.00	7,58.91
2015-16	32,66.00	23,88.77	8,77.23
2016-17	52,21.50	24,09.71	28,11.79
2017-18	39,41.50	32,21.84	7,19.66
2018-19	53,76.42	35,67.28	18,09.14

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

102 उच्च न्यायालय

03 उच्च न्यायालय

मूल

45,19.00

47,25.64

36,44.96

(-)10,80.68

पूरक

2,06.64

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

पूजीगत:

दत्तमत-

- (x) ₹ 28,98.69 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (xi) ₹ 28,98.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 3,30.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	---

(xii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	34,50.01	14,96.14	19,53.87
2015-16	72,00.00	42,94.21	29,05.79
2016-17	48,00.02	9,33.50	38,66.52
2017-18	18,50.02	14,74.01	3,76.01
2018-19	45,10.00	40,45.78	4,64.22

(xiii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	40,00.00	40,00.00	17,31.00	(-)22,69.00
(2)	05 न्यायिक कार्यो हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास				
	मूल	12,00.00			
			15,00.00	9,10.31	(-)5,89.69
	पूरक	3,00.00			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1)	04 देहरादून में उच्च न्यायालय अतिथि गृह का निर्माण				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2) 06 महाधिवक्ता हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
मूल	0.00		
		30.00	0.00
पूरक	30.00		(-)30.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 05 निर्वाचन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2015 निर्वाचन

दत्तमत-

मूल	1,18,92,62		
		1,51,98,97	1,19,72,30
			(-)32,26,67
पूरक	33,06,35		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 10,75 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	10,00,00		
		11,00,00	11,00,00
			0.00
पूरक	1,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 32,26.67 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 32,26.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 33,06.35 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	49,88.76	47,91.09	1,97.67	
2015-16	24,01.39	22,96.90	1,04.49	
2016-17	65,86.80	56,76.14	9,10.66	
2017-18	44,34.78	41,13.04	3,21.74	
2018-19	46,88.29	35,92.92	10,95.37	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2015 निर्वाचन

00

103 निर्वाचक नियामावली तैयार करना और मुद्रण

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 12,00.00

11,00.00 10,57.88 (-)42.12

पुनर्वि० (-)1,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को ₹ 1,00.00 लाख की कमी कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

(2) 03 विधान सभा एवं संसद (50 प्रतिशत के0पो0)

मूल 83.40

58.44 51.96 (-)6.48

पुनर्वि० (-)24.96

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को ₹ 24.96 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः कार्यालय व्यय तथा मानदेय में हुई बचत के कारण किये गए |

(3) 05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50 प्रतिशत के0पो0)

मूल 13,55.51

पूरक 24.77

13,54.81 10,66.20 (-)2,88.61

पुनर्वि० (-)25.47

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को ₹ 25.47 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः मानदेय, विद्युत देय तथा टेलीफोन पर व्यय में हुई बचत के कारण किये गए |

अनुदान सं० 05 निर्वाचन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
105 संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार			
(4) 03 सामान्य निर्वाचन			
मूल	64,65.00		
पूरक	11,19.00	77,34.43	67,48.76
पुनर्वि०	1,50.43		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को ₹ 1,50.43 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डल के चुनाव करने के लिए प्रभार			
(5) 03 सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा			
मूल	0.10		
पूरक	38.68	38.78	26.48
			(-)12.30
(6) 05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा			
मूल	0.09		
पूरक	1,60.00	1,60.09	1,00.70
			(-)59.39
109 पंचायत चुनाव कराने हेतु खर्च			
(7) 03 राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय			
मूल	24,87.66		
पूरक	19,50.20	44,37.86	26,13.69
			(-)18,24.17

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2029	भू - राजस्व
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ
2053	जिला प्रशासन
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
2245	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत
2506	भूमि सुधार

दत्तमत-

मूल	11,05,79,34			
		11,21,42,36	8,30,37,99	(-)2,91,04,37
पूरक	15,63,02			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

भारित-

मूल	2,82,50			
		2,82,50	2,09,51	(-)72,99
पूरक	...			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 18,20 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	4,10,25,01			
		4,10,25,01	1,97,90,25	(-)2,12,34,76
पूरक	...			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,91,04.37 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

- (ii) ₹ 2,91,04.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 15,63.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	20,66,38.12	10,28,68.00	10,37,70.12	
2015-16	23,64,88.40	16,95,02.56	6,69,85.84	
2016-17	28,66,81.41	15,81,83.13	12,84,98.28	
2017-18	17,52,66.79	9,29,37.44	8,23,29.35	
2018-19	12,34,40.67	8,61,86.63	3,72,54.04	

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2029 भू - राजस्व

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|-------------|
| (1) | 03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय | | | | |
| | मूल | 5,19.62 | | | |
| | पूरक | 0.50 | 5,20.12 | 4,32.63 | (-)87.49 |
| (2) | 05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण | | | | |
| | मूल | 40.02 | 40.02 | 5.66 | (-)34.36 |
| (3) | 06 भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण | | | | |
| | मूल | 1,16.86 | | | |
| | पूरक | 1.00 | 1,17.86 | 61.91 | (-)55.95 |
| (4) | 103 भू-अभिलेख | | | | |
| | 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना | | | | |
| | मूल | 2,24.51 | 2,24.51 | 1,99.63 | (-)24.88 |
| (5) | 03 जिला अधिष्ठान | | | | |
| | मूल | 1,53,70.68 | | | |
| | पूरक | 30.00 | 1,54,00.68 | 1,29,29.98 | (-)24,70.70 |

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(6)	07 राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केंद्र मूल 1,35.97	2,45.97	1,93.06	(-)52.91
	पूरक 1,10.00			
2053 जिला प्रशासन				
00				
093 जिला स्थापनाएं				
(7)	03 कलक्टरी स्थापना मूल 1,57,42.02	1,58,02.02	1,27,59.61	(-)30,42.41
	पूरक 60.00			
(8)	05 जिला चमोली के तहसील गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में विधानसभा सत्र के दौरान व्यवस्था के सम्बन्ध में मूल 1,50.00	1,50.00	64.87	(-)85.13
101 आयुक्त				
(9)	03 मुख्य कार्यालय मूल 4,72.08	4,78.58	4,30.21	(-)48.37
	पूरक 6.50			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ				
00				
003 प्रशिक्षण				
(10)	03 राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल मूल 9,03.95	9,03.95	6,34.65	(-)2,69.30
104 सतर्कता				
(11)	04 सतर्कता अधिष्ठान मूल 11,48.66	11,55.66	9,94.92	(-)1,60.74
	पूरक 7.00			

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	06 सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूल एवं जनसेवा विभाग मूल 18.00	18.00	4.70 (-)13.30
(13)	07 सेवा का अधिकार आयोग मूल 2,34.62	2,34.62	1,65.35 (-)69.27
(14)	106 सिविल रक्षा 03 स्थापना (25 प्रतिशत के0 पो0) मूल 94.24	95.74	77.72 (-)18.02
	पूरक 1.50		
(15)	107 होमगार्डस 05 लोक सभा निर्वाचन मूल 4,23.00	3,78.50	3,32.64 (-)45.86
	पुनर्वि० (-)44.50		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2020 को ₹ 1.50 लाख तथा दिनांक 04 मार्च 2020 को ₹ 43.00 लाख की कमी कार्यालय व्यय तथा सामग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण किये गए ।		
(16)	10 होमगार्ड बीमा हेतु प्रीमियम अदायगी मूल 50.00	50.00	30.64 (-)19.36
(17)	800 अन्य व्यय 13 सूचना आयोग की स्थापना मूल 3,79.50	3,79.50	3,31.10 (-)48.40
(18)	2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत 05 राज्य आपदा मोचन निधि 101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0 02 आपदा रहत निधि से व्यय मूल 3,20,00.00	3,20,00.00	1,75,97.04 (-)1,44,02.96

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>80 सामान्य</i>			
(19)	102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध 02 आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		
	मूल	20,79.00	20,79.00
			13,29.61
			(-7,49.39)
(20)	06 आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र		
	मूल	4,25.00	4,25.00
			2,38.79
			(-1,86.21)
(21)	07 जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण		
	मूल	5,58.37	
	पूरक	1,70.37	5,04.82
	पुनर्वि०	(-2,23.92)	89.49
			(-4,15.33)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2019 को ₹ 80.00 लाख तथा दिनांक 15 फरवरी 2020 को ₹ 1,43.92 लाख की कमी वेतन तथा प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।		
(22)	11 आपदा न्यूनीकरण निधि		
	मूल	13,00.00	13,00.00
			11,28.37
			(-1,71.63)
(23)	बाह्य सहायतित योजनाएं (एस0 डी0 एम0 ए0)		
	मूल	14,00.00	14,00.00
			9,00.00
			(-5,00.00)
<i>800 अन्य व्यय</i>			
(24)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	1,65,10.01	1,65,10.01
			43,30.99
			(-1,21,79.02)
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) ।		
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
<i>00</i>			
(1)	105 विशेष जांच आयोग 03 राज्य आयोग और समितियां		
	मूल	7.22	7.22
			0.00
			(-7.22)
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

800 अन्य व्यय

(2)	16 सेना भर्ती रैली एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन			
	मूल	6.00	6.00	0.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)6.00

2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

80 सामान्य

102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध

(3)	09 भूकंप व अन्य आपदा से सुरक्षा हेतु सरकारी कार्यालयों को रेट्रोफिटिंग			
	मूल	7,00.00	7,00.00	0.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)7,00.00

(4)	10 राज्य राहत निधि			
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2029 भू - राजस्व

00

101 संग्रहण प्रभार

(1)	03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार			
	मूल	59,93.87		
			66,63.87	68,06.61
	पूरक	6,70.00		(+)1,42.74

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

00

107 होमगार्ड्स

(2) 04 भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किए जाने वाला व्यय

मूल 8,33.53

पूरक 84.15 9,60.68 9,43.51 (-)17.17

पुनर्वि० 43.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 को ₹ 43.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किये गए।

2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

05 राज्य आपदा मोचन निधि

901 घटाइयें एस0डी0आर0एफ0 से पूरी की गयी धनराशि

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल (-)2,50,00.00 (-)2,50,00.00 (-)1,70,97.04 (+)79,02.96

₹ 1,70,97.04 लाख राज्य आपदा मोचन निधि से राहत सहायता पर व्यय के लिए प्राप्त हुए, जो कि प्रारम्भ में लेखा शीर्ष-2245 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित हुई थी।

80 सामान्य

102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध

(4) 05 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन

मूल 1,91.00

पूरक 11.50 4,26.42 3,10.85 (-)1,15.57

पुनर्वि० 2,23.92

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2019 को ₹ 80.00 लाख तथा दिनांक 15 जनवरी 2020 को ₹ 1,43.92 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किये गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (2) एवं (4) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	--------------------	----------------------	--

**राजस्व:
भारित-**

- (vii) ₹ 72.99 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	2,51.39	1,45.13	1,06.26
2015-16	2,02.48	1,33.52	68.96
2016-17	2,59.37	1,76.89	82.48
2017-18	2,39.23	1,88.29	50.94
2018-19	2,19.31	2,13.46	5.85

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

00

104 सतर्कता

05 लोक आयुक्त संगठन

मूल	2,82.50	2,82.50	2,09.51	(-)72.99
-----	---------	---------	---------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (x) ₹ 2,12,34.76 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (xi) ₹ 11,00.00 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II) |
- (xii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	8,90.01	4,04.53	4,85.48
2015-16	13,30.02	8,87.53	4,42.49
2016-17	81,70.02	7,09.20	74,60.82
2017-18	7,28,90.06	5,82,75.23	1,46,14.83
2018-19	4,42,75.03	1,70,23.97	2,72,51.06

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(xiii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1)	03 तहसील हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	9,00.00	9,00.00	4,70.97	(-)4,29.03
(2)	15 जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रत परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण मूल	26,00.00	26,00.00	11,44.28	(-)14,55.72
(3)	97 बाह्य सहायतित योजनाएँ मूल	3,63,00.00	3,63,00.00	1,80,00.00	(-)1,83,00.00

₹ 11,00.00 लाख की वसूली उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1)	07 कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
(2)	09 पटवारी / कानूनगों चौकियों का निर्माण मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 प्राकृतिक आपदा

(3)	02 वरुणावत पर्वत के अंतर्गत तम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य मूल	8,00.00	8,00.00	0.00	(-)8,00.00
-----	---	---------	---------	------	------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2030	स्टाम्प पंजीकरण		
2040	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर		
2043	राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार		
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3435	पारिस्थितिकी और पर्यावरण		
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन		

दत्तमत-

मूल	92,04,14,60		
		95,54,41,34	81,49,42,08 (-)14,04,99,26
पूरक	3,50,26,74		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

भारित-

मूल	56,75,69,45		
		56,75,69,45	46,54,78,86 (-)10,20,90,59
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 1,29,74 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	--	------------------------	------------------	--

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
6004	केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम			
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
7615	विविध उधार			

दत्तमत-

मूल	2,66,96,48			
		2,96,55,47	90,30,27	(-)2,06,25,20
पूरक	29,58,99			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

भारित-

मूल	28,76,31,00			
		28,76,31,00	90,96,03,18	(+)62,19,72,18
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 14,04,99.26 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 14,04,99.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 3,50,26.74 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	46,26,07.44	41,45,80.04	4,80,27.40
2015-16	52,70,37.29	44,84,23.95	7,86,13.34
2016-17	59,38,55.86	49,18,02.89	10,20,52.97
2017-18	76,29,63.29	74,03,48.58	2,26,14.71
2018-19	84,39,99.02	77,42,29.83	6,97,69.19

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
	2030 स्टाम्प पंजीकरण		
	01 स्टाम्प न्यायिक		
(1)	101 स्टाम्पों की लागत		
	03 न्यायिक स्टाम्प		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			7.51
			(-),92.49
(2)	102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय		
	03 न्यायिक स्टाम्प		
	मूल	80.00	80.00
			41.68
			(-),38.32
	02 स्टाम्प न्यायिकेतर		
(3)	102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय		
	03 गैर अदालती स्टाम्प		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			2,49.69
			(-),2,50.31
	2040 बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर		
	00		
(4)	001 निदेशन तथा प्रशासन		
	04 वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान		
	मूल	1,62.50	1,62.50
			1,21.26
			(-),41.24
(5)	800 अन्य व्यय		
	05 वैट के अन्तर्गत वापसी		
	मूल	25,00.00	25,00.00
			7,21.40
			(-),17,78.60
	2043 राज्य माल और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार		
	00		
(6)	001 निदेशन तथा प्रशासन		
	03 अधिष्ठान		
	मूल	11,52.72	
			11,63.95
			8,01.88
			(-),3,62.07
	पूरक	11.23	

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना मूल 80.00	80.00	37.49 (-)42.51
(8)	101 संग्रहण प्रभार 03 वाणिज्य कर अधिष्ठान मूल 86,33.52	87,28.52	76,40.43 (-)10,88.09
	पूरक 95.00		
(9)	800 अन्य व्यय 02 राज्य का जी० एस० टी० एन० में अंश मूल 3,00.00	3,00.00	1,81.85 (-)1,18.15
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
(10)	00 103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क 03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय मूल 2,21.86	2,21.86	1,89.16 (-)32.70
2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं			
(11)	00 103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि 03 राज्य अल्प बचत संगठन मूल 5,95.81	5,98.81	3,87.81 (-)2,11.00
	पूरक 3.00		
(12)	800 अन्य व्यय 03 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल 1,51.85	1,55.85	1,12.59 (-)43.26
	पूरक 4.00		

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ			
00			
090 सचिवालय			
(13)	03 सचिवालय अधिष्ठान		
	मूल	1,64,80.50	
		1,70,37.50	1,41,04.30 (-)29,33.20
	पूरक	5,57.00	
(14)	05 रेजिडेंट कमिश्नर, नई दिल्ली का अधिष्ठान		
	मूल	1,48.52	1,48.52 89.99 (-)58.53
(15)	06 पुनर्गठन आयुक्त-लखनऊ		
	मूल	14.69	14.69 0.63 (-)14.06
(16)	08 राष्ट्रीय उत्सव एवं राजकीय भोज पर व्यय		
	मूल	35.00	35.00 11.20 (-)23.80
(17)	11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान		
	मूल	43.06	43.06 7.03 (-)36.03
(18)	12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान		
	मूल	87.05	87.05 65.04 (-)22.01
(19)	18 मुख्यमंत्री कार्यालय		
	मूल	1,59.99	1,59.99 20.36 (-)1,39.63
091 संलग्न कार्यालय			
(20)	03 राज्य सम्पत्ति विभाग		
	मूल	68,31.36	
		73,84.23	60,05.29 (-)13,78.94
	पूरक	5,52.87	
(21)	04 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय		
	मूल	1,74.11	1,74.11 96.65 (-)77.46

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(22)	05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक मुश्त व्यवस्था मूल 66.79 पूरक 0.50	67.29	44.33 (-)22.96
(23)	07 कार्यालय निरीक्षणालय मूल 86.29	86.29	59.77 (-)26.52
(24)	09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना मूल 78.75	78.75	41.47 (-)37.28
(25)	10 वित्त आयोग निदेशालय मूल 1,24.21 पूरक 14.50	1,38.71	83.39 (-)55.32
(26)	12 वित्त आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना मूल 70.04	70.04	57.38 (-)12.66
(27)	15 वेतन आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना मूल 93.45	93.45	78.66 (-)14.79
(28)	092 अन्य कार्यालय 02 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान मूल 2,00.00	2,00.00	23.66 (-)1,76.34
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन			
00			
003 प्रशिक्षण			
(29)	03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मूल 3,00.00	3,00.00	2,00.00 (-)1,00.00
095 लेखा तथा खजाना निदेशालय			
(30)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 47.14 पूरक 3.00	50.14	23.02 (-)27.12

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(31)	03 कोषागार एवं वित्त सेवार्ये अधिष्ठान मूल 7,19.45 पूरक 1.00	7,20.45	5,03.32 (-)2,17.13
(32)	05 विभागीय लेखा अधिष्ठान मूल 2,46.65	2,46.65	1,29.68 (-)1,16.97
(33)	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा 05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन मूल 2,73.34	2,73.34	2,30.61 (-)42.73
(34)	06 आडिट निदेशालय मूल 11,58.22	11,58.22	8,83.30 (-)2,74.92
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
<i>01 सिविल</i>			
(35)	101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते 03 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते मूल 16,05,00.01	16,05,00.01	13,60,15.39 (-)2,44,84.62
(36)	102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य 04 पूर्ववर्ती यू0 पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल 50,00.00	50,00.00	42,52.21 (-)7,47.79
(37)	104 उपादान 06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर मूल 50,00.00	50,00.00	4.70 (-)49,95.30
(38)	105 परिवार पेंशन 07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक मूल 27.00	27.00	7.29 (-)19.71
(39)	109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन 05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को पेंशन मूल 1,85,00.01	1,85,00.01	1,15,41.34 (-)69,58.67

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(40)	06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ मूल 7,25,00.01	7,25,00.01	3,75,26.80 (-)3,49,73.21
(41)	111 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य 03 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य मूल 15,00.00	15,00.00	7,59.23 (-)7,40.77
(42)	115 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ 03 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ मूल 3,12,80.00	3,12,80.00	2,69,04.20 (-)43,75.80
(43)	200 अन्य पेंशन 06 नई पेंशन योजना हेतु सी० आर० ए० को भुगतान मूल 3,00.00	3,00.00	1,26.00 (-)1,74.00
3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
00			
092 अन्य कार्यालय			
(44)	03 नियोजन अधिष्ठान मूल 4,42.23	4,42.23	2,94.93 (-)1,47.30
(45)	04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन मूल 2,00.00	2,00.00	81.29 (-)1,18.71
(46)	08 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण योजना मूल 1,00.00	3,33.80	1,00.00 (-)2,33.80
	पूरक 2,33.80		
(47)	99 पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का गठन मूल 2,00.00	2,00.00	30.00 (-)1,70.00
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
001 निर्देशन एवं प्रशासन			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(48)	03 अर्थ एवं सांख्यिकी अधिष्ठान मूल 23,22.61	23,22.18	17,39.88 (-)5,82.30
	पुनर्वि० (-)0.43 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2020 को ₹ 0.43 लाख की कमी स्थानांतरण यात्रा भत्ता में हुई बचत के कारण किये गए ।		
(49)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन का अधिष्ठान मूल 1,12.28	1,12.28	94.53 (-)17.75
	800 अन्य व्यय		
(50)	03 एनआईसी स्टेट यूनिट को अनुदान मूल 10.00	10.00	4.15 (-)5.85
	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन		
	01 नगरीय स्थानीय निकाय		
	191 नगर निगमों को सहायता		
(51)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 99,85.20	1,47,61.30	96,02.07 (-)51,59.23
	पूरक 47,76.10		
(52)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समानुदेशन मूल 3,08,15.00	3,08,15.00	2,65,31.69 (-)42,83.31
	192 नगर पालिका/नगर पंचायत		
(53)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,12,33.35	1,66,04.84	93,10.70 (-)72,94.14
	पूरक 53,71.49		
(54)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समानुदेशन मूल 3,46,68.00	3,46,68.00	2,65,43.72 (-)81,24.28

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(55)	193 नगर पंचायत / चिन्हित क्षेत्र / समिति आदि 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 37,44.45 पूरक 17,91.16	55,35.61	26,40.07 (-)28,95.54
(56)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समानुदेशन मूल 1,15,56.00	1,15,56.00	64,21.99 (-)51,34.01
(57)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल 1,37,00.00	1,37,00.00	4,12.36 (-)1,32,87.64
(58)	02 पंचायती राज संस्थायें 196 जिला पंचायतें / परिषद 03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समानुदेशन मूल 2,20,61.00 पूरक 14,64.00	2,35,25.00	1,70,59.37 (-)64,65.63
(59)	197 विकास खण्ड स्तरीय पंचायत 03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समानुदेशन मूल 94,55.00 पूरक 6,27.00	1,00,82.00	86,38.00 (-)14,44.00
(60)	198 ग्राम पंचायतें 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 5,70,44.00 पूरक 69,03.00	6,39,47.00	5,29,89.00 (-)1,09,58.00
(61)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समानुदेशन मूल 1,26,06.00 पूरक 8,37.00	1,34,43.00	1,15,18.00 (-)19,25.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

02 स्टाम्प न्यायिकेतर

101 स्टाम्पों की लागत

(1) 03 गैर अदालती स्टाम्प

मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-1,50.00)
-----	---------	---------	------	------------

03 पंजीकरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2) 05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति

मूल	50.00	50.00	0.00	(-50.00)
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

2049 ब्याज अदायगियां

60 अन्य दायित्वों पर ब्याज

701 विविध

(3) 08 कैम्पा निधि के ब्याज का अंतरण

मूल	10,00.00			
		94,00.00	0.00	(-94,00.00)

पूरक	84,00.00			
------	----------	--	--	--

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ

00

090 सचिवालय

(4) 13 सभा सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय

मूल	37.00	37.00	0.00	(-37.00)
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन

00

003 प्रशिक्षण

(5) 97 यू0 एस0 ए0 आई0 डी0 द्वारा पोषित परियोजना

मूल	60,00.00	60,00.00	0.00	(-60,00.00)
-----	----------	----------	------	-------------

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
095 लेखा तथा खजाना निदेशालय			
(6) 06 पी० एफ० एम० एस०/डी० बी० टी० के संचालनार्थ			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
<i>01 सिविल</i>			
101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
(7) 06 अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर			
मूल	17,00.00	17,00.00	0.00 (-)17,00.00
वर्ष 2011-12 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य			
(8) 06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर			
मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
105 परिवार पेंशन			
(9) 06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में पेंशन सम्बन्धी			
(10) 03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान			
मूल	50.01	50.01	0.00 (-)50.01
800 अन्य व्यय			
(11) 08 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार सहायता			
मूल	80.00	80.00	0.00 (-)80.00
(12) 09 राज्य न्यायिक / उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता			
मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00

3435 परिस्थितिकी और पर्यावरण

03 पर्यावरण अनुसन्धान और परिस्थितिक उत्थान

102 पर्यावरण नियोजन और समन्वय

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	02 पर्यावरण निदेशालय मूल	0.00	
		60.00	0.00
	पूरक	60.00	(-)60.00
3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
00			
092 अन्य कार्यालय			
(14)	07 परियोजना विकास निधि का गठन मूल	50.00	50.00
		0.00	(-)50.00
	वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
01 जनगणना			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(15)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,00.00	
		5,00.00	0.00
	पूरक	4,00.00	(-)5,00.00
02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
800 अन्य व्यय			
(16)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	13.00	
		13.43	0.00
	पुनर्वि०	0.43	(-)13.43
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2020 को ₹ 0.43 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात सम्पूर्ण प्रावधान का अप्रयुक्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है ।		
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(17)	05 जी0 आई0 एस0 प्रकोष्ठ एवं जिओ पोर्टल की स्थापना मूल	0.00	
		16.14	0.00
	पूरक	16.14	(-)16.14

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन

02 पंचायती राज संस्थायें

196 जिला पंचायतें/परिषदें

(18)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान			
	मूल	14,11.00	14,11.00	0.00 (-)14,11.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

01 सिविल

101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते

(1)	04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड			
	मूल	1,75,00.01	1,75,00.01	1,90,96.10 (+)15,96.09

(2)	07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक			
	मूल	65.00	65.00	71.56 (+)6.56

104 उपादान

(3)	03 उपादान			
	मूल	5,40,21.00	5,40,21.00	6,12,26.54 (+)72,05.54

(4)	04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड			
	मूल	36,00.00	36,00.00	42,45.59 (+)6,45.59

105 परिवार पेंशन

(5)	03 परिवार पेंशन			
	मूल	8,00,00.00	8,00,00.00	9,72,05.09 (+)1,72,05.09

(6)	04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड			
	मूल	50,00.00	50,00.00	65,02.24 (+)15,02.24

109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन

(7)	03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं			
	मूल	1,70,00.01	1,70,00.01	2,85,24.66 (+)1,15,24.65

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	---------------------	---------------	-----------------------------------

200 अन्य पेंशन			
(8) 03 सेवा के दौरान अन्धे या विकलांग हो जाने वाले अस्थाई सरकारी कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया पेंशन मूल	0.02	0.02	0.12 (+)0.10

800 अन्य व्यय			
(9) 04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखंड) मूल	24,00.80	24,00.80	64,57.10 (+)40,56.30

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

102 सामुदायिक विकास			
(10) 91 जिला योजना मूल	4,72,83.79	4,72,83.79	4,72,94.74 (+)10.95

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

**राजस्व:
भारित-**

- (vii) ₹ 10,20,90.59 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2014-15	30,65,07.77	24,07,63.57	6,57,44.20
2015-16	34,37,13.94	30,22,37.62	4,14,76.32
2016-17	40,10,55.80	37,83,87.27	2,26,68.53
2017-18	46,34,32.80	39,88,18.25	6,46,14.55
2018-19	51,74,62.33	44,75,32.44	6,99,29.89

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन

00

797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को /से अन्तरण			
(1) 03 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	1,50,00.00 (-)1,50,00.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2049 ब्याज अदायगियां			
<i>01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज</i>			
101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
(2)	20 राज्य विकास ऋण, जो 2009-10 में प्राप्त हुआ		
	मूल	46,71.00	46,71.00
			31,12.50 (-)15,58.50
(3)	23 राज्य विकास ऋण, जो 2012-13 में प्राप्त हुआ		
	मूल	1,54,42.00	1,54,42.00
			1,06,13.00 (-)48,29.00
(4)	29 राज्य विकास ऋण, जो 2018-19 में प्राप्त हुआ		
	मूल	6,26,02.00	6,26,02.00
			4,43,74.82 (-)1,82,27.18
115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज			
(5)	01 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज		
	मूल	40,00.00	40,00.00
			5,17.80 (-)34,82.20
123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज			
(6)	03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज		
	मूल	10,00,00.00	10,00,00.00
			8,03,31.30 (-)1,96,68.70
200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
(7)	07 नाबाई से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज		
	मूल	3,70,00.00	3,70,00.00
			2,18,63.06 (-)1,51,36.94
<i>03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज</i>			
104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
(8)	04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज		
	मूल	4,50.00	4,50.00
			2,84.48 (-)1,65.52
<i>60 अन्य दायित्वों पर ब्याज</i>			
101 जमाओं पर ब्याज			
(9)	03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी0एल0ए0 में) अवशेष		
	मूल	1,75,00.00	1,75,00.00
			61,36.39 (-)1,13,63.61

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

701 विविध			
(10) 03 मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज मूल	35.00	35.00	6.63 (-)28.37

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ

00

092 अन्य कार्यालय

(11) 03 मा० न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से सम्बंधित धनराशि मूल	3,50.00	3,50.00	76.50 (-)2,73.50
---	---------	---------	------------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन

00

797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण

(1) 04 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण मूल	50,00.00	50,00.00	0.00 (-)50,00.00
वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

2049 ब्याज अदायगियां

01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

101 बाजार कर्जों पर ब्याज

(2) 30 वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त बाजार ऋण मूल	2,50,00.00	2,50,00.00	0.00 (-)2,50,00.00
--	------------	------------	--------------------

200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

(3) 11 उ०प्र० राज्य बि०प० के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त ऋण दायित्वों पर ब्याज (पावर बांड) मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

(4) 12 आर०ई०सी० से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	7,00.00	7,00.00	0.00 (-)7,00.00
--	---------	---------	-----------------

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज

104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज

(5) 05 अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज

मूल	3,30.00	3,30.00	0.00	(-)3,30.00
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2007-08 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

(6) 06 अंशदायी भविष्य पेंशन निधि पर ब्याज

मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2004-05 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

108 बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज

(7) 03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज

मूल	3,30.00	3,30.00	0.00	(-)3,30.00
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2011-12 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

60 अन्य दायित्वों पर ब्याज

701 विविध

(8) 06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज

मूल	22.00	22.00	0.00	(-)22.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

(9) 07 राज्य आपदा मोचन निधि पर ब्याज

मूल	25,00.00	25,00.00	0.00	(-)25,00.00
-----	----------	----------	------	-------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2049 ब्याज अदायगियां

01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

101 बाजार कर्जों पर ब्याज

(1) 22 राज्य विकास ऋण, जो 2011-12 में प्राप्त हुआ

मूल	1,21,58.00	1,21,58.00	1,64,81.00	(+)43,23.00
-----	------------	------------	------------	-------------

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	25 राज्य विकास ऋण, जो 2014-15 में प्राप्त हुआ मूल 1,95,61.00	1,95,61.00	1,99,82.14 (+)4,21.14
(3)	26 राज्य विकास ऋण, जो 2015-16 में प्राप्त हुआ मूल 3,24,54.00	3,24,54.00	3,28,11.85 (+)3,57.85
(4)	27 राज्य विकास ऋण, जो 2016-17 में प्राप्त हुआ मूल 4,07,95.90	4,07,95.90	4,45,42.30 (+)37,46.40
(5)	28 राज्य विकास ऋण, जो 2017-18 में प्राप्त हुआ मूल 5,14,89.40	5,14,89.40	6,10,91.19 (+)96,01.79
	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज		
(6)	03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल 4,00.00	4,00.00	11,89.67 (+)7,89.67
	305 ऋण प्रबन्ध		
(7)	03 ऋण प्रबन्धन पर व्यय मूल 6,00.00	6,00.00	7,06.28 (+)1,06.28
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज		
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज		
(8)	03 भविष्य निधि मूल 6,43,30.00	6,43,30.00	6,65,24.36 (+)21,94.36
	04 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज		
	101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज		
(9)	03 30प्र0 पुर्नगठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के ऋणों तथा उसके बाद के ऋण पर समानुपातिक ब्याज मूल 61,00.00	61,00.00	66,87.10 (+)5,87.10

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

पूँजीगत:
दत्तमत-

- (xii) ₹ 2,06,25.20 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (xiii) ₹ 2,06,25.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 29,58.99 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (xiv) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	3,11,26.07	2,88,16.97	23,09.10
2015-16	67,65.10	52,34.06	15,31.04
2016-17	3,94,13.49	83,60.20	3,10,53.29
2017-18	4,51,99.70	1,89,58.43	2,62,41.27
2018-19	3,28,12.73	1,67,78.70	1,60,34.03

- (xv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 कार्यालय भवन

051 निर्माण

- (1) 02 कोषागार/उपकोषागार के भवन निर्माण
- | | | | | |
|-----|---------|---------|-------|-------------|
| मूल | 2,00.00 | 2,00.00 | 67.79 | (-),1,32.21 |
|-----|---------|---------|-------|-------------|

80 सामान्य

051 निर्माण

- (2) 03 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन का निर्माण
- | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-----------|
| मूल | 8.45 | 58.45 | 47.90 | (-),10.55 |
| पूरक | 50.00 | | | |

800 अन्य व्यय

- (3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- | | | | | |
|-----|------------|------------|----------|----------------|
| मूल | 2,00,00.00 | 2,00,00.00 | 31,60.80 | (-),1,68,39.20 |
|-----|------------|------------|----------|----------------|

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01 सरकारी रिहायसी भवन			
700 अन्य आवासीय योजना			
(4)	02 मुख्य सचिव स्तर के आवासीय भवनों का निर्माण		
	मूल	2,50.00	2,50.00
			1,00.00
			(-),50.00
02 शहरी आवास			
800 अन्य व्यय			
(5)	14 उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन भवन का निर्माण		
	मूल	8,00.00	8,00.00
			7,00.00
			(-),1,00.00
4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
102 सामुदायिक विकास			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	35,00.00	
			55,00.00
			36,79.87
			(-),18,20.13
	पूरक	20,00.00	
7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
00			
201 भवन निर्माण अग्रिम			
(7)	04 राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अग्रिम		
	मूल	50.00	50.00
			36.21
			(-),13.79

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xvi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 कार्यालय भवन

051 निर्माण

(1) 03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

मूल 10.00 10.00 0.00 (-),10.00

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	04 राज्य योजना आयोग / नियोजन निदेशालय भवन निर्माण मूल	0.00	
		98.99	0.00 (-)98.99
	पूरक	98.99	
80 सामान्य			
051 निर्माण			
(3)	02 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य) मूल	8.00	8.00 0.00 (-)8.00
(4)	04 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय / क्षेत्रीय कार्यालय हेतु भवन निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत व्यय मूल	4,00.00	4,00.00 0.00 (-)4,00.00
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
02 शहरी आवास			
800 अन्य व्यय			
(5)	11 मसूरी में राज्य अतिथि गृह हेतु राधा भवन इस्टेट का अधिग्रहण मूल	1,00.00	1,00.00 0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(6)	15 राज्य अतिथि गृह नैनीताल का जीर्णोद्धार मूल	50.00	50.00 0.00 (-)50.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(7)	16 रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण मूल	50.00	50.00 0.00 (-)50.00
(8)	17 रायपुर (देहरादून) में सचिवालय भवन (चरण-1) का निर्माण मूल	1,00.00	1,00.00 0.00 (-)1,00.00
(9)	19 जनपद चमोली के भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय का निर्माण मूल	6,00.00	6,00.00 0.00 (-)6,00.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	---------------------	---------------	---------------------------------------

7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

00

201 भवन निर्माण अग्रिम

(10)	03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत के लिए अग्रिम			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00

7615 विविध उधार

00

200 अन्य कर्ज

(11)	01 विधायकों को आवास हेतु ऋण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

(12)	02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

**पूंजीगत:
भारित-**

- (xvii) विनियोग के पूंजीगत भारित के अंतर्गत ₹ 62,19,72.18 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है |
- (xviii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

105 नाबार्ड से कर्ज

(1)	03 नाबार्ड को ऋण वापसी			
	मूल	7,00,00.00	7,00,00.00	7,02,56.40 (+)2,56.40

110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय-अग्रिम

(2)	03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान			
	मूल	11,00,00.00	11,00,00.00	69,65,36.26 (+)58,65,36.26

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	-------------	---------------	--------------------------------------

111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति			
(3) 03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान			
मूल	4,00,00.00	4,00,00.00	7,81,01.65 (+)3,81,01.65

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

101 बाजार ऋण

(1) 04 गैर ब्याज बाजार कर्ज का भुगतान				
मूल	50.00	50.00	1.41	(-)48.59

6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम

01 आयोजनेत्तर ऋण

800 अन्य कर्ज

(2) 03 पूर्वोक्त 30प्र0 के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी				
मूल	1,00.00	1,00.00	45.11	(-)54.89

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण

101 एक मुश्त कर्ज

(3) 03 एक मुश्त उधार				
मूल	60,00.00	60,00.00	46,62.34	(-)13,37.66

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xx) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज

(1) 04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान				
मूल	14,00.00	14,00.00	0.00	(-)14,00.00

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

109 अन्य संस्थाओं से कर्ज

(2)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

800 अन्य ऋण

(3)	03 अन्य ऋण			
	मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम

04 केन्द्रीय रूप में प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए

800 अन्य

(4)	03 सहकारिता			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 08 आबकारी

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:			
2039 राज्य उत्पादन शुल्क			
दत्तमत-			
मूल	29,63,39		
		29,63,39	25,39,78
			(-)4,23,61
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 4,23.61 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	15,70.22	14,25.83	1,44.39
2015-16	20,10.39	18,19.45	1,90.94
2016-17	23,92.11	18,79.33	5,12.78
2017-18	25,40.58	22,81.99	2,58.59
2018-19	29,35.50	26,23.60	3,11.90

- (iii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम. शीर्ष सं०

**कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)
बचत (-)
(₹ लाख में)**

2039 राज्य उत्पादन शुल्क

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

04 भट्टियां

मूल 23,90.12

23,69.12 19,81.59 (-)3,87.53

पुनर्वि० (-)21.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2020 को ₹ 21.00 लाख की कमी महंगाई भत्ता तथा अवकाश यात्रा भत्ता में हुई बचत के कारण किये गए | अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:			
2051 लोक सेवा आयोग			
दत्तमत-			
मूल	16,19,24		
		16,19,24	14,39,14
			(-),80,10
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...
भारित-			
मूल	27,64,02		
		27,64,02	19,15,18
			(-),48,84
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...
पूंजीगत:			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत-			
मूल	2,00,00		
		2,00,00	2,00,00
			00
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...
भारित-			
मूल	1,00,00		
		1,00,00	...
			(-),1,00,00
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,80.10 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2051 लोक सेवा आयोग

00

103 कर्मचारी चयन आयोग

03 उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

मूल	16,19.24	16,19.24	14,39.14	(-),80.10
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)				

राजस्व:

भारित-

- (iii) ₹ 8,48.84 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (iv) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2014-15	12,41.16	10,82.42	1,58.74	
2015-16	13,10.51	11,46.55	1,63.96	
2016-17	28,96.83	19,47.69	9,49.14	
2017-18	24,47.55	14,36.65	10,10.90	
2018-19	29,12.01	17,34.80	11,77.21	

- (v) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2051 लोक सेवा आयोग

00

102 राज्य लोक सेवा आयोग

03 राज्य लोक सेवा आयोग

मूल	27,64.02	27,64.02	19,15.18	(-),8,48.84
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)				

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

पूँजीगत:
भारित-

- (vi) ₹ 1,00.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण

मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।				

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2055	पुलिस
2056	जेलें

दत्तमत-

मूल	19,30,52,74			
		19,70,56,34	18,20,88,34	(-)1,49,68,00
पूरक	40,03,60			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				91,14,68

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 2,93,93 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 10,35,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	36,50,01			
		53,72,65	36,06,51	(-)17,66,14
पूरक	17,22,64			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

अनुदान के पूँजीगत अनुभाग में ₹ 2,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,49,68.00 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 91,14.68 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹ 1,49,68.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 40,03.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	11,97,39.80	10,96,84.91	1,00,54.89	
2015-16	12,41,71.28	11,80,97.74	60,73.54	
2016-17	15,89,83.37	14,40,06.40	1,49,76.97	
2017-18	17,34,48.94	16,60,59.35	73,89.59	
2018-19	19,38,77.78	18,33,47.98	1,05,29.80	

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 03 मुख्यालय

मूल 47,13.80

पूरक 2,60.55 50,11.35 43,76.03 (-)6,35.32

पुनर्वि० 37.00

प्रावधान में ₹ 37.00 लाख की वृद्धि ₹ 56.00 लाख एवं ₹ 19.00 लाख के पुनर्विनियोग का शुद्ध प्रभाव था | प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2019 को ₹ 56.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2020 को ₹ 19.00 लाख की कमी व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किये गए | प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	06 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान		
	मूल	1,64.20	
	पूरक	33.50	1,22.23
	पुनर्वि०	(-)75.47	1,21.23
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 75.47 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए		(-)1.00
(3)	08 राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ		
	मूल	63.00	
		59.58	53.28
	पुनर्वि०	(-)3.42	(-)6.30
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 3.42 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए		
(4)	12 यातायात व्यवस्था का सुधार		
	मूल	4,00.00	
		3,18.15	3,18.15
	पुनर्वि०	(-)81.85	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 81.85 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए		
(5)	13 अभियोजन अधिष्ठान		
	मूल	10,13.15	
	पूरक	5.55	8,21.42
	पुनर्वि०	(-)1,97.28	8,06.21
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1,97.28 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए		(-)15.21
(6)	14 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो		
	मूल	4,90.81	
	पूरक	22.50	4,11.61
	पुनर्वि०	(-)1,01.70	3,99.66
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1,01.70 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय तथा कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी के क्रय में हुई बचत के कारण किए गए		(-)11.95

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	15 लोकतंत्र सेनानी तथा उनके आश्रितों को पेंशन योजना मूल 6,79.00	5,06.08	1,27.08 (-)3,79.00
	पुनर्वि० (-)1,72.92		
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1,72.92 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए		
	003 शिक्षा और प्रशिक्षण		
(8)	04 शिक्षा एवं प्रशिक्षण मुख्य मूल 13,81.13	12,97.97	12,94.97 (-)3.00
	पूरक 1,02.75		
	पुनर्वि० (-)1,85.91		
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1,85.91 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए		
	101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता		
(9)	05 अपराधिक अन्वेषण मूल 13,90.85	12,12.96	12,13.34 (+)0.38
	पूरक 4.00		
	पुनर्वि० (-)1,81.89		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को ₹ 10.50 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1,92.39 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, अन्य भत्ते तथा स्टाफ कार/मोटर कार के क्रय में हुई बचत के कारण किए गए		
(10)	06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तन्त्र का सुदृढीकरण मूल 2,85.66	1,84.52	1,84.51 (-)0.01
	पूरक 1.00		
	पुनर्वि० (-)1,02.14		
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1,02.14 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए		

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
104 विशेष पुलिस			
(11) 05 एस0 टी0 एफ0			
मूल	4,64.41		
पूरक	73.75	4,34.82	4,32.07
पुनर्वि०	(-1,03.34)		(-)2.75
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2020 को ₹ 2.50 लाख की वृद्धि गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1,05.84 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए			
108 राज्य मुख्यालय पुलिस			
(12) 02 निर्वाचन			
मूल	20,00.00		
पूरक	17,78.77	37,47.68	27,61.71
पुनर्वि०	(-)31.09		(-)9,85.97
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 31.09 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
(13) 03 अपराध से पीड़ित सहायता कोष			
मूल	3,00.00		
		80.00	80.00
पुनर्वि०	(-)2,20.00		0.00
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 2,20.00 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
109 जिला पुलिस			
(14) 04 रेडियो अधिष्ठान			
मूल	60,85.83		
पूरक	30.50	49,27.78	49,27.78
पुनर्वि०	(-)11,88.55		0.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को ₹ 67.50 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 12,56.05 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(15) 07 घुड़सवार पुलिस ईकाई			
मूल	4,46.96		
पूरक	8.00	3,97.09	3,97.09
पुनर्वि०	(-)57.87		0.00
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 57.87 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए			
(16) 08 यातायात व्यवस्था			
मूल	41.50		
पुनर्वि०	(-)5.21	36.29	36.29
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 5.21 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः टेलीफोन पर व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
(17) 14 जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण			
मूल	2,16.42		
पूरक	17.70	1,12.05	1,11.29
पुनर्वि०	(-)1,22.07		(-)0.76
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को ₹ 5.50 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1,22.07 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए			
(18) 16 ट्रैफिक लाइट के संचालन हेतु			
मूल	32.00		
पुनर्वि०	(-)29.53	2.47	2.47
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 29.53 लाख के अभ्यर्पण व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, मशीने एवं सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
113 पुलिस कर्मचारियों का कल्याण			
(19) 04 चिकित्सालय व्यय			
मूल	4,37.37		
पूरक	12.20	3,73.43	3,72.23
पुनर्वि०	(-)76.14		(-)1.20
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 76.14 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए			
(20) 10 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा साहसिक कार्य हेतु पुलिस बल को सहायता / पुरस्कार			
मूल	20.00		
पुनर्वि०	(-)15.00	5.00	5.00
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 15.00 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
(21) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	5,61.01		
पूरक	11,17.43	16,78.44	9,95.73
(-)6,82.71			
116 न्यायालयिक विज्ञान			
(22) 03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला			
मूल	3,95.40		
पूरक	49.90	3,46.25	3,49.69
पुनर्वि०	(-)99.05		(+)3.44
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 99.05 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, मशीने एवं सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र तथा औषधि एवं रसायन में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

117 आन्तरिक सुरक्षा			
(23)	04 इ० आर० एस० एस० अधिष्ठान		
	मूल	26.00	
	पूरक	24.50	33.00
	पुनर्वि०	(-)17.50	31.00

दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 17.50 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए।

911 घटाए वापसियाँ			
(24)	03 घटाए वापसियाँ		
	मूल	0.00	0.00
	₹ 1,05.10 लाख पी.एल.ए. (लेखा शीर्ष- 8443-00-106) से घटाए वापसी के अंतर्गत समेकित निधि में अंतरण हुआ।	(-)1,05.10	(-)1,05.10

2056 जेलें

00

001 निदेशन तथा प्रशासन			
(25)	03 कारागार अधिष्ठान		
	मूल	60,85.86	60,85.86
			47,99.76
			(-)12,86.10

(26)	04 कारागार मुख्यालय		
	मूल	2,01.42	2,01.42
			1,54.51
			(-)46.91

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (3), (5) से (8), (11), (12), (17), (19), (21), (23) एवं (24) से (26) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (9) एवं (22) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	05 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद		
	मूल	21.35	21.35
			0.00
			(-)21.35

101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	42.23	42.23
			0.00
			(-)42.23

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

117 आन्तरिक सुरक्षा

(3)	02 आंतरिक सुरक्षा हेतु केंद्रीय पुलिस बल आदि को भुगतान मूल	45,00.00	
		16,77.34	0.00 (-)16,77.34

पुनर्वि० (-)28,22.66

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2019 को ₹ 2,65.00 लाख, दिनांक 10 अक्टूबर 2019 को ₹ 97.50 लाख, दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को ₹ 10,26.00 लाख, दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को ₹ 1,21.50 लाख, दिनांक 13 जनवरी 2020 को ₹ 70.36 लाख तथा दिनांक 14 जनवरी 2020 को ₹ 12,42.30 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

16 कुम्भ / अर्द्धकुम्भ मेला व्यवस्था

मूल	2,90.60		
पूरक	13.50	4,14.83	4,04.83 (-)10.00
पुनर्वि०	1,10.73		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2019 को ₹ 2,60.00 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1,49.27 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः यात्रा व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा मशीने एवं सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र में हुई बचत के कारण किए गए। शीर्ष के अंतर्गत ₹ 10.00 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

पूजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 17,66.14 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 17,66.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 17,22.64 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	58,93.04	51,37.76	7,55.28	
2015-16	17,80.06	14,88.82	2,91.24	
2016-17	24,00.04	6,88.17	17,11.87	
2017-18	26,50.02	18,06.73	8,43.29	
2018-19	23,22.01	18,58.80	4,63.21	

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

00

207 राज्य पुलिस

(1)	02 अग्निशमन एवं आपात सेवा				
	मूल	2,00.00	2,00.00	53.38	(-),46.62
	211 पुलिस आवास				
(2)	03 पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था (चालू कार्य)				
	मूल	9,00.00	9,00.00	2,39.13	(-),6,60.87
(3)	08 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल				
	मूल	1,00.00			
	पूरक	72.64	1,72.64	69.00	(-),1,03.64
(4)	09 पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण				
	मूल	3,00.00			
	पूरक	1,00.00	4,00.00	2,57.83	(-),1,42.17

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(5) 02 जेलों का निर्माण/भूमि क्रय

मूल 10,00.00

20,00.00 13,43.32 (-)6,56.68

पूरक 10,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

00

800 अन्य व्यय

11 राज्य मानवाधिकार आयोग में निर्माण कार्य

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं
2205	कला तथा संस्कृति

दत्तमत-

मूल	81,51,24,90			
		83,79,76,63	74,02,91,24	(-)9,76,85,39
पूरक	2,28,51,73			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				6,74,10

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 61,72 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
------	--

दत्तमत-

मूल	3,87,73,43			
		4,47,23,43	2,57,91,14	(-)1,89,32,29
पूरक	59,50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				15,55

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 9,76,85.39 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 6,74.10 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 9,76,85.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 2,85,51.73 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	52,89,84.61	45,48,36.94	7,41,47.67	
2015-16	55,85,60.13	47,73,61.98	8,11,98.15	
2016-17	65,13,93.12	52,00,75.18	13,13,17.94	
2017-18	66,70,17.93	62,30,77.13	4,39,40.80	
2018-19	76,09,74.26	70,67,32.74	5,42,41.52	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 1,40,00.06 1,40,00.06 1,06,49.51 (-)33,50.55

(2) 07 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन
मूल 1,12.70 1,12.70 49.36 (-)63.34

(3) 08 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल
मूल 5,00.00 5,00.00 2,98.86 (-)2,01.14

(4) 10 मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत भोजन माताओं हेतु वर्दी
मूल 3,00.00 3,00.00 2,58.09 (-)41.91

102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

(5) 07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं के.जी/नर्सरी विद्यालयों को सहायता
मूल 1,35,00.00 1,35,00.00 1,03,88.10 (-)31,11.90

(6) 14 सहायता प्राप्त 30मा0 विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान
मूल 7,55.04 7,55.04 6,17.45 (-)1,37.59

(7) 18 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान
मूल 15,30.00 15,30.00 9,30.31 (-)5,99.69

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मूल 7,00.00 पूरक 1,09.52	8,09.52	1,24.28 (-)6,85.24
02 माध्यमिक शिक्षा			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(9)	03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान मूल 8,77.63 पूरक 17.70 पुनर्वि० 5.70	9,01.03	7,82.80 (-)1,18.23
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2019 को ₹ 5.70 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है ।			
(10)	05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कार्यालय मूल 2,08.45 पूरक 0.80	2,09.25	1,77.95 (-)31.30
(11)	06 अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय मूल 93.70 पूरक 2.00	95.70	71.21 (-)24.49
004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
(12)	03 सीमेट की स्थापना मूल 1,75.00	1,75.00	1,50.46 (-)24.54
101 निरीक्षण			
(13)	03 क्षेत्रीय निरीक्षण मूल 29,18.69 पूरक 12.04 पुनर्वि० 12.04	29,42.77	26,23.85 (-)3,18.92
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2020 को ₹ 12.04 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है ।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(14)	04 विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना मूल 38,51.51 पूरक 12.33	38,63.84	32,91.73 (-5,72.11)
(15)	105 शिक्षकों का प्रशिक्षण 02 प्रशिक्षण हेतु डायटो का सशक्तिकरण मूल 35.80	35.80	22.58 (-13.22)
(16)	108 परीक्षाएं 03 माध्यमिक शिक्षा परिषद मूल 8,65.00 पूरक 20.00	8,85.00	7,87.92 (-97.08)
(17)	04 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान मूल 9,79.81 पूरक 0.80	9,80.61	7,73.46 (-2,07.15)
(18)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 07 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना मूल 25,71.80 पूरक 62.00	26,33.80	23,54.04 (-2,79.76)
(19)	15 राजीय गांधी अभिनव विद्यालयों की स्थापना मूल 1,00.00	1,00.00	72.06 (-27.94)
(20)	16 विजिटिंग शिक्षकों का मानदेय मूल 75,00.00 पुनर्वि० (-)1,17.73	73,82.27	15.40 (-73,66.87)

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2019 को ₹ 99.99 लाख, दिनांक 30 दिसंबर 2019 को ₹ 5.70 लाख तथा दिनांक 02 जनवरी 2020 को ₹ 12.04 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण किये गए ।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(21)	17 विकास खण्ड स्तर पर माडल स्कूलों की स्थापना (माध्यमिक) मूल 2,92.15	2,92.15	2,20.16 (-)71.99
(22)	19 ब्लाक / जनपद / राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना मूल 1,00.00	1,00.00	74.64 (-)25.36
(23)	20 दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मूल 30.00	30.00	8.55 (-)21.45
(24)	110 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता मूल 2,50.00	2,50.00	82.27 (-)1,67.73
(25)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 विश्वविद्यालयों को सहायता 08 श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय मूल 7,00.00	7,00.00	1,50.00 (-)5,50.00
(26)	11 प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा केंद्र उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को सहायता मूल 32.00	32.00	11.00 (-)21.00
(27)	12 अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय मूल 1,81.28	1,81.28	90.64 (-)90.64
(28)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 25,00.00	30,00.00	12,38.11 (-)17,61.89
	पूरक 5,00.00		
(29)	12 एन० डी० ए० तथा आई० एम० ए० में चयनित छात्र/ छात्राओं को पुरस्कार मूल 1,00.00	1,00.00	19.50 (-)80.50
(30)	104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता 03 गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान मूल 95,50.00	1,25,50.00	95,18.63 (-)30,31.37
	पूरक 30,00.00		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
05 भाषा विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(31)	03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान		
	मूल	87.42	
		99.42	81.97 (-)17.45
	पूरक	12.00	
102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन			
(32)	04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान		
	मूल	1,01.50	44.00 (-)57.50
(33)	13 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी		
	मूल	77.00	40.00 (-)37.00
(34)	15 उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी		
	मूल	46.00	18.00 (-)28.00
(35)	18 उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी		
	मूल	50.50	11.00 (-)39.50
103 संस्कृत शिक्षा			
(36)	03 राजकीय संस्कृत पाठशाला		
	मूल	1,92.72	
		1,93.72	1,29.43 (-)64.29
	पूरक	1.00	
(37)	06 जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण		
	मूल	73.26	
		1,31.76	1,06.39 (-)25.37
	पूरक	58.50	
(38)	07 संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण		
	मूल	25.00	17.42 (-)7.58
(39)	08 उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन		
	मूल	91.25	
		91.45	68.13 (-)23.32
	पूरक	0.20	

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
<i>80 सामान्य</i>					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(40)	03 एन०सी०सी० निदेशालय अधिष्ठान मूल	1,16.37	1,16.37	97.76	(-)18.61
(41)	04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल मूल	21,87.61	21,87.61	17,98.12	(-)3,89.49
(42)	05 एयर स्क्वाड्रन एन० सी० सी० की स्थापना मूल	72.04	72.04	49.41	(-)22.63
003 प्रशिक्षण					
(43)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	39,51.68	39,66.68	33,38.33	(-)6,28.35
	पूरक	15.00			
(44)	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों (प्राथमिक) (पुरुष) मूल	1,96.53	1,97.53	1,50.69	(-)46.84
	पूरक	1.00			
2203 तकनीकी शिक्षा					
<i>00</i>					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(45)	02 प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद मूल	2,09.40	2,09.40	1,38.47	(-)70.93
(46)	03 प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मूल	2,52.37	2,56.37	2,17.32	(-)39.05
	पूरक	4.00			
(47)	04 संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसन्धान विकास प्रकोष्ठ मूल	2,24.95	2,24.95	85.91	(-)1,39.04

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(48)	104 अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता 03 के. एल. पालीटेक्निक, रुड़की मूल 4,06.50	4,06.50	3,00.00 (-)1,06.50
(49)	105 बहु शिल्प (पालीटेक्निकल) विद्यालय 03 सामान्य पालीटेक्निक मूल 1,20,58.85	1,21,22.05	95,99.01 (-)25,23.04
	पूरक 63.20		
(50)	112 इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान 11 प्रतिष्ठित व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थाओं में चयनित छात्र / छात्राओं को पुरस्कार मूल 50.00	50.00	20.00 (-)30.00
	2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं 00		
(51)	001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 3,38.01	3,38.01	16.92 (-)3,21.09
(52)	03 खेलकूद निदेशालय मूल 7,60.80	7,75.80	6,62.93 (-)1,12.87
	पूरक 15.00		
(53)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण मूल 20,11.65	20,24.27	15,39.74 (-)4,84.53
	पूरक 12.62		
(54)	18 युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन मूल 8,00.00	8,00.00	6,96.67 (-)1,03.33
(55)	104 खेलकूद 05 क्रीडांगनों का विकास मूल 25.00	25.00	19.25 (-)5.75

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(56)	07 विशिष्ठ खिलाड़ियों को प्रादेशीय पुरस्कार मूल 60.00 पुनर्वि० (-)40.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2020 को ₹ 40.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।	20.00	18.89 (-)1.11
(57)	10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार मूल 1,50.00	1,50.00	8.91 (-)1,41.09
(58)	12 प्रादेशीय क्रीड़ा मंचों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान मूल 50.00 पुनर्वि० (-)30.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2020 को ₹30.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।	20.00	3.00 (-)17.00
(59)	13 स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान मूल 5,50.00	5,50.00	4,86.12 (-)63.88
(60)	14 प्रतियोगिताओं का आयोजन मूल 15.00	15.00	5.55 (-)9.45
(61)	15 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन मूल 15.00	15.00	3.30 (-)11.70
(62)	24 सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता मूल 12.00	12.00	3.84 (-)8.16
(63)	30 पं० नैनसिंह सर्वेयर माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र मूल 70.00	70.00	16.62 (-)53.38
(64)	32 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कालेज मूल 60.00 पूरक 6.00	66.00	55.29 (-)10.71

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2205 कला तथा संस्कृति			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(65) 03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय			
मूल	7,35.73		
पूरक	4.50	6,64.06	6,58.22 (-)5.84
पुनर्वि०	(-76.17)		
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 76.17 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए			
(66) 05 धर्मस्य, तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला अधिष्ठान			
मूल	84.20		
		8.67	8.67 0.00
पुनर्वि०	(-75.53)		
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 75.53 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			
101 ललित कला शिक्षा			
(67) 03 भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय			
मूल	3,15.53		
		2,36.26	2,36.46 (+)0.20
पुनर्वि०	(-79.27)		
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 79.27लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए			
102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन			
(68) 08 रंगमंडल स्थापना			
मूल	20.00		
पूरक	10.00	29.85	19.85 (-)10.00
पुनर्वि०	(-0.15)		
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 0.15 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(69)	09 वृद्ध कलाकारों, लेखकों को मासिक पेंशन		
	मूल	50.00	
	पूरक	14.00	63.98
	पुनर्वि०	(-)0.02	49.98
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 0.02 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(70)	12 शहीद स्मारक		
	मूल	20.00	
			6.30
	पुनर्वि०	(-)13.70	6.30
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 13.70 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(71)	13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन		
	मूल	48.00	
			19.12
	पुनर्वि०	(-)28.88	19.12
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 28.88 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(72)	19 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं का क्रय		
	मूल	30.00	
			1.54
	पुनर्वि०	(-)28.46	1.54
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 28.46 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(73)	32 देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना		
	मूल	10.00	
			1.40
	पुनर्वि०	(-)8.60	1.40
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 8.60 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(74)	33 लेखकों को पुस्तक प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता मूल 15.00	4.98	4.98 0.00
	पुनर्वि० (-)10.02 दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 10.02 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए		
(75)	36 संस्कृति के विभिन्न आयामों का आडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण मूल 20.00	5.70	5.70 0.00
	पुनर्वि० (-)14.30 दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 14.30 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए		
(76)	39 हरेला महोत्सव का आयोजन मूल 25.00	5.00	5.00 0.00
	पुनर्वि० (-)20.00 दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए		
(77)	40 राज्य स्तरीय लोक संगीत / लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन मूल 20.00	0.69	0.69 0.00
	पुनर्वि० (-)19.31 दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 19.31 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए		
(78)	103 पुरातत्व विज्ञान 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 12.78	4.99	4.99 0.00
	पुनर्वि० (-)7.79 दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 7.79 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी में हुई बचत के कारण किए गए		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(79)	03 पुरातत्व अधिष्ठान मूल	1,95.39	
		1,21.29	0.00
	पुनर्वि० दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 74.10 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए।	(-74.10)	
(80)	104 अभिलेखागार 03 राज्य अभिलेख मूल	1,78.31	
		1,38.08	(+1.62)
	पुनर्वि० दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 40.23 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, मजदूरी तथा कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में हुई बचत के कारण किए गए।	(-40.23)	
(81)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 03 केंद्रीय राज्य पुस्तकालय मूल	2,43.95	
		2,43.95	(-)50.70
(82)	107 संग्रहालय 03 अधिष्ठान व्यय मूल	1,42.27	
		1,12.92	0.00
	पुनर्वि० दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 29.35 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।	(-29.35)	

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	09 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जूनियर प्रभाग मूल 18.48 वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।	18.48	0.00 (-)18.48
(2)	800 अन्य व्यय 09 मध्याह्न भोजन योजना का सुदृढीकरण मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	02 माध्यमिक शिक्षा		
(3)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का इण्टर स्तर तक विस्तारीकरण मूल 1,28.00	1,28.00	0.00 (-)1,28.00
(4)	21 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकल)योजना मूल 16,00.00	16,00.00	0.00 (-)16,00.00
(5)	22 गरीब मेधावी छात्र/ छात्राओं को लैपटॉप/ मोबाइल वितरण मूल 1,50.00 वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।	1,50.00	0.00 (-)1,50.00
(6)	26 उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जैहरिखाल मूल 0.00 पूरक 26.60	26.60	0.00 (-)26.60
	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा		
(7)	102 विश्वविद्यालयों को सहायता 09 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना मूल 40.00 वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।	40.00	0.00 (-)40.00
(8)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 05 राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान मूल 70.00 वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।	70.00	0.00 (-)70.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9)	13 विश्वविद्यालयों के कैम्पसों का आधुनिकीकरण जैसे वाई फाई इत्यादि मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(10)	14 महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन की स्तर पर सुदृढीकरण मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(11)	16 राजकीय महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में एडुसेट के माध्यम से शिक्षा मूल 0.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	पूरक 1,00.00		
(12)	17 राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना मूल 0.00	40.00	0.00 (-)40.00
	पूरक 40.00		
	107 छात्रवृत्तियां		
(13)	06 निर्धन प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	800 अन्य व्यय		
(14)	13 प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यावसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति मूल 32.00	32.00	0.00 (-)32.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(15)	14 तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा मूल 6.00	6.00	0.00 (-)6.00
	वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(16)	15 संगीत के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा वर्कशॉप का आयोजन मूल 5.00	5.00	0.00 (-)5.00
वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

(17)	16 स्नातकोत्तर / पी0 एच0 डी0 हेतु निर्धन छात्रों को सहायता मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

05 भाषा विकास

(18)	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन 19 उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी मूल 33.01	33.01	0.00 (-)33.01
वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

2203 तकनीकी शिक्षा

(19)	00 105 बहु शिल्प (पालीटेक्निकल) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 13,88.06	13,88.06	0.00 (-)13,88.06
------	--	----------	------------------

2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं

(20)	00 001 निदेशन तथा प्रशासन 06 युवा छात्रावासों का विकास मूल 30.00	0.00	0.00 0.00
पुनर्वि० (-)30.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 को ₹ 30.00 लाख (सम्पूर्ण प्रावधान) की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए । ₹ 30.00 लाख के पुनर्विनियोग का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया । वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(21)	09 युवा दलों को आर्थिक सहायता मूल 30.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 को ₹ 30.00 लाख (सम्पूर्ण प्रावधान) की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ₹ 30.00 लाख के पुनर्विनियोग का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(22)	11 राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन मूल 5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(23)	16 सीमा स्पर्श योजना मूल 6.00	6.00	0.00
(24)	17 साहसिक प्रशिक्षण केंद्र रख-रखाव एवं प्रशिक्षण मूल 9.00	9.00	0.00
(25)	19 युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा शारीरिक विकास एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण मूल 50.00	11.65	0.00
	पुनर्वि० (-)38.35		(-)11.65
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को ₹ 38.35 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(26)	104 खेलकूद 03 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता मूल 5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(27)	11 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रादेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था मूल 70.00	70.00	0.00 (-)70.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(28)	22 प्रादेशीय क्रीड़ा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता मूल 16.00	16.00	0.00 (-)16.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(29)	33 38वें राष्ट्रीय खेल से पूर्व राज्य के खिलाड़ियों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(30)	35 ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना मूल 50.00	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)50.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 को ₹ 50.00 लाख (सम्पूर्ण प्रावधान) की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए । ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया । वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		

2205 कला तथा संस्कृति

00

(31)	102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 20.25	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)20.25		
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 20.25 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए ।		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(32)	25 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना मूल 15.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)15.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 15.00 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2006-07 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(33)	38 बट्टी-केदार उत्सव मूल 20.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(34)	42 चैतुला फण्ड / चैतुला उत्सव का आयोजन मूल 20.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(35)	44 हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र देहरादून का वार्षिक रख-रखाव / संचालन मूल 40.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)40.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 40.00 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(36)	45 विशिष्ट शैली / वास्तुकला में निर्मित भवनों का संरक्षण एवं संवर्धन मूल 20.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

105 सार्वजनिक पुस्तकालय			
(37) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (19), (22) से (29) और (37) पर सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2202 सामान्य शिक्षा

02 माध्यमिक शिक्षा

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 12 दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर को अनुदान			
मूल	0.01		
		1,00.00	1,00.00 0.00
पुनर्वि०	99.99		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को ₹ 99.99 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

80 सामान्य

107 छात्रवृत्तियां

(2) 02 एन० सी० सी० कैडेट हेतु मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना/संस्कृत विद्यालय के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति			
मूल	0.50	0.50	1.94 (+)1.44

2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 10 विभिन्न निर्वाचनों में तैनात पी0आर0डी0 स्वयं सेवक			
मूल	4,38.75		
		4,77.10	4,59.75 (-)17.35
पुनर्वि०	38.35		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को ₹ 38.35 लाख की वृद्धि मजदूरी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | शीर्ष के अंतर्गत ₹ 17.35 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(4)	15 प्रांतीय रक्षा दल के स्वयं सेवकों का कोड़ियाला एवं गुलरभोज में प्रशिक्षण मूल	30.00		
		1,40.00	1,40.00	0.00

पुनर्वि० 1,10.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 को ₹ 1,10.00 लाख की वृद्धि लघु निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

104 खेलकूद

(5)	08 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान मूल	9,09.91		
		9,83.91	9,83.91	0.00

पुनर्वि० 74.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2020 को ₹ 74.00 लाख की वृद्धि लघु निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

पूजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 1,89,32.29 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 15.55 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (viii) ₹ 1,89,32.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 59,50.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	(₹ लाख में)		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	5,96,90.22	4,07,02.63	1,89,87.59
2015-16	6,08,92.44	2,38,12.18	3,70,80.26
2016-17	5,59,05.85	4,06,32.79	1,52,73.06
2017-18	2,77,14.26	1,65,17.37	1,11,96.89
2018-19	2,97,93.39	1,42,79.43	1,55,13.96

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

201 प्रारम्भिक शिक्षा

(1)	03 प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण मूल	7,00.00	7,00.00	70.68	(-)6,29.32
-----	---	---------	---------	-------	------------

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
202 माध्यमिक शिक्षा			
(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,00,00.01	1,00,00.01	73,60.72 (-)26,39.29
(3) 11 राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण			
मूल	10,00.00	10,00.00	5,72.52 (-)4,27.48
(4) 16 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण			
मूल	4,00.00	4,00.00	1,36.77 (-)2,63.23
(5) 18 पुस्तकालय भवनों का निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	61.99 (-)38.01
(6) 30 माडल स्कूलों में भवन निर्माण			
मूल	3,50.00	3,50.00	1,40.46 (-)2,09.54
(7) 98 विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण (नाबार्ड पोषित)			
मूल	20,00.00	26,00.00	17,74.63 (-)8,25.37
पूरक	6,00.00		
203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(8) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	20,00.01	60,00.01	47,04.59 (-)12,95.42
पूरक	40,00.00		
(9) 03 कतिपय राजकीय महा विद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना			
मूल	16,00.00	16,00.00	13,54.44 (-)2,45.56
(10) 04 राजकीय महाविद्यालयों हेतु भूमि/भवन क्रय			
मूल	0.01	10,00.01	74.50 (-)9,25.51
पूरक	10,00.00		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	14 कुमाऊँ विश्व विद्यालय मूल	2,50.00	2,50.00	82.84 (-)1,67.16
(12)	15 दून विश्वविद्यालय मूल	12,00.00	12,00.00	9,35.57 (-)2,64.43
(13)	17 मुक्त विश्वविद्यालय मूल	3,00.00	3,00.00	1,57.62 (-)1,42.38
<i>02 तकनीकी शिक्षा</i>				
104 बहुशिल्प				
(14)	98 नाबार्ड वित्त पोषित मूल	18,00.00	18,00.00	12,61.02 (-)5,38.98
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान				
(15)	05 इंजीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी मूल	2,00.00	2,00.00	87.96 (-)1,12.04
<i>03 खेलकूद तथा युवा सेवा</i>				
102 खेलकूद स्टेडियम				
(16)	15 ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम मूल	5,00.00	7,00.00	6,13.32 (-)86.68
	पूरक	2,00.00		
<i>04 कला और संस्कृति</i>				
106 संग्रहालय				
(17)	04 प्रसिद्ध व्यक्ति के स्मारकों/मूर्तियों का निर्माण मूल	2,00.00	1,84.45	66.33 (-)1,18.12
	पुनर्वि०	(-)15.55		
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 15.55 लाख के अभ्यर्पण वृहद् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(18) 05 नेहरू हेरीटेज सेंटर मूल	50.00	50.00	2.36 (-)47.64
(19) 06 प्रेक्षागृह का निर्माण मूल	4,00.00	4,00.00	3,10.36 (-)89.64
800 अन्य व्यय			
(20) 04 हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र मूल	16,00.00	16,00.00	12,03.51 (-)3,96.49

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

(1) 19 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण मूल	2,50.00	2,50.00	0.00 (-)2,50.00
(2) 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाई स्कूल स्तर तक विस्तारीकरण मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3) 29 राजीव गाँधी अभिनव आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण मूल	4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00
(4) 31 सैनिक स्कूल जखोली का निर्माण मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	32 उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जैहरिखाल पौड़ी का भवन निर्माण		
	मूल	0.00	
		1,50.00	0.00
	पूरक	1,50.00	(-),1,50.00
(6)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा		
	18 एफीलेटिंग विश्व विद्यालय		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		(-),50.00
(7)	19 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		(-),50.00
(8)	23 अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			0.00
			(-),5,00.00
(9)	25 विधि विश्वविद्यालय		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			0.00
			(-),5,00.00
(10)	205 भाषा विकास		
	04 भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी का भवन निर्माण		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
	वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		(-),50.00
(11)	08 राजकीय संस्कृत आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		(-),50.00
(12)	600 सामान्य		
	02 एन० सी० सी० प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			0.00
			(-),5,00.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
02 तकनीकी शिक्षा			
104 बहुशिल्प			
(13) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	3,63.25	3,63.25	0.00 (-)3,63.25
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान			
(14) 08 राजकीय महिला इंजीनियरिंग कालेज देहरादून			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(15) 10 इंजीनियरिंग कालेज टनकपुर			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(16) 11 इंजीनियरिंग कालेज उत्तरकाशी			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(17) 12 सीमांत प्रोद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(18) 13 इंजीनियरिंग कालेज सल्ट (अल्मोड़ा) का भवन निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>03 खेलकूद तथा युवा सेवा</i>			
102 खेलकूद स्टेडियम			
(19)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 50,00.00		
		10,00.00	0.00 (-)10,00.00
	पुनर्वि० (-)40,00.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 40,00.00 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(20)	21 आवासीय भवनों का रखरखाव / निर्माण कार्य		
	मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(21)	22 त्रेपन सिंह नेगी ,राज्यस्तरीय युवा विकास केंद्र की स्थापना		
	मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
<i>04 कला और संस्कृति</i>			
106 संग्रहालय			
(22)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(23)	03 संग्रहालय भवन का निर्माण		
	मूल 3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)		

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211	परिवार कल्याण

दत्तमत-

मूल	22,51,00,33			
		23,02,24,31	17,82,43,01	(-)5,19,81,30
पूरक	51,23,98			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 5,56,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई ।

पूंजीगत:

4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,76,71,65			
		1,88,21,65	97,59,50	(-)90,62,15
पूरक	11,50,00			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 5,19,81.30 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (ii) ₹ 5,19,81.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 51,23.98 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक	आधिक्य (+)
सं०		व्यय	बचत (-)
			(₹ लाख में)

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	15,96,65.09	11,99,31.09	3,97,34.00
2015-16	17,77,51.08	12,63,49.55	5,14,01.53
2016-17	17,75,93.95	13,23,63.27	4,52,30.68
2017-18	19,51,33.60	14,41,15.60	5,10,18.00
2018-19	22,22,90.42	17,26,45.40	4,96,45.02

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 मुख्यालय अधिष्ठान

मूल 21,07.05

22,48.05 18,74.83 (-)3,73.22

पूरक 1,41.00

110 अस्पताल तथा औषधालय

(2) 03 एलोपैथिक एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय

मूल 3,15,75.56

पूरक 3,43.00

3,04,85.56 2,74,42.07 (-)30,43.49

पुनर्वि० (-)14,33.00

प्रावधान में ₹ 37.00 लाख की कमी ₹ 2,67.00 लाख एवं ₹ 17,00.00 लाख के पुनर्विनियोग का शुद्ध प्रभाव था | प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 को ₹ 2,67.00 लाख की वृद्धि स्टाफ कार/मोटर गड़ियों के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किये गए | प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2020 को ₹ 17,00.00 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण किये गए |

(3) 05 क्षय रोग के रूजालय (क्लीनिक)

मूल 28,02.16

28,14.76 23,41.19 (-)4,73.57

पूरक 12.60

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना			
	मूल	1,27.06	1,27.06	66.09 (-)60.97
(5)	11 ब्लड बैंक की स्थापना			
	मूल	2,98.92	2,98.92	2,03.24 (-)95.68
(6)	14 विधान सभा में रा०एलो० औषधालय की स्थापना			
	मूल	87.28		
	पूरक	8.77	96.05	74.39 (-)21.66
(7)	16 सचिवालय में तथा उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली में रा० एलोपैथिक औषधालय की स्थापना			
	मूल	1,10.25		
	पूरक	19.25	1,29.50	1,05.77 (-)23.73
(8)	18 मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिष्ठान			
	मूल	24,20.00		
	पूरक	1,25.00	25,45.00	21,19.18 (-)4,25.82
(9)	20 महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था			
	मूल	33.55		
	पूरक	11.45	45.00	31.83 (-)13.17
(10)	23 गाँधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र की स्थापना			
	मूल	4,91.00		
	पूरक	15.00	5,06.00	74.08 (-)4,31.92
(11)	24 उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अधिष्ठान			
	मूल	2,12.17		
	पूरक	14.49	2,26.66	1,18.37 (-)1,08.29

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	97 बाह्य सहायतित परियोजनायें मूल	76,00.00	76,00.00	17,10.00 (-)58,90.00
(13)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,57.17	1,92.13	1,49.72 (-)42.41
	पूरक	34.96		
(14)	03 प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम मूल	9,02.59	9,02.59	7,45.62 (-)1,56.97
(15)	07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना मूल	2,29.25	2,45.25	1,84.47 (-)60.78
	पूरक	16.00		
(16)	800 अन्य व्यय 06 विभिन्न मेलों/तीर्थ यात्रा मार्गों/ कैलाश मानसरोवर यात्रा एवं स्वैक्षिक संस्थाओं हेतु बजट व्यवस्था मूल	1,50.01	1,50.01	94.49 (-)55.52
(17)	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ 101 आयुर्वेद 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना मूल	30,00.00	30,00.00	3,51.45 (-)26,48.55
(18)	03 निदेशन तथा प्रशासन मूल	16,68.70	16,97.67	15,19.02 (-)1,78.65
	पूरक	28.97		
(19)	102 होम्योपैथी 03 निदेशन तथा प्रशासन मूल	1,95.10	2,26.30	1,58.77 (-)67.53
	पूरक	31.20		

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(20)	04 अस्पताल और औषधालय			
	मूल	10,40.41		
			10,70.61	9,44.15
	पूरक	30.20		(-)1,26.46
(21)	05 अन्य व्यय			
	मूल	14.95	14.95	9.89
				(-)5.06
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
(22)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,50,00.00		
			3,55,50.00	2,31,88.84
	पूरक	5,50.00		(-)1,23,61.16
	800 अन्य व्यय			
(23)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	94.58		
			1,04.02	83.20
	पूरक	9.44		(-)20.82
	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
(24)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	6,21.75		
			6,25.75	2,10.92
	पूरक	4.00		(-)4,14.83
(25)	03 शिक्षा			
	मूल	81.00		
			61.00	1.27
	पुनर्वि०	(-)20.00		(-)59.73
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 को ₹ 20.00 लाख की कमी छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन में हुई बचत के कारण किये गए			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(26)	04 मेडिकल कालेज			
	मूल	2,77,65.34		
	पूरक	18,41.90	2,96,27.24	(-)62,01.13
	पुनर्वि०	20.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2020 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किये गए प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
(27)	05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा			
	मूल	9,40.99		
			9,66.14	(-)3,41.02
	पूरक	25.15		
(28)	09 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय			
	मूल	2,51.48		
			2,56.48	(-)1,68.67
	पूरक	5.00		
(29)	10 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय			
	मूल	5,00.00	5,00.00	(-)2,00.00
	<i>06 लोक स्वास्थ्य</i>			
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(30)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,43.41		
			1,76.26	(-)90.01
	पूरक	32.85		
(31)	03 लोक स्वास्थ्य			
	मूल	1,73,88.95	1,73,88.95	(-)78,22.63
(32)	05 मातृ एवं शिशु कल्याण			
	मूल	62,22.79	62,22.79	(-)16,48.35

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(33)	12 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना मूल 1,05.83	1,15.23	46.93 (-)68.30
	पूरक 9.40		
(34)	13 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों का उपचार मूल 0.00	1,00.00	22.14 (-)77.86
	पूरक 1,00.00		
(35)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी मूल 35,00.00	32,33.00	11,28.20 (-)21,04.80
	पुनर्वि० (-)2,67.00 प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 को ₹ 2,67.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		
(36)	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण 03 सरकारी जन विश्लेषक प्रयोगशाला मूल 5,32.60	5,32.60	4,08.12 (-)1,24.48
(37)	104 औषधि नियंत्रण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 15,00.00	15,00.00	5,56.00 (-)9,44.00
(38)	03 ड्रग कन्ट्रोल का अधिष्ठान मूल 1,61.45	1,61.45	94.55 (-)66.90
(39)	800 अन्य व्यय 07 वाहनों का संचालन एवं अनुरक्षण मूल 1,00.00	1,00.00	64.16 (-)35.84
	2211 परिवार कल्याण 00		
(40)	001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 9,48.98	9,78.98	6,53.24 (-)3,25.74
	पूरक 30.00		

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	003 प्रशिक्षण			
(41)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,16.12		
			3,61.42	2,68.25
	पूरक	45.30		(-)93.17
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं			
(42)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,14,22.57		
			1,15,31.57	1,00,60.61
	पूरक	1,09.00		(-)14,70.96
	102 शहरी परिवार कल्याण सेवायें			
(43)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,96.05	5,96.05	4,45.03
				(-)1,51.02
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

110 अस्पताल तथा औषधालय

(1)	25 चिकित्सालयों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण			
	मूल	0.00		
			50.00	0.00
	पूरक	50.00		(-)50.00

200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें

(2)	08 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यक्रम का सुदृढीकरण			
	मूल	13.01	13.01	0.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)13.01

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

मूल 91,45.53

पूरक 6,30.00 1,13,50.53 99,60.37 (-)13,90.16

पुनर्वि० 15,75.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2020 को ₹ 15,75.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं महंगाई भत्ता के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 90,62.15 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 90,62.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 11,50.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2014-15	2,76,41.06	2,52,13.80	24,27.26
2015-16	1,71,76.30	1,37,96.66	33,79.64
2016-17	1,48,25.17	1,15,97.02	32,28.15
2017-18	1,46,55.03	63,94.01	82,61.02
2018-19	2,29,80.07	1,87,40.30	42,39.77

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ

110 अस्पताल तथा औषधालय

(1) 03 शव विच्छेदन गृहों का निर्माण

मूल 1,00.00 1,00.00 67.33 (-)32.67

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2) 04 ब्लड बैंक, आई.सी.यू इत्यादि का निर्माण कार्य मूल	2,00.00	2,00.00	15.47 (-)1,84.53
(3) 17 अनावासीय भवनों में वृहद् स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण मूल	4,00.00	5,00.00	4,35.19 (-)64.81
पूरक	1,00.00		
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(4) 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (राज्य योजना) मूल	4,00.00	4,00.00	1,09.78 (-)2,90.22
03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
101 आयुर्वेद			
(5) 05 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण मूल	1,00.00	1,00.00	53.77 (-)46.23
105 एलोपैथी			
(6) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	41,07.90	41,07.90	3,15.34 (-)37,92.56
(7) 03 श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना मूल	1,00.00	1,50.00	1,00.00 (-)50.00
पूरक	50.00		
(8) 05 रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना तथा बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण मूल	2,00.00	7,00.00	2,00.00 (-)5,00.00
पूरक	5,00.00		
(9) 08 दून मेडिकल कालेज की स्थापना मूल	30,00.00	30,00.00	24,48.00 (-)5,52.00

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(10)	09 राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों की स्थापना मूल	1,00.00	1,00.00	14.62	(-)85.38
------	---	---------	---------	-------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

110 अस्पताल तथा औषधालय

(1)	14 आवासीय भवनों का निर्माण मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
-----	-----------------------------------	---------	---------	------	------------

(2)	30 मानसिक चिकित्सालय सेलाकुई मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
-----	-------------------------------------	----------	----------	------	-------------

02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(3)	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	4,00.01	4,00.01	0.00	(-)4,00.01
-----	--	---------	---------	------	------------

110 अस्पताल तथा औषधालय

(4)	12 चिकित्सालय डोईवाला मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
-----	------------------------------	----------	----------	------	-------------

800 अन्य व्यय

(5)	03 राज्य सेक्टर मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
-----	------------------------	---------	---------	------	------------

03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

103 यूनानी

(6)	02 पिरान कलियर में यूनानी कॉलेज की स्थापना मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
-----	---	---------	---------	------	------------

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
105 एलोपैथी			
(7) 10 नर्सिंग कालेजों की स्थापना			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
(8) 11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना			
मूल	2,13.70	2,13.70	0.00 (-)2,13.70
4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा			
(9) 03 उपकेन्द्र के लिए भवनों का निर्माण			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2215	जल आपूर्ति तथा सफाई
2216	आवास
2217	शहरी विकास

दत्तमत-

मूल	5,83,27,95			
		6,81,49,01	5,20,75,06	(-)1,60,73,95
पूरक	98,21,06			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 43,34 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 16,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	11,57,50,01			
		14,32,14,01	10,15,40,98	(-)4,16,73,03
पूरक	2,74,64,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,60,73.95 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,60,73.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 98,21.06 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	9,50,38.96	7,74,52.98	1,75,85.98
2015-16	9,30,33.01	6,30,33.75	2,99,99.26
2016-17	11,61,09.69	7,44,80.31	4,16,29.38
2017-18	7,55,41.21	5,84,16.33	1,71,24.88
2018-19	7,05,07.26	5,61,53.00	1,43,54.26

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2215 जल आपूर्ति तथा सफाई

01 जलापूर्ति

005 सर्वेक्षण और अन्वेषण

(1) 02 डी0 पी0 आर0 का निर्माण

मूल	2,00.00			
		1,00.00	80.94	(-)19.06
पुनर्वि०	(-)1,00.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2020 को ₹ 1,00.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए।				

052 मशीनरी तथा उपस्कर

(2) 02 नगरीय क्षेत्रों में वाटर मीटर

मूल	3,00.00	3,00.00	89.94	(-)2,10.06
-----	---------	---------	-------	------------

102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

(3) 97 बाह्य सहायतित योजना

मूल	12,00.00	12,00.00	9,72.15	(-)2,27.85
-----	----------	----------	---------	------------

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

001 निदेशन तथा प्रशासन

(4) 06 नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान

मूल	6,86.64			
		7,02.64	4,92.14	(-)2,10.50
पूरक	16.00			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(5)	07 विहित अधिकारियों का अधिष्ठान मूल	1,09.34	1,09.34	28.34	(-)81.00
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता				
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,23,40.00	1,33,40.00	55,80.64	(-)77,59.36
	पूरक	10,00.00			
(7)	03 नगरों का समेकित विकास मूल	19,80.01	19,80.01	4,25.74	(-)15,54.27
	800 अन्य व्यय				
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	10,00.01	10,00.01	8,00.00	(-)2,00.01
(9)	15 मेट्रो रेल कार्मिकों के वेतन का भुगतान व अन्य व्यय मूल	6,00.00	6,00.00	5,10.00	(-)90.00
	80 सामान्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(10)	02 हरिद्वार कुम्भ/अर्धकुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान मूल	1,96.80	3,02.09	1,60.97	(-)1,41.12
	पूरक	1,05.29			
(11)	03 नगर पंचायतों का चुनाव मूल	3,91.46	6,63.61	3,03.78	(-)3,59.83
	पूरक	2,72.15			
(12)	05 शहरी भूमि सीमा रोपण मूल	24.85	24.85	15.10	(-)9.75

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

800 अन्य व्यय			
(13) 07 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद			
मूल	1,12.51	1,12.51	81.86 (-)30.65

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2215 जल आपूर्ति तथा सफाई

01 जलापूर्ति

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 कंसल्टेंसी, रिमोट सेंसिंग एवं मास्टर प्लान			
मूल	50.00		
		0.00	0.00
			0.00

पुनर्वि० (-)50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2020 को ₹ 50.00 लाख (सम्पूर्ण प्रावधान) की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए | ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है |

101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,19.00	1,19.00	0.00 (-)1,19.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	6,50.00	6,50.00	0.00 (-)6,50.00

(4) 10 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु अनुदान			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

(5) 14 चाल-खाल निर्माण विकास एवं पुनर्जीवीकरण पर प्रोत्साहन राशि एवं जल			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
107 मल निकासी सेवाएँ			
(6) 02 सीवरेज शोधन संयंत्र एवं सीवरेज योजनओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु अनुदान			
मूल	9,00.00	9,00.00	0.00 (-)9,00.00
02 मल निकासी एवं सफाई			
105 सफाई सेवाएँ			
(7) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	14,00.00		
		12,87.10	0.00 (-)12,87.10
पुनर्वि०	(-1,12.90		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2020 को ₹ 1,12.90 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(8) 04 सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(9) 05 सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(10) 06 सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति कूड़ा बीनने वालों, सपेरो आदि हेतु अनुदान			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(11) 08 रियल इस्टेट अथॉरटी			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(12) 17 ई0 डब्लू0 एस0 आवासों हेतु अनुदान			
मूल	15,00.00	15,00.00	0.00 (-)15,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(13) 18 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण			
मूल	10,00.00	10,00.00	0.00 (-)10,00.00
(14) 19 नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने हेतु जमा धनराशी की वापसी			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2215 जल आपूर्ति तथा सफाई

01 जलापूर्ति

102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

(1) 07 केन्द्रीय पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान

मूल 30,00.00

31,12.90

31,12.90

0.00

पुनर्वि० 1,12.90

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2020 को ₹ 1,12.90 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

02 मल निकासी एवं सफाई

106 वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण

(2) 03 गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रख रखाव हेतु जल संस्थान को अनुदान (फेज 1 व 2)

मूल 13,00.00

पूरक 5,00.00

22,50.00

22,50.00

0.00

पुनर्वि० 4,50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2020 को ₹ 4,50.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

107 मल निकासी सेवाएँ			
(3) 02 सीवरेज शोधन संयंत्र एवं सीवरेज योजनओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु अनुदान			
मूल	0.00	0.00	9,00.00
			(+)9,00.00

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 4,16,73.03 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 4,16,73.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 2,74,64.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2014-15	7,13,50.02	2,35,64.65	4,77,85.37	
2015-16	5,36,18.42	3,79,10.87	1,57,07.55	
2016-17	4,84,31.85	3,09,87.25	1,74,44.60	
2017-18	8,30,99.99	6,37,50.51	1,93,49.48	
2018-19	11,15,16.99	5,97,86.24	5,17,30.75	

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

01 जल आपूर्ति

101 शहरी जल आपूर्ति

- (1) 03 नगरीय पेयजल

मूल	46,00.00			
		66,00.00	59,13.52	(-)6,86.48
पूरक	20,00.00			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(2) 03 ग्रामीण पेयजल सेक्टर			
मूल	8,00.00		
		16,00.00	11,92.62
			(-)4,07.38
पूरक	8,00.00		
(3) 97 बाह्य सहायतित योजनाएँ			
मूल	1,35,00.00		
पूरक	70,00.00	1,73,19.62	86,34.60
पुनर्वि०	(-)31,80.38		(-)86,85.02
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को ₹ 31,80.38 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए			
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
051 निर्माण			
(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	2,94,00.00		
		3,20,64.00	2,42,05.20
			(-)78,58.80
पूरक	26,64.00		
(6) 04 नगरों का समेकित विकास			
मूल	34,00.00	34,00.00	19,20.64
			(-)14,79.36
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(7) 03 उच्च स्तरीय शौचालय का निर्माण			
मूल	4,00.00	4,00.00	1,45.10
			(-)2,54.90
800 अन्य व्यय			
(8) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,50,00.00		
		2,50,00.00	1,70,71.56
			(-)79,28.44
पूरक	1,00,00.00		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(xi)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
	4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय				
	01 जल आपूर्ति				
	101 शहरी जल आपूर्ति				
(1)	04 अल्मोड़ा-सरयू-सेरघाट पम्पिंग पेयजल योजना				
	मूल	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00
	02 मल-जल तथा सफाई				
	105 स्वच्छता सेवाएँ				
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	80,00.00	80,00.00	0.00	(-)80,00.00
(3)	97 बाह्य सहायतित योजनाएँ				
	मूल	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)20,00.00
	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय				
	80 सामान्य				
	800 अन्य व्यय				
(4)	02 अवस्थापना सुविधाओं का विकास				
	मूल	15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
	4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय				
	01 राज्य की राजधानी का विकास				
	051 निर्माण-कार्य				
(5)	02 मेट्रो रेल का निर्माण				
	मूल	50,00.00	50,00.00	0.00	(-)50,00.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

051 निर्माण

(6) 03 शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण

मूल	8,00.00	8,00.00	0.00	(-)8,00.00
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल आपूर्ति

102 ग्रामीण जल आपूर्ति

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	85,50.00
-----	----------

1,17,30.38	1,14,76.72	(-)2,53.66
------------	------------	------------

पुनर्वि०	31,80.38
----------	----------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को ₹ 31,80.38 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

02 मल-जल तथा सफाई

106 मल निकासी सेवाएँ

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	0.00
-----	------

0.00	36,05.15	(+)36,05.15
------	----------	-------------

अनुदान सं० 14 सूचना

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	---

राजस्व:

2220 सूचना तथा प्रसार

दत्तमत-

मूल	70,73,45		
		76,04,13	55,99,57
			(-)20,04,56
पूरक	5,30,68		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	63,17		
		63,17	1,76
			(-)61,41
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 20,04.56 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 20,04.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 5,30.68 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2014-15	53,76.81	52,75.52	1,01.29
2015-16	44,93.10	42,74.32	2,18.78
2016-17	1,02,71.96	97,95.75	4,76.21
2017-18	43,46.25	40,15.99	3,30.26
2018-19	1,27,74.27	1,18,82.51	8,91.76

अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
2220 सूचना तथा प्रसार			
01 फिल्म			
105 फिल्मों का निर्माण			
(1)	03 अधिष्ठान		
	मूल	2,64.41	
		6,83.98	4,25.40
	पूरक	4,19.57	(-)2,58.58
(2)	06 फिल्म परिषद की स्थापना		
	मूल	4,00.01	
		5,00.01	1,33.67
	पूरक	1,00.00	(-)3,66.34
60 अन्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(3)	03 अधिष्ठान व्यय		
	मूल	9,48.69	
		9,52.69	6,77.17
	पूरक	4.00	(-)2,75.52
101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार			
(4)	05 अधिष्ठान		
	मूल	40,63.04	
		40,63.74	35,79.39
	पूरक	0.70	(-)4,84.35
102 सूचना केन्द्र			
(5)	03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान		
	मूल	83.17	83.17
			46.08
			(-)37.09
(6)	04 हल्द्वानी मीडिया सेंटर		
	मूल	23.10	
		25.14	17.30
	पूरक	2.04	(-)7.84

क्रम. शीर्ष सं०	अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...	कुल अनुदान		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		मूल	पूरक		
(7)	106 क्षेत्र प्रचार 03 अधिष्ठान	4,58.67			
	मूल		4,62.44	3,17.80	(-),44.64
	पूरक	3.77			
(8)	107 गीत एवं ड्रामा योजना 02 गीत एवं नाट्य योजना	43.00	43.00	29.15	(-),13.85
	मूल				
(9)	109 फोटो सेवार्ये 03 अधिष्ठान	63.69	63.69	50.93	(-),12.76
	मूल				
(10)	110 प्रकाशन 03 अधिष्ठान	5,25.07			
	मूल		5,25.67	1,92.64	(-),3,33.03
	पूरक	0.60			
(11)	800 अन्य व्यय 03 स्वतन्त्रता तथा गणतन्त्र दिवस संबन्धी (उत्तराखण्ड सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय	1,00.00	1,00.00	51.48	(-),48.52
	मूल				
(12)	06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	50.00	50.00	40.41	(-),9.59
	मूल				
(13)	07 प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन	50.00	50.00	37.54	(-),12.46
	मूल				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 14 सूचना समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं० पूँजीगत: दत्तमत-	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
---	------------	------------------	-----------------------

- (v) ₹ 61.41 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

04 मीडिया से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल	63.16	63.16	1.76	(-)61.40
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		

दत्तमत-

मूल	17,48,77,61				
		18,59,21,41	14,44,05,00	(-)4,15,16,41	
पूरक	1,10,43,80				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)					4,47,81

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 30,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूँजीगत:

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		

दत्तमत-

मूल	88,90,07				
		1,09,36,07	70,14,21	(-)39,21,86	
पूरक	20,46,00				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)					...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 4,15,16.41 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 4,47.81 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 4,15,16.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 1,10,43.80 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	14,09,95.80	10,67,39.78	3,42,56.02
2015-16	14,89,12.59	10,92,23.98	3,96,88.61
2016-17	16,63,20.59	11,58,54.56	5,04,66.03
2017-18	14,96,97.05	11,72,14.13	3,24,82.92
2018-19	17,09,43.24	13,41,82.98	3,67,60.26

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 मुख्यालय एवं मण्डलीय अधिष्ठान
मूल 4,43.02 4,43.02 3,38.57 (-)1,04.45

(2) 05 जिला कार्यालयों का अधिष्ठान
मूल 16,29.95
पूरक 15.34
16,45.29 11,34.11 (-)5,11.18

(3) 06 आई.टी.सेल
मूल 90.20 90.20 62.23 (-)27.97

800 अन्य व्यय

(4) 04 उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम को आर्थिक सहायता
मूल 50.00 50.00 32.97 (-)17.03

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(5) 04 उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
मूल 91.20
पूरक 8.25
99.45 51.27 (-)48.18

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 आर्थिक विकास			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	25,00.00	25,00.00	6,96.82 (-)18,03.18
	800 अन्य व्यय			
(7)	07 गोरखा कल्याण परिषद			
	मूल	0.01		
			19.08	13.50 (-)5.58
	पूरक	19.07		
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,70.02	5,70.02	1,15.56 (-)4,54.46
(9)	04 विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र			
	मूल	1,12.64		
			1,16.66	90.47 (-)26.19
	पूरक	4.02		
(10)	07 विकलांग युवक/युवतियों से शादी करने पर प्रोत्साहन			
	मूल	50.00	50.00	14.25 (-)35.75
(11)	09 विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियाँ/छात्र वेतन			
	मूल	40.00	40.00	2.41 (-)37.59
(12)	19 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता			
	मूल	35.00	35.00	20.39 (-)14.61
	102 बाल कल्याण			
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,64,91.20		
			5,65,15.80	4,01,61.41 (-)1,63,54.39
	पूरक	24.60		

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(14)	03 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय मूल	79,28.00	79,28.00	67,44.63 (-)11,83.37
(15)	04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र मूल	3,26.90	3,26.90	2,76.92 (-)49.98
(16)	05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना मूल	55.25	55.25	30.79 (-)24.46
(17)	06 बाल कल्याण की विविध योजनायें मूल	97.79	58.30	53.73 (-)4.57
	पुनर्वि०	(-)39.49		
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 39.49 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, प्रकाशन एवं लघु निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए ।			
(18)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन मूल	8,79.42	8,75.89	6,94.56 (-)1,81.33
	पुनर्वि०	(-)3.53		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2020 को ₹ 3.53 लाख की कमी भोजन व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।			
(19)	15 निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था मूल	14,10.27	16,22.48	12,93.58 (-)3,28.90
	पूरक	2,12.21		
(20)	16 मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना (100 प्रतिशत राज्य पोषित) मूल	10,00.00	29,03.29	11,84.17 (-)17,19.12
	पूरक	19,03.29		
(21)	18 मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना मूल	10,00.00	10,00.00	3,97.42 (-)6,02.58

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
103	महिला कल्याण			
(22)	10 राज्य महिला आयोग की स्थापना			
	मूल	1,19.30	1,19.30	66.34 (-)52.96
(23)	13 कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण			
	मूल	99.33	99.33	44.06 (-)55.27
(24)	14 मानसिक रूप से विक्रिप्त महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन			
	मूल	2,03.55	2,03.55	1,16.48 (-)87.07
(25)	16 विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किए एवं अंतर्वासियों के पुनर्वासन एवं प्रशिक्षण के लिए राज सहायता			
	मूल	20.00	20.00	1.85 (-)18.15
(26)	18 कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टाफ की व्यवस्था			
	मूल	50.00	50.00	16.76 (-)33.24
(27)	23 निर्भया योजना			
	मूल	1,00.00	1,00.00	39.58 (-)60.42
(28)	29 नन्दा गौरा योजना			
	मूल	75,00.00		
			1,15,00.00	98,52.74 (-)16,47.26
	पूरक	40,00.00		
104	वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(29)	03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह			
	मूल	1,43.23		
			1,93.23	29.68 (-)1,63.55
	पूरक	50.00		
(30)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण			
	मूल	86.83	86.83	51.87 (-)34.96
107	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			
(31)	03 मान्यता प्राप्त शिक्षा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान			
	मूल	40.00	40.00	30.38 (-)9.62

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(32)	07 मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति/महिलाओं हेतु आवासीय गृहों के		संचालन हेतु	
	मूल	1,00.00	1,00.00	
			62.78	
			(-)37.22	
	200 अन्य कार्यक्रम			
(33)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	35,10.00		
			37,30.00	
			60.00	
			(-)36,70.00	
	पूरक	2,20.00		
(34)	04 निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान			
	मूल	7,50.00	7,50.00	
			2,85.00	
			(-)4,65.00	
(35)	05 अंतरजातीय/अन्तर धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन			
	मूल	25.00	25.00	
			17.50	
			(-)7.50	
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(36)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	68,49.50	68,49.50	
			52,57.02	
			(-)15,92.48	
	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(37)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	14,93.50	14,93.50	
			9,89.92	
			(-)5,03.58	
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	200 अन्य कार्यक्रम			
(38)	03 सैनिक कल्याण			
	मूल	38,71.64		
	पूरक	2,87.76	37,51.08	
			35,76.80	
			(-)1,74.28	
	पुनर्वि०	(-)4,08.32		
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 4,08.32 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः सहायक अनुदान, अन्य व्यय तथा प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ			
00			
800 अन्य व्यय			
(39)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 38.01	38.01	5.34 (-)32.67
(40)	03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान मूल 72.07	72.07	58.09 (-)13.98
(41)	04 अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान मूल 78.22	88.72	68.86 (-)19.86
	पूरक 10.50		
(42)	07 अरेबिया मदरसों को अनुदान मूल 1,00.00	1,00.00	76.23 (-)23.77
(43)	08 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को विकास कार्यों के संचालन हेतु सहायता मूल 1,10.00	1,10.00	55.00 (-)55.00
(44)	16 अल्प संख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति मूल 4,03.00	2,90.55	30.00 (-)2,60.55
	पुनर्वि० (-)1,12.45		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग के द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 को ₹ 22.45 लाख तथा दिनांक 25 फरवरी 2020 को ₹ 90.00 लाख की कमी छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(45)	18 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय मूल 96.82	1,01.82	72.63 (-)29.19
	पूरक 5.00		
(46)	21 जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान मूल 1,32.29	1,32.29	95.25 (-)37.04
(47)	26 मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन मूल 2,00.00	2,00.00	1,36.00 (-)64.00

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
	00		
	092 अन्य कार्यालय		
(48)	05 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा अन्य सहायता		
	मूल	50.00	50.00
			16.50
			(-)33.50
(49)	07 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सुविधा		
	मूल	0.01	
			40.01
			20.86
			(-)19.15
	पूरक	40.00	
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।		
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(1)	05 अति पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन		
	मूल	23.60	
			23.93
			0.00
			(-)23.93
	पूरक	0.33	
	277 शिक्षा		
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	38,00.00	38,00.00
			0.00
			(-)38,00.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	02 समाज कल्याण		
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण		
(3)	08 विकलांग शिवरों/सेमिनारों का आयोजन		
	मूल	7.00	7.00
			0.00
			(-)7.00

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
(4)	13 विकलांग जनों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना		
	मूल 25.00	25.00	0.00 (-)25.00
	वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(5)	17 निःशक्तजनों के द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति		
	मूल 0.01		
		3,23.95	0.00 (-)3,23.95
	पूरक 3,23.94		
(6)	21 सुगम उत्तराखण्ड अभियान के अंतर्गत बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा		
	मूल 0.00		
		1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	पूरक 1,00.00		
	102 बाल कल्याण		
(7)	11 अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (राज्य योजना)		
	मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(8)	14 पोषक मापक/स्तनपान योजना (राज्य योजना)		
	मूल 12.00	12.00	0.00 (-)12.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(9)	17 किशोर न्याय निधि की स्थापना		
	मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	103 महिला कल्याण		
(10)	17 महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति		
	मूल 5.00	5.00	0.00 (-)5.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
(11)	22 परित्यक्तता महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान मूल 45.00	45.00	0.00	(-)45.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(12)	30 पं० दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
(13)	104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण 06 मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
(14)	200 अन्य कार्यक्रम 06 विकलांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना मूल 20.00	20.00	0.00	(-)20.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(15)	07 योजनाओं का मूल्यांकन, प्रचार प्रसार मूल 20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(16)	11 मा० मुख्यमंत्री जी के सलाहकार (समाज कल्याण) मूल 25.02	25.02	0.00	(-)25.02
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(17)	800 अन्य व्यय 14 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन मूल 11.00	11.00	0.00	(-)11.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(18)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन 08 डंगिरियों एवं जगिरियों को मासिक पेंशन मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ			
00			
800 अन्य व्यय			
(19)	06 मदरसों हेतु विविध अनुदान		
	मूल	20.01	20.01
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)20.01
(20)	09 पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय		
	मूल	10.00	10.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)10.00
(21)	27 उत्तराखण्ड वक्फ विकास परिषद		
	मूल	5.00	5.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)5.00
(22)	28 उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद		
	मूल	10.00	10.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)10.00
(23)	29 वक्फ ट्रिब्यूनलों हेतु सहायता		
	मूल	10.00	
		32.00	0.00
	पूरक	22.00	(-)32.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 समाज कल्याण

101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

(1) 11 विकलांग जन अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम

मूल	35.20	35.20	37.28	(+)2.08
-----	-------	-------	-------	---------

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
	<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>			
	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
(2)	07 पर्वतीय क्षेत्र में 60 वर्ष से ऊपर के निवासरत पुरोहितों हेतु पेंशन योजना			
	मूल	1,00.00	1,00.00	2,26.00 (+)1,26.00
	107 स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(3)	03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन			
	मूल	27,00.00	27,00.00	29,12.44 (+)2,12.44

2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ

00

800 अन्य व्यय

(4)	15 मदरसा अरबी फारसी बोर्ड			
	मूल	56.15		
	पूरक	13.00	91.60	88.93 (-)2.67
	पुनर्वि०	22.45		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 को ₹ 22.45 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(5)	22 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेघावी बालिका प्रोत्साहन योजना			
	मूल	1,00.00		
			1,90.00	1,89.90 (-)0.10
	पुनर्वि०	90.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2020 को ₹ 90.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (3) तक अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (4) एवं (5) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 39,21.86 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 39,21.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 20,46.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	1,57,03.85	82,75.02	74,28.83
2015-16	56,56.07	17,43.61	39,12.46
2016-17	36,28.07	18,61.58	17,66.49
2017-18	64,55.44	20,54.03	44,01.41
2018-19	80,29.05	37,87.12	42,41.93

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 समाज कल्याण

102 बाल कल्याण

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	20,15.00		
			37,31.00	30,04.00
	पूरक	17,16.00		(-)7,27.00
(2)	05 मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं उच्चीकरण योजना			
	मूल	7,00.00		
			10,00.00	6,87.50
	पूरक	3,00.00		(-)3,12.50
(3)	06 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण			
	मूल	60.00		
			90.00	19.53
	पूरक	30.00		(-)70.47
	103 महिला कल्याण			
(4)	06 किशोर न्याय (बालको का संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण			
	मूल	2,00.00	2,00.00	80.14
				(-)1,19.86
(5)	10 कार्यशील महिला छात्रावास (राज्य योजना)			
	मूल	4,00.00	4,00.00	98.90
				(-)3,01.10

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
800 अन्य व्यय			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	27,00.01	27,00.01
			21,73.65
			(-)5,26.36
(7)	10 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य		
	मूल	4,00.00	4,00.00
			3,45.50
			(-)54.50
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।			
(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(1)	03 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूंजी		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
277 शिक्षा			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02 समाज कल्याण			
102 बाल कल्याण			
(3)	04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्य स्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
वर्ष 2011-12 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
104 वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(4)	08 राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			0.00
			(-)1,00.00

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम</i>			
800 अन्य व्यय			
(5)	03 सैनिक कल्याण		
	मूल	1,50.00	1,50.00
		0.00	(-),50.00
(6)	04 शौर्य स्थल		
	मूल	2,00.00	2,00.00
		0.00	(-),2,00.00
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
203 रोजगार			
(7)	02 अल्पसंख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना		
	मूल	2,00.00	2,00.00
		0.00	(-),2,00.00
800 अन्य व्यय			
(8)	11 कब्रिस्तानों में चारदीवारी का निर्माण		
	मूल	10,00.00	10,00.00
		0.00	(-),10,00.00
(9)	12 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन		
	मूल	40.00	40.00
		0.00	(-),40.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)		

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

दत्तमत-

मूल	3,86,68,46			
		4,35,22,46	2,88,77,70	(-)1,46,44,76
पूरक	48,54,00			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			24,89,75

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 9,99,99 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	15,34,48			
		15,34,49	4,21,74	(-)11,12,75
पूरक	1			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			3,60

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,46,44.76 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 24,89.75 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,46,44.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 48,54.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	---

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	2,09,58.57	1,51,38.26	58,20.31
2015-16	2,11,88.37	1,25,85.08	86,03.29
2016-17	2,19,73.67	1,47,36.92	72,36.75
2017-18	2,37,85.06	2,18,79.41	19,05.65
2018-19	3,68,17.83	2,21,60.48	1,46,57.35

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

01 श्रम

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 श्रम विभाग का अधिष्ठान

मूल 3,43.39

3,47.39 3,06.85 (-)40.54

पूरक 4.00

101 औद्योगिक संबन्ध

(2) 03 विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन

मूल 8,55.05

8,78.55 7,45.81 (-)1,32.74

पूरक 23.50

(3) 04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड

मूल 58.04

65.39 28.89 (-)36.50

पूरक 7.35

(4) 05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान

मूल 1,61.41

1,74.61 1,33.42 (-)41.19

पूरक 13.20

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 कार्यो की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा			
(5) 03 निरीक्षण अधिष्ठान			
मूल	1,15.95		
		1,16.20	91.73
पूरक	0.25		(-)24.47
103 सामान्य श्रम कल्याण			
(6) 03 श्रम कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र			
मूल	55.04	55.04	42.84
(7) 09 असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण			
मूल	50.00	50.00	0.30
(8) 12 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण			
मूल	10.00	10.00	2.12
(9) 17 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की धनराशि की वापसी			
मूल	5,00.00		
		10,00.00	5,00.00
पूरक	5,00.00		(-)5,00.00
02 रोजगार सेवाएं			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(10) 03 रोजगार संबन्धी अधिष्ठान			
मूल	10,37.14		
पूरक	8.00	9,59.88	9,39.02
पुनर्वि०	(-)85.26		(-)20.86
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 85.26 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन एवं व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए			
004 शोध, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी			
(11) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	35.50		
		21.56	9.00
पुनर्वि०	(-)13.94		(-)12.56
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 13.94 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
101 रोजगार सेवार्ये			
(12) 03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना			
मूल	1,61.23		
पूरक	0.90	1,31.80	1,27.28
पुनर्वि०	(-)30.33		(-)4.52
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 30.33 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन एवं व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए ।			
(13) 04 सेवायोजन करियर काउंसिलिंग केन्द्रों का सुदृढीकरण			
मूल	15.80		
		5.73	2.23
पुनर्वि०	(-)10.07		(-)3.50
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 10.07 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः कार्यालय व्यय तथा लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई में हुई बचत के कारण किए गए ।			
<i>03 प्रशिक्षण</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(14) 03 प्रशिक्षण एवं रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान			
मूल	6,27.06		
पूरक	21.80	4,34.18	4,17.38
पुनर्वि०	(-)2,14.68		(-)16.80
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 2,14.68 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए ।			
003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(15) 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान			
मूल	1,10,10.61		
पूरक	77.50	96,85.24	96,40.45
पुनर्वि०	(-)14,02.87		(-)44.79
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 14,02.87 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए ।			

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मूल 3,90.00	2.82	2.82 0.00
	पुनर्वि० (-)3,87.18 दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 3,87.18 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः लघु निर्माण कार्य, मशीनें एवं सज्जा/उपकरण और सयंत्र में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(17)	97 बाह्य सहायतित परियोजना मूल 50,00.00	46,93.78	6,93.78 (-)40,00.00
	पुनर्वि० (-)3,06.22 दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 3,06.22 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(18)	102 शिक्षता प्रशिक्षण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 50,00.00	50,00.00	14,69.35 (-)35,30.65
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (15), (17) और (18) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।		

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

01 श्रम

103 सामान्य श्रम कल्याण

(1)	10 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण / नवीनीकरण मूल 50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(2)	16 आम आदमी बीमा योजना (गरीबी रेखा से नीचे) (राज्यांश) मूल 11,37.15	11,37.15	0.00	(-)11,37.15
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>03 प्रशिक्षण</i>			
003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(3) 08 औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति			
मूल	12.80		
		0.50	0.00
			(-)0.50
पुनर्वि०	(-)12.30		
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 12.30 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(4) 09 नए व्यवसाय एवं अतिरिक्त यूनिट खोला जाना			
मूल	20.06	20.06	0.00
			(-)20.06
वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
<i>102 शिक्षता प्रशिक्षण</i>			
(5) 04 राज्य कौशल विकास योजना			
मूल	17,00.00	17,00.00	0.00
			(-)17,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)			

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 11,12.75 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 3.60 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (vii) ₹ 11,12.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 0.01 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2014-15	74,60.00	41,32.86	33,27.14
2015-16	15,60.00	14,70.64	89.36
2016-17	14,24.64	12,88.71	1,35.93
2017-18	14,25.00	10,71.22	3,53.78
2018-19	14,00.22	10,95.96	3,04.26

अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण			
	मूल	3,00.00	3,00.00	2,54.82 (-)45.18

003 प्रशिक्षण

(2)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	10,00.00	9,96.40	32.44 (-)9,63.96

पुनर्वि० (-)3.60

दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 3.60 लाख के अभ्यर्पण वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 श्रमायुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय

	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
--	-----	---------	---------	-----------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2401	फसल कृषि कर्म
2415	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

दत्तमत-

मूल	11,40,40,55			
		12,07,27,53	8,88,89,38	(-)3,18,38,15
पूरक	66,86,98			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				31,53,60

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 12,16,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई |

पूंजीगत:

4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
6401	फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	25,00,05			
		25,00,05	37,17,65	(+12,17,60
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में ₹ 10,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I) |

अनुदान के पूंजीगत अनुभाग में ₹ 10,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई |

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,18,38.15 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 31,53.60 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)	
			(₹ लाख में)	

(ii) ₹ 3,18,38.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 66,86.98 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	5,58,47.55	4,67,38.96	86,29.89	91,08.59
2015-16	7,38,83.87	5,23,33.34	2,15,50.53	
2016-17	8,93,88.30	6,41,85.78	2,52,02.52	
2017-18	9,01,30.10	8,37,24.99	64,05.11	
2018-19	11,37,96.89	9,68,12.47	1,69,84.42	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 2,16,37.21

2,09,17.72 86,29.89 (-)1,22,87.83

पुनर्वि० (-)7,19.49

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2020 को ₹ 1,74.00 लाख तथा दिनांक 14 फरवरी 2020 को ₹ 5,45.49 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।

(2) 04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान

मूल 1,20,70.90

1,21,84.40 1,02,11.49 (-)19,72.91

पूरक 1,13.50

(3) 06 जलागम प्रबन्ध निदेशालय/पी0 एम0 के0 स0 वाई0

मूल 76.10

56.51 56.57 (+)0.06

पुनर्वि० (-)19.59

दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 19.59 लाख के अभ्यर्पण वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किये गए ।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	11 राज्यस्तरीय जलागम अनुश्रवण परिषद		
	मूल	26.30	
	पूरक	5.30	17.72
	पुनर्वि०	(-13.88)	19.63
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 13.88 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः मजदूरी, अन्य भत्ते तथा किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व में हुई बचत के कारण किये गए		
(5)	97 बाह्य सहायतित योजना		
	मूल	2,11,09.59	
		1,79,89.46	1,17,10.77
	पुनर्वि०	(-31,20.13)	(-62,78.69)
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 31,20.13 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		
(6)	102 खाद्यानों की फसलें		
	03 स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम		
	मूल	3,00.03	
		2,94.88	13.70
	पुनर्वि०	(-5.15)	(-2,81.18)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 को ₹ 5.15 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
(7)	103 बीज		
	03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र		
	मूल	69.01	69.01
			48.68
			(-20.33)
(8)	108 वाणिज्यिक फसलें		
	05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति		
	मूल	40.00	40.00
			8.97
			(-31.03)
(9)	06 गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड		
	मूल	15.60	15.60
			5.63
			(-9.97)
(10)	111 कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी		
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	75.84	75.84
			46.58
			(-29.26)

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2415 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा			
80 सामान्य			
120 अन्य संस्थाओं को सहायता			
(11) 03 कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर को सहायक अनुदान			
मूल	2,21,00.00	2,21,00.00	1,73,00.00 (-)48,00.00
(12) 04 उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसाइ			
मूल	23,00.00	23,00.00	16,62.00 (-)6,38.00
(13) 05 पन्त नगर विश्वविद्यालय में बाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	49.41 (-)50.59
(14) 08 कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण की विशिष्ट योजना			
मूल	2,00.00	2,00.00	64.89 (-)1,35.11
(15) 13 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय जखोली			
मूल	2,58.01	2,58.01	76.11 (-)1,81.90
(16) 14 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय भराड़ीसेण			
मूल	3,11.40	3,11.40	1,06.56 (-)2,04.84
(17) 15 खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान डोईवाला			
मूल	2,58.37	2,58.37	84.50 (-)1,73.87
(18) 20 भरसार विश्वविद्यालय के अंतर्गत माली ट्रेनिंग सेंटर, प्रतापनगर (टिहरी)			
मूल	28.50	28.50	19.32 (-)9.18
(19) 24 पुष्प बीज एवं प्रशिक्षण केन्द्र सेलाकुई			
मूल	34.90	34.90	18.50 (-)16.40

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1), (2), (5) से (19) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (3) एवं (4) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 15 एकीकृत कृषि ग्राम योजना

मूल 10,00.00

10,50.00

0.00

(-)10,50.00

पूरक 50.00

108 वाणिज्यिक फसलें

(2) 07 गन्ना क्रय के सापेक्ष देय कमीशन की प्रतिपूर्ति

मूल 2,00.00

2,00.00

0.00

(-)2,00.00

114 तिलहन विकास

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 79.00

79.00

0.00

(-)79.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 07 विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय

मूल 52.50

57.65

54.83

(-)2.82

पुनर्वि० 5.15

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 को ₹ 5.15 लाख की वृद्धि मशीने एवं सज्जा / उपकरण और सयंत्र हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

108 वाणिज्यिक फसलें

(2) 08 अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान

मूल 2,15,00.00

2,61,77.37

2,62,08.93

(+)31.56

पूरक 46,77.37

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	63,26.00		
		70,45.49	69,63.00 (-)82.49

पुनर्वि० 7,19.49

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2020 को ₹ 1,74.00 लाख तथा दिनांक 14 फरवरी 2020 को ₹ 5,45.49 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) और (3) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (2) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत के अंतर्गत ₹ 12,17.60 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है |
- (viii) ₹ 19,77.31 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II) |
- (ix) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

103 बीज

(1) 03 खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित				
मूल	0.00	0.00	12,25.62	(+12,25.62

107 वनस्पति संरक्षण

(2) 03 कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रो न्यूट्रिमेंट की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित हैं				
मूल	0.00	0.00	9,86.16	(+9,86.16

₹ 19,77.31 लाख की वसूली उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II) |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत निधि के प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किये गए (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

113 कृषि इंजीनियरिंग

(1) 02 गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर हेतु विशेष अनुदान

मूल	3,00.00	3,00.00	2,29.21	(-)70.79
-----	---------	---------	---------	----------

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(2) 02 भरसार विश्वविद्यालय हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल	4,00.00	4,00.00	1,76.66	(-)2,23.34
-----	---------	---------	---------	------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

108 वाणिज्यिक फसलें

(1) 05 सार्वजनिक / सहकारी चीनी मिलों में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण रोधी संयंत्रों की स्थापना

मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
-----	---------	---------	------	------------

800 अन्य व्यय

(2) 98 नाबार्ड पोषित

मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
-----	---------	---------	------	------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 18 सहकारिता

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2425 सहकारिता

दत्तमत-

मूल	82,85,70		
		87,06,32	50,94,25
			(-)36,12,07
पूरक	4,20,62		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			11,81,33

पूंजीगत:

4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	1,00,00,01		
		1,00,00,01	99,97,99
			(-)2,02
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 36,12.07 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 11,81.33 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 36,12.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 4,20.62 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2014-15	46,87.97	38,94.62	7,93.35
2015-16	45,27.81	38,67.72	6,60.09
2016-17	49,91.91	33,22.76	16,69.15
2017-18	62,06.50	59,22.34	2,84.16
2018-19	94,43.67	77,97.98	16,45.69

अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
2425 सहकारिता			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण		
	मूल	38,57.67	
	पूरक	20.62	27,62.91
	पुनर्वि०	(-11,15.38)	27,53.11
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 11,15.38 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए		
(2)	05 सहकारिता न्यायधिकरण		
	मूल	1,05.50	
			85.31
	पुनर्वि०	(-20.19)	85.60
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 20.19 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन एवं व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए		
(3)	06 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण		
	मूल	92.50	
			46.95
	पुनर्वि०	(-45.55)	46.95
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 45.55 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन एवं व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए		
003 प्रशिक्षण			
(4)	06 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान		
	मूल	10.00	
			9.78
	पुनर्वि०	(-0.22)	4.78
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 0.22 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए		
106 बहुदेशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता			
(5)	02 उर्वरक परिवहन पर राज सहायता		
	मूल	1,25.00	1,25.00
			1,00.00
			(-25.00)

अनुदान सं० 18 सहकारिता समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता			
(6) 02 पैक्स मिनी बैंकों में जमा निपेक्षों के लिए निपेक्ष गारंटी योजना			
मूल	40.00	40.00	10.00 (-)30.00
108 अन्य सहकारी समितियों का सहायता			
(7) 05 सहकारी संस्थागत सेवामंडल हेतु अनुदान			
मूल	30.00	30.00	15.00 (-)15.00
800 अन्य व्यय			
(8) 31 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना			
मूल	40,00.00	40,00.00	20,53.80 (-)19,46.20
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2425 सहकारिता

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

08 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण

मूल 0.00

4,00.00 0.00 (-)4,00.00

पूरक 4,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

- (vi) ₹ 2.02 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 2,04.53 लाख की वसूली के पूंजीगत दत्तमत अनुदान में प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्रामीण रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

दत्तमत-

मूल	9,57,47,57		
		10,26,13,11	6,83,16,43
			(-)3,42,96,68
पूरक	68,65,54		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			69,41,52

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 18,68,96 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय
------	---

दत्तमत-

मूल	13,28,43,54		
		13,56,43,54	11,44,42,95
			(-)2,12,00,59
पूरक	28,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			10,00,00

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,42,96.68 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 69,41.52 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 3,42,96.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 68,65.54 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	12,72,86.10	6,21,39.97	6,51,46.13
2015-16	9,07,10.29	7,80,13.98	1,26,96.31
2016-17	11,17,99.42	6,32,34.26	4,85,65.16
2017-18	12,12,25.33	6,54,43.91	5,57,81.42
2018-19	10,04,00.58	7,98,09.17	2,05,91.41

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम

800 अन्य व्यय

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	58,00.00			
			78,00.00	13,85.00	(-)64,15.00
	पूरक	20,00.00			

06 स्वरोजगार कार्यक्रम

102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	50,00.00	50,00.00	28,36.82	(-)21,63.18

800 अन्य व्यय

(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	13,00.00			
			28,00.00	14,45.61	(-)13,54.39
	पूरक	15,00.00			

2505 ग्रामीण रोजगार

02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	2,20,00.00	2,20,00.00	1,45,74.57	(-)74,25.43

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5)	03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान		
	मूल 3,71.42		
		3,99.42	(-)58.75
	पूरक 28.00		
(6)	04 पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान		
	मूल 1,71.71		
		1,81.91	(-)37.60
	पूरक 10.20		
(7)	05 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा		
	मूल 51,17.67		
		51,55.73	(-)6,47.20
	पूरक 38.06		
003 प्रशिक्षण			
(8)	03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय / जिला ग्राम विकास संस्थान)		
	मूल 10,09.06		
		10,18.24	(-)2,33.48
	पूरक 9.18		
(9)	04 उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम		
	मूल 1,40.00	1,40.00	(-)22.66
(10)	101 पंचायती राज		
	03 पंचायती राज अधिष्ठान		
	मूल 10,84.12		
		11,04.12	(-)1,38.59
	पूरक 20.00		
(11)	18 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ		
	मूल 45.68		
		51.18	(-)7.09
	पूरक 5.50		

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(12)	20 क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानांतरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)			
	मूल	65,61.13		
		66,03.13	56,98.03	
	पूरक	42.00	(-9,05.10)	
(13)	102 सामुदायिक विकास			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	31,00.00		
		61,00.00	45,36.21	
	पूरक	30,00.00	(-15,63.79)	
(14)	03 अधिष्ठान			
	मूल	1,62,65.49		
		1,63,77.49	1,36,11.62	
	पूरक	1,12.00	(-27,65.87)	
(15)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान			
	मूल	75,60.01		
	पूरक	36.00	6,54.49	
	पुनर्वि०	(-69,41.52)	67,54.26	
			(+60,99.77)	
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 69,41.52 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए प्रावधान का अभ्यर्पण किया जाना तत्पश्चात अंतिम आधिक्य का परिलक्षित होना बजट के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
(16)	18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना			
	मूल	51.22	51.22	
			39.22	
			(-12.00)	
(17)	26 डी0 आर0 डी0 ए0 प्रकोष्ठ			
	मूल	37.50	37.50	
			28.67	
			(-8.83)	
(18)	28 इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान			
	मूल	7,00.00	7,00.00	
			1,83.25	
			(-5,16.75)	

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(19)	32 गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	16,41.61	
	पूरक	12.00	
		16,53.61	14,06.00 (-)2,47.61
(20)	34 ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग मूल	1,08.70	
	पूरक	2.50	
		1,11.20	65.47 (-)45.73
(21)	38 पी.एम.जी.एस.वाई के अंतर्गत सेंटेंज चार्ज, एस.क्यू.सी.सी तथा पी.एम.सी का भुगतान मूल	20,00.00	20,00.00
			7,31.00 (-)12,69.00
(22)	97 आईफेड बाह्य सहायतित योजना मूल	1,50,00.00	1,50,00.00
			80,00.00 (-)70,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	06 ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज मूल	52.45	52.45	0.00	(-)52.45
	102 सामुदायिक विकास				
(2)	13 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु अनुदान मूल	80.00	80.00	0.00	(-)80.00
(3)	29 राज्य परियोजना प्रबन्ध इकाई के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय का भुगतान मूल	80.00	80.00	0.00	(-)80.00

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4) 35 मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना मूल	3,50.01	3,50.01	0.00 (-)3,50.01
(5) 39 ग्रामीण व्यवसाय ईक्यूबेटर (आर.बी.आई.) मूल	0.00	50.00	0.00 (-)50.00
पूरक	50.00		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 2,12,00.59 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 10,00.00 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (vii) ₹ 2,12,00.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 28,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 सामुदायिक विकास

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	9,00,50.00	9,00,50.00	7,50,44.85 (-)1,50,05.15
(2) 04 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	30.00	30.00	21.56 (-)8.44
(3) 05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान मूल	30,00.00	30,00.00	9,25.03 (-)20,74.97
(4) 12 मेरा गाँव मेरी सड़क मूल	7,00.00	7,00.00	1,97.21 (-)5,02.79
(5) 97 आईफेड बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल	6,00.00	6,00.00	4,05.96 (-)1,94.04

अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(6)	98 नाबार्ड पोषित मूल	30,00.00	30,00.00	11,29.61	(-)18,70.39
-----	----------------------	----------	----------	----------	-------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
00

(1)	102 सामुदायिक विकास				
	20 मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना				
	मूल	0.00			
			5,00.00	0.00	(-)5,00.00
	पूरक	5,00.00			

(2)	21 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपात कालीन निधि				
	मूल	0.00			
	पूरक	10,00.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10,00.00			

प्रावधान में दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 10,00.00 लाख के अभ्यर्पण वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2700	मुख्य सिंचाई
2701	मध्यम सिंचाई
2702	लघु सिंचाई
2711	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल निकास

दत्तमत-

मूल	5,21,79,57			
		5,77,71,57	4,23,94,43	(-)1,53,77,14
पूरक	55,92,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020) ...				

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 1,68,99 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	4,76,05,05			
		6,39,99,05	3,34,27,95	(-)3,05,71,10
पूरक	1,63,94,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020) ...				

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,53,77.14 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,53,77.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 55,92.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	4,25,38.62	3,61,98.14	63,40.48	
2015-16	4,09,01.64	3,59,44.86	49,56.78	
2016-17	4,61,65.46	3,61,08.45	1,00,57.01	
2017-18	4,44,19.71	4,07,61.96	36,57.75	
2018-19	5,00,17.70	4,27,96.45	72,21.25	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2700 मुख्य सिंचाई

00

001 निदेशन एवं प्रशासन

(1)	03 निदेशन				
	मूल	48,14.78	48,14.78	38,24.08	(-)9,90.70
(2)	04 कार्यकारी अधिष्ठान				
	मूल	2,97,05.51	2,97,05.51	2,37,59.28	(-)59,46.23
(3)	05 दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कर्मियों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारितों) हेतु एकमुश्त व्यवस्था				
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,44.02	(-)55.98
(4)	09 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि				
	मूल	30.00	30.00	20.95	(-)9.05
(5)	11 उत्तराखण्ड वाटर रिसोर्सज मैनेजमेंट एवं रेगुलेटरी कमीशन जल संसाधन एवं प्रबंधन आयोग				
	मूल	9.56	9.56	2.07	(-)7.49
	01 सौंग बांध परियोजना				
	800 अन्य				
(6)	02 सौंग बांध परियोजना हेतु व्यय				
	मूल	20,00.00	20,00.00	2,64.79	(-)17,35.21

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(13)	102 लिफ्ट -सिंचाई योजनाएं				
	03 अनुरक्षण कार्य				
	मूल	10,00.00			
		10,30.00	5,30.71	(-)4,99.29	
	पूरक	30.00			
(14)	103 नलकूप				
	03 अनुरक्षण कार्य				
	मूल	60,00.00			
		1,10,50.00	61,98.26	(-)48,51.74	
	पूरक	50,50.00			
(15)	80 सामान्य				
	005 अन्वेषण				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	3,78.10	3,78.10	1,19.71	(-)2,58.39

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2700 मुख्य सिंचाई

00

001 निदेशन एवं प्रशासन

(1) 08 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान

मूल	6.85	6.85	0.00	(-)6.85
-----	------	------	------	---------

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

2702 लघु सिंचाई

02 भूजल

005 अन्वेषण

(2) 05 लघु सिंचाई सलाहकार समिति

मूल	19.76	19.76	0.00	(-)19.76
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 3,05,71.10 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹ 3,05,71.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 1,63,94.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

03 सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत देय डिफ्रीटल राशियों के भुगतान

051 निर्माण

- (1) 02 अन्य रख रखाव व्यय

मूल 50.00

पूरक 50.00 1,14.74 60.29 (-)54.45

पुनर्वि० 14.74

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 दिसंबर 2019 को ₹ 14.74 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

04 नलकूपों का निर्माण

051 निर्माण

- (2) 98 नाबार्ड पोषित

मूल 25,00.00

8,43.03 7,42.32 (-)1,00.71

पुनर्वि० (-)16,56.97

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2020 को ₹ 16,56.97 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए |

06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें / अन्य योजनाएं

051 निर्माण

- (3) 02 अन्य रख रखाव व्यय

मूल 1,00.00

1,00.00 58.91 (-)41.09

15 टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास

051 निर्माण

- (4) 02 अन्य रख रखाव व्यय

मूल 2,10.00

2,10.00 1,49.97 (-)60.03

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
18 बांध / बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण			
051 निर्माण			
(5)	02 अन्य रख रखाव व्यय		
	मूल	7,00.00	7,00.00
			3,01.29
			(-3,98.71)
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
003 प्रशिक्षण			
(6)	03 निर्माण कार्य		
	मूल	55.00	55.00
			6.72
			(-48.28)
005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण			
(7)	03 निर्माण कार्य		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			56.90
			(-43.10)
006 परिकल्प और प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण			
(8)	03 निर्माण कार्य		
	मूल	50.00	50.00
			8.06
			(-41.94)
051 निर्माण			
(9)	02 जल संवर्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			2,57.40
			(-2,42.60)
(10)	06 नैनीताल झील का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य		
	मूल	4,00.00	4,00.00
			36.18
			(-3,63.82)
(11)	07 नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण कार्य		
	मूल	3,00.00	
			2,85.26
			11.90
			(-2,73.36)
	पुनर्वि०	(-14.74)	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 दिसंबर 2019 को ₹ 14.74 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए		
(12)	08 बलिया नाला का उपचार		
	मूल	10,00.00	10,00.00
			2,31.41
			(-7,68.59)

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
800 अन्य व्यय			
(13) 08 फ्लड प्लेन जोनिंग			
मूल	3,00.00	3,00.00	1,60.91 (-)1,39.09
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
051 निर्माण			
(14) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	62,00.03	92,00.03	19,44.10 (-)72,55.93
पूरक	30,00.00		
800 अन्य व्यय			
(15) 98 नाबाई पोषित			
मूल	8,00.00	11,44.00	7,47.26 (-)3,96.74
पूरक	3,44.00		
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(16) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	0.01		
पूरक	20,00.00	24,63.37	4,63.35 (-)20,00.02
पुनर्वि०	4,63.36		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2019 को ₹ 4,63.36 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(ix)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
	00		
	051 निर्माण		
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	5,00.00	
		36.64	0.00 (-)36.64
	पुनर्वि०	(-)4,63.36	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2019 को ₹ 4,63.36 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए		
	052 मशीनरी तथा उपकरण		
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	1,00.00	1,00.00 0.00 (-)1,00.00
	01 जमरानी बांध		
	051 निर्माण		
(3)	02 अन्य रख रखाव व्यय		
	मूल	0.00	
		50,00.00	0.00 (-)50,00.00
	पूरक	50,00.00	
	13 सौंग बांध का निर्माण		
	051 निर्माण		
(4)	02 अन्य रख रखाव व्यय		
	मूल	1,50,00.00	
		1,02,20.72	0.00 (-)1,02,20.72
	पुनर्वि०	(-)47,79.28	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2019 को ₹ 37,79.28 लाख तथा दिनांक 26 मार्च 2020 को ₹ 10,00.00 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
	80 सामान्य		
	004 अनुसन्धान और विकास		
(5)	03 निर्माण कार्य		
	मूल	15.00	15.00 0.00 (-)15.00

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
051 निर्माण			
(6) 03 अपर यमुना रिवर बोर्ड हेतु रिज़र्व व बिल्डिंग फण्ड			
मूल	15.00	15.00	0.00
(7) 04 निरीक्षण/कार्यालयों भवनों का निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(8) 03 उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम को अंश पूंजी			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
102 भूजल			
(9) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	0.00		
		5,00.00	0.00
पूरक	5,00.00		(-),5,00.00
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(10) 07 मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का संपादन / क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों का पुनर्निर्माण			
मूल	4,00.00	4,00.00	0.00
03 जल-निकास			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(11) 02 अन्य रख रखाव कार्य			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(x) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 जमरानी बांध

051 निर्माण

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 10,00.00

47,79.28 47,69.80 (-)9.48

पुनर्वि० 37,79.28

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2019 को ₹ 37,79.28 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

07 उत्तराखण्ड की लघु लिफ्ट नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार

051 निर्माण

(2) 98 नाबार्ड पोषित

मूल 10,00.00

16,00.00 15,98.52 (-)1.48

पुनर्वि० 6,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2020 को ₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01 बाढ़ नियंत्रण

051 निर्माण

(3) 98 नाबार्ड पोषित

मूल 40,00.00

पूरक 35,00.00 96,02.19 89,95.85 (-)6,06.34

पुनर्वि० 21,02.19

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2020 को ₹ 21,02.19 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ समाप्त.

(xi) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) स्टॉक- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ- इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) वर्कशॉप उचन्त- विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं। 2019-20 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III एवं IV में दिया गया है।

अनुदान सं० 21 ऊर्जा

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	--

राजस्व:

2801	बिजली
2810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा

दत्तमत-

मूल	13,70,13			
		14,20,13	12,63,81	(-),56,32
पूरक	50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

पूंजीगत:

4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	3,23,32,55			
		3,51,32,55	1,39,11,54	(-),2,12,21,01
पूरक	28,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,56.32 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- ₹ 1,56.32 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 50.00 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	26,78.96	5,10.61	21,68.35
2015-16	23,43.12	18,62.39	4,80.73
2016-17	17,66.12	17,40.97	25.15
2017-18	11,51.21	11,29.08	22.13
2018-19	13,23.86	11,10.86	2,13.00

अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2801 बिजली

05 प्रेषण एवं वितरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 02 ऊर्जा विकास निधि का प्रबन्धन

मूल	33.27	33.27	5.81	(-)27.46
-----	-------	-------	------	----------

2810 नई और नवीकरणीय ऊर्जा

00

800 अन्य व्यय

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	1,86.85	1,86.85	68.00	(-)1,18.85
-----	---------	---------	-------	------------

02 सोलर एनर्जी

101 सोलर थर्मल कार्यक्रम

(3) 03 सोलर एनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता

मूल	1,00.00	1,00.00	90.00	(-)10.00
-----	---------	---------	-------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

पूँजीगत:**दत्तमत-**

- (v) ₹ 2,12,21.01 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) ₹ 2,12,21.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 28,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	4,92,71.07	1,31,05.00	3,61,66.07
2015-16	2,13,90.37	1,11,48.37	1,02,42.00
2016-17	4,80,64.02	1,66,59.30	3,14,04.72
2017-18	3,39,00.02	1,42,32.96	1,96,67.06
2018-19	3,17,30.06	2,44,14.98	73,15.08

अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय*01 जल विद्युत उत्पादन*

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(1)	06 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत् निगम लिमिटेड में निवेश			
	मूल	70,00.00		
			80,00.00	70,00.00
				(-)10,00.00
	पूरक	10,00.00		
(2)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	14,00.01	14,00.01	3,20.00
				(-)10,80.01

05 पारेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(3)	06 पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश			
	मूल	50,00.00		
			60,00.00	38,00.00
				(-)22,00.00
	पूरक	10,00.00		
(4)	07 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में वितरण परियोजनाओं हेतु निवेश			
	मूल	25,00.00		
			30,00.00	12,50.00
				(-)17,50.00
	पूरक	5,00.00		

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज*01 जल विद्युत उत्पादन*

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(5)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	66,00.01	66,00.01	12,18.08
				(-)53,81.93
(6)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	7,00.00	7,00.00	3,23.46
				(-)3,76.54

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 21 ऊर्जा समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(1) 05 ऊर्जा विकास निधि की विनियोजन

मूल 0.00

3,00.00

0.00

(-3,00.00)

पूरक 3,00.00

05 पारेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(2) 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं

मूल 9,39.75

9,39.75

0.00

(-9,39.75)

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(3) 05 यू.जे.वी.एन.एल. को ऋण

मूल 60,00.00

60,00.00

0.00

(-60,00.00)

05 पारेषण एवं वितरण

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(4) 97 वाह्य सहायतित योजना

मूल 21,92.75

21,92.75

0.00

(-21,92.75)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2059 लोक निर्माण कार्य
2216 आवास
3054 सड़क तथा सेतु

दत्तमत-

मूल	8,41,38,10			
		8,93,28,10	6,66,67,78	(-)2,26,60,32
पूरक	51,90,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

भारित-

मूल	6,46,00			
		7,46,00	4,69,00	(-)2,77,00
पूरक	1,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 1,27,88 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	10,47,00,01			
		12,29,00,01	8,48,83,24	(-)3,80,16,77
पूरक	1,82,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

(i) ₹ 2,26,60.32 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	--

(ii) ₹ 2,26,60.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 51,90.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	7,84,54.82	5,79,09.42	2,05,45.40
2015-16	6,57,12.03	5,37,57.33	1,19,54.70
2016-17	7,07,65.91	6,46,00.64	61,65.27
2017-18	7,05,45.93	6,41,83.69	63,62.24
2018-19	8,75,36.29	7,16,30.12	1,59,06.17

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2059 लोक निर्माण कार्य

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	05 कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु				
	मूल	4,00.00	4,00.00	3,49.37	(-)50.63

051 निर्माण

(2)	03 विकास निर्माण कार्य के प्रखण्ड				
	मूल	4,69,13.00			
			4,70,33.00	4,10,07.45	(-)60,25.55
	पूरक	1,20.00			

102 रख-रखाव तथा मरम्मत

(3)	06 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालयों भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत				
	मूल	3,36.00	3,36.00	2,13.92	(-)1,22.08

2216 आवास

01 सरकारी रिहायसी भवन

700 अन्य आवास

(4)	04 सरकारी आवासीय / अनावासीय भवनों का अनुरक्षण				
	मूल	4,50.00	4,50.00	2,50.62	(-)1,99.38

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
3054 सड़क तथा सेतु			
<i>01 राष्ट्रीय राजमार्ग</i>			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	40,00.00	40,00.00
			27.23
			(-)39,72.77
<i>03 राज्य राजमार्ग</i>			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(6)	03 अनुरक्षण एवं मरम्मत (दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र)		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			3,47.28
			(-)1,52.72
(7)	05 सड़क सुरक्षा		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			4,32.08
			(-)67.92
<i>04 जिला एवं अन्य सड़के</i>			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(8)	03 अनुरक्षण एवं मरम्मत		
	मूल	2,51,97.50	
			3,01,97.50
			1,82,46.92
			(-)1,19,50.58
	पूरक	50,00.00	

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

राजस्व:
भारित-

- (v) ₹ 2,77.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) ₹ 2,77.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 1,00.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (vii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2014-15	4,99.00	27.61	4,71.39
2015-16	5,09.00	0.26	5,08.74
2016-17	7,40.00	6,01.77	1,38.23
2017-18	7,30.00	3,34.80	3,95.20
2018-19	11,00.00	4,86.57	6,13.43

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2059 लोक निर्माण कार्य

01 कार्यालय भवन

053 रख-रखाव तथा मरम्मत

(1) 03 रखरखाव एवं मरम्मत (भारित)

मूल	3,50.00	3,50.00	2,54.18	(-)95.82
-----	---------	---------	---------	----------

2216 आवास

01 सरकारी रिहायसी भवन

700 अन्य आवास

(2) 03 निर्माण

मूल	96.00	96.00	64.37	(-)31.63
-----	-------	-------	-------	----------

3054 सड़क तथा सेतु

04 जिला एवं अन्य सड़के

337 सड़क निर्माण कार्य

(3) 06 न्यायालय की आज्ञापत्तियों का भुगतान (भारित)

मूल	2,00.00			
-----	---------	--	--	--

		3,00.00	1,50.45	(-)1,49.55
--	--	---------	---------	------------

पूरक	1,00.00			
------	---------	--	--	--

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(ix) ₹ 3,80,16.77 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(x) ₹ 3,80,16.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 1,82,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(xi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 03 लोक निर्माण (नए कार्य)

मूल	4,00.00			
-----	---------	--	--	--

		5,00.00	4,22.41	(-)77.59
--	--	---------	---------	----------

पूरक	1,00.00			
------	---------	--	--	--

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	04 पूल्ड आवास योजना (चालू कार्य) मूल 30.00	30.00	13.99 (-)16.01
5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय			
03 राजमार्ग			
(3)	101 पुल 03 पुलों का निर्माण और सुदृढीकरण मूल 38,00.00	38,00.00	16,02.10 (-)21,97.90
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
(4)	337 सड़क निर्माण कार्य 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 25,00.01 पूरक 30,00.00 पुनर्वि० 20,00.00	75,00.01	10,90.97 (-)64,09.04
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर 2019 को ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
(5)	03 राज्य सेक्टर मूल 4,98,00.00 पूरक 1,50,00.00	6,48,00.00	5,28,24.04 (-)1,19,75.96
(6)	04 सड़क / भवन / पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मूल 30,00.00	30,00.00	15,07.13 (-)14,92.87
(7)	05 बाढ़ एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण मूल 15,00.00	15,00.00	7,42.20 (-)7,57.80
(8)	97 बाह्य सहायतित योजना / ए.डी.बी. / विश्व बैंक सहायतित योजना के अंतर्गत सुदृढीकरण मूल 50,00.00 पुनर्वि० (-)20,00.00	30,00.00	8,31.69 (-)21,68.31
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 दिसंबर 2019 को ₹ 20,00.00 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए			

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(9)	98 नाबाई पोषित मूल	3,60,00.00	3,60,00.00	2,54,02.64	(-)1,05,97.36
-----	--------------------	------------	------------	------------	---------------

05 सड़कें

(10)	337 सड़क निर्माण कार्य 02 विशेष आयोजनागत सहायता अंतर्गत सड़कें / सेतु का निर्माण मूल	10,00.00	10,00.00	99.98	(-)9,00.02
------	---	----------	----------	-------	------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(1)	02 लोक निर्माण (नए कार्य) मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	---------------------------------	-------	-------	------	----------

5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

04 जिला तथा अन्य सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

(2)	06 क्रोनिक स्लिप जोन के ट्रीटमेंट हेतु प्रावधान मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
-----	---	---------	---------	------	------------

05 सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

(3)	03 मुख्य नगरीय क्षेत्र में सड़क किनारे डकट का निर्माण मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
-----	---	---------	---------	------	------------

80 सामान्य

190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

(4)	03 उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को अंशपूंजी/भारत सरकार के कार्य पर सैंटेज मूल	3,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00
-----	--	---------	---------	------	------------

पूरक 1,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य समाप्त.

(xiii) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक**- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ**- इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त**- विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं। 2019-20 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा **परिशिष्ट-V** में दिया गया है।

अनुदान सं० 23 उद्योग

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

दत्तमत-

मूल	2,39,02,75			
		2,96,18,75	2,21,30,60	(-)74,88,15
पूरक	57,16,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 81,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4851	ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	48,69,37			
		48,69,37	26,71,22	(-)21,98,15
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 74,88.15 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	---

- (ii) ₹ 74,88.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 57,16.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	93,59.50	79,57.12	14,02.38
2015-16	1,59,90.24	1,25,24.40	34,65.84
2016-17	2,30,57.76	1,24,17.98	1,06,39.78
2017-18	1,83,45.47	1,40,44.13	43,01.34
2018-19	2,50,87.27	1,97,83.36	53,03.91

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	03 राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान				
	मूल	15,39.87			
			15,42.37	11,26.30	(-4,16.07)
	पूरक	2.50			

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

101 औद्योगिक परिसम्पत्ति

(2)	02 मेगा टेक्सटाईल पॉलिसी 2014				
	मूल	0.00			
	पूरक	40,00.00	16,63.00	6,50.00	(-10,13.00)
	पुनर्वि०	(-23,37.00)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2020 को ₹ 23,37.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए।				

102 लघु उद्योग

(3)	03 अधिष्ठान व्यय				
	मूल	27,21.00			
			28,66.00	20,76.26	(-7,89.74)
	पूरक	1,45.00			

क्रम. शीर्ष सं०	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	कुल अनुदान				
(4)	23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूँजी उपादान सहायता मूल	20,00.00	20,00.00	16,68.88	(-)3,31.12
(5)	25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान मूल	63.70	68.70	27.26	(-)41.44
	पूरक	5.00			
(6)	29 एम० एस० एम० ई० अवस्थापना विकास निधि मूल	2,00.00	2,00.00	34.73	(-)1,65.27
(7)	30 महिला उद्यमियों के लिये विशेष विशेष प्रोत्साहन योजना मूल	4,00.00	6,00.00	4,00.00	(-)2,00.00
	पूरक	2,00.00			
(8)	34 एम० एस० एम० ई० परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू. की स्थापना) मूल	50.00	50.00	11.12	(-)38.88
(9)	35 स्टार्टअप एंड स्टैंडअप उद्यमिता विकास मूल	4,00.00	4,00.00	1,31.52	(-)2,68.48
(10)	38 इज ऑफ़ इईंग बिज़नेस मूल	4,00.00	8,00.00	3,13.01	(-)4,86.99
	पूरक	4,00.00			
(11)	48 ग्रोथ सेंटर की स्थापना मूल	7,50.00	7,50.00	4,35.82	(-)3,14.18
(12)	98 नाबार्ड पोषित मूल	10,00.00	10,00.00	5,56.47	(-)4,43.53
(13)	103 हथकरघा उद्योग 14 उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना मूल	10.00	10.00	5.00	(-)5.00

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(14)	16 हथकरघा, कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता मूल 10.00	10.00	5.00 (-)5.00
(15)	17 राजकीय डिजाईन केन्द्र काशीपुर का सुधारीकरण एवं एपारेल् प्रशिक्षण योजना मूल 50.00	50.00	25.00 (-)25.00
(16)	105 खादी ग्रामोद्योग 21 खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट मूल 4,00.00	5,00.00	4,00.00 (-)1,00.00
	पूरक 1,00.00		
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
02 खानों का विनियमन तथा विकास			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(17)	03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान मूल 11,01.81	11,01.81	8,68.73 (-)2,33.08
(18)	102 खनिज खोज 03 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना मूल 73.50	73.50	9.19 (-)64.31
(19)	04 खनन सर्विलांश मूल 1,26.00	1,11.00	33.99 (-)77.01
	पुनर्वि० (-)15.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2020 को ₹ 15.00 लाख की कमी मशीनें एवं सज्जा / उपकरण और सयंत्र में हुई बचत के कारण किये गए ।			
3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
60 अन्य			
004 अनुसंधान और विकास			
(20)	09 उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना मूल 3,38.32	3,38.32	2,26.40 (-)1,11.92
(21)	14 बायो टेक्नोलॉजी हेतु सहायता मूल 4,00.00	4,00.00	2,00.00 (-)2,00.00

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(22)	15 विज्ञान धाम मूल	3,00.00	3,00.00	93.00 (-),2,07.00
(23)	600 अन्य सेवार्ये 03 क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन मूल	10,00.01	17,00.01	15,00.00 (-),2,00.01
	पूरक	7,00.00		
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।				

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

(1)	21 क्लस्टर विकास योजना मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-),1,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(2)	42 सेवा क्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहन मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-),2,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(3)	47 एम0 एस0 एम0 ई0 की केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्यांश मूल	50.00	50.00	0.00 (-),50.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(4)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल	10,00.00	10,00.00	0.00 (-),10,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
103 हथकरघा उद्योग			
(5) 11 खादी संस्थाओं को सहयोग			
मूल	20.00		
		0.01	0.00
पुनर्वि०	(-)19.99		(-)0.01
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2019 को ₹ 19.99 लाख की कमी वेतन एवं भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(6) 13 समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बुनकर/शिल्पकार इत्यादि विकास योजना			
मूल	10.00		
		5.00	0.00
पुनर्वि०	(-)5.00		(-)5.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 नवम्बर 2019 को ₹ 5.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए			
(7) 18 वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश			
मूल	50.00		
		63.50	0.00
पूरक	13.50		(-)63.50
3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
60 अन्य			
600 अन्य सेवार्यें			
(8) 04 राज्य की आई० टी० पालिसी के प्रतिपूर्ति/अनुदान			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)			

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

102 लघु उद्योग

(1)	49 विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान	मूल	15,00.00		
			38,37.00	38,37.00	0.00
		पुनर्वि०	23,37.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2020 को ₹ 23,37.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

103 हथकरघा उद्योग

(2)	12 शिल्पियों हेतु पेंशन योजना	मूल	10.00		
			15.00	12.38	(-)2.62
		पुनर्वि०	5.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 नवम्बर 2019 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

02 खानों का विनियमन तथा विकास

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3)	04 राज्य खनिज विकास परिषद	मूल	10.00		
			25.00	23.27	(-)1.73
		पुनर्वि०	15.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2020 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) एवं (3) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

पूजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 21,98.15 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
				बचत (-)
(₹ लाख में)				

(viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2014-15	38,78.87	12,98.25	25,80.62	
2015-16	76,89.04	60,59.95	16,29.09	
2016-17	1,73,51.01	1,38,84.53	34,66.48	
2017-18	63,74.28	5,97.59	57,76.69	
2018-19	73,36.01	26,68.46	46,67.55	

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4851 ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय
00

102 लघु उद्योग

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 10,00.00 10,00.00 2,03.92 (-)7,96.08

4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

02 इलेक्ट्रॉनिक्स

800 अन्य व्यय

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 5,00.01 5,00.01 78.55 (-)4,21.46

(3) 12 राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों / सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई जोन स्थापित किया जाना
मूल 1,00.00 1,00.00 20.02 (-)79.98

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

02 इलेक्ट्रॉनिक्स

800 अन्य व्यय

(1) 13 तहसील और ब्लाक स्तर पर विडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा
मूल 3,50.00 3,50.00 0.00 (-)3,50.00

अनुदान सं० 23 उद्योग समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
01 औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(2) 08 सिडकुल को सहायता			
मूल	4,88.33	4,88.33	0.00 (-)4,88.33

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 24 परिवहन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2041	वाहन कर
3053	नागर विमानन
3055	सड़क परिवहन

दत्तमत-

मूल	1,07,71,09			
		1,22,36,09	1,02,80,67	(-)19,55,42
पूरक	14,65,00			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			25,38

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 10,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 9,63,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज

दत्तमत-

मूल	1,50,50,02			
		1,73,50,02	30,47,35	(-)1,43,02,67
पूरक	23,00,00			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 19,55.42 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 25.38 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 19,55.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 14,65.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	49,21.89	43,94.62	5,27.27
2015-16	47,04.43	41,44.65	5,59.78
2016-17	65,26.11	53,56.98	11,69.13
2017-18	59,02.65	49,59.37	9,43.28
2018-19	1,00,24.67	74,74.48	25,50.19

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2041 वाहन कर

00

800 अन्य व्यय

(1) 03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान

मूल 46.38

21.00 20.99 (-)0.01

पुनर्वि० (-)25.38

दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 25.38 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं में हुई बचत के कारण किए गए।

3053 नागर विमानन

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा

(2) 03 नागरिक उड्डयन

मूल 1,48.00 1,48.00 1,14.46 (-)33.54

3055 सड़क परिवहन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 03 परिवहन सम्बन्धी अधिष्ठान

मूल 37,51.53

37,73.53 33,75.73 (-)3,97.80

पूरक 22.00

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	09 उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति को अनुदान अन्तरण		
	मूल	5,00.00	
		6,00.00	5,00.00 (-)1,00.00
	पूरक	1,00.00	
(5)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता		
	03 परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा / डीबीटी के लिए निगम को प्रतिकर भुगतान		
	मूल	32,90.00	
		30,51.67	21,76.74 (-)8,74.93
	पुनर्वि०	(-)2,38.33	
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 2,38.33 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं में हुई बचत के कारण किए गए		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)		
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
	3053 नागर विमानन		
	02 विमान पत्तन		
	102 हवाई अड्डा		
(1)	10 राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना के तहत अनुदान		
	मूल	2,50.00	2,50.00 0.00 (-)2,50.00
	80 सामान्य		
	003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा		
(2)	04 आपदा खोज एवं बचाव कार्यो हेतु अनुदान		
	मूल	0.00	
		20.00	0.00 (-)20.00
	पूरक	20.00	

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
			बचत (-) (₹ लाख में)

3055 सड़क परिवहन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद संबन्धी अधिष्ठान

मूल	12.17	12.17	0.00	(-)12.17
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vi) ₹ 1,43,02.67 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹ 1,43,02.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 23,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	1,18,44.84	88,45.29	29,99.55
2015-16	70,96.01	11,75.24	59,20.77
2016-17	70,00.03	25,58.65	44,41.38
2017-18	1,52,13.06	1,32,90.41	19,22.65
2018-19	1,87,81.35	13,95.18	1,73,86.17

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5053 नागरिक विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

(1) 03 हैलीपैड एवं हैंगर का निर्माण

मूल	2,00.00	5,00.00	50.88	(-)4,49.12
-----	---------	---------	-------	------------

पुनर्वि० 3,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2020 को ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

00

050 भूमि तथा भवन

(2)	03 परिवहन आयुक्त / सम्भागीय कार्यालयों के अनावासीय भवन भूमि क्रय मूल	2,00.00	2,00.00	44.69	(-1,55.31)
(3)	06 मुजफ्फरनगर-रूड़की रेल लाईन निर्माण मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	21,67.00	(-78,33.00)
(4)	07 ऋषिकेश में आटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना मूल	4,00.00	4,00.00	20.00	(-3,80.00)
(5)	15 बस अड्डो का निर्माण मूल	8,00.00			
	पूरक	5,00.00	13,00.00	3,34.39	(-9,65.61)
(6)	800 अन्य व्यय 03 चालकों के प्रशिक्षण हेतु आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक्स का निर्माण मूल	3,00.00	3,00.00	30.39	(-2,69.61)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5053 नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

(1)	02 हवाई पट्टी/वाटर एरो ड्रोम का निर्माण मूल	3,00.00			
	पुनर्वि०	(-3,00.00)	0.00	0.00	0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2020 को ₹ 3,00.00 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए।

अनुदान सं० 24 परिवहन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	07 हवाई पट्टी के निर्माण / विस्तार हेतु अधिग्रहीत भूमि प्रतिकर का भुगतान		
	मूल	5,00.00	
		18,00.00	0.00 (-)18,00.00
	पूरक	13,00.00	

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

00

050 भूमि तथा भवन

(3)	08 हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय / भवन निर्माण			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
	वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(4)	09 चालक प्रशिक्षण हेतु सिमुलेटर का क्रय			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(5)	10 हल्द्वानी में आइ.एस.बी.टी. की स्थापना			
	मूल	6,00.00		
			11,00.00	0.00 (-)11,00.00
	पूरक	5,00.00		
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(6)	16 नरेन्द्र नगर में बस अड्डे का निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज

00

101 सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण

(7)	05 बसों के क्रय हेतु ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान			
	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00 (-)10,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	---

राजस्व:

2408	खाद्य भण्डारण तथा भांडागारण
3456	सिविल पूर्ति
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

दत्तमत-

मूल	2,24,32,23			
		2,25,58,98	48,52,17	(-)1,77,06,81
पूरक	1,26,75			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020) ...				

पूंजीगत:

4408	खाद्य भण्डारण तथा भांडागारण पर पूंजीगत परिव्यय
------	--

दत्तमत-

मूल	28,50,02			
		28,50,02	10,11,08,03	(+)9,82,58,01
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020) ...				

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 1,77,06.81 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 1,77,06.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 1,26.75 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	4,28,45.50	2,03,73.26	2,24,72.24
2015-16	3,32,02.61	2,02,94.73	1,29,07.88
2016-17	3,77,26.58	2,05,60.29	1,71,66.29
2017-18	2,37,70.61	1,82,35.07	55,35.54
2018-19	2,57,69.11	1,71,23.37	86,45.74

क्रम. शीर्ष सं०	अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	2408 खाद्य भण्डारण तथा भांडागारण			
	01 खाद्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)			
	मूल	41,73.21		
			42,16.21	35,36.15
	पूरक	43.00		(-)6,80.06
(2)	04 राज्य खाद्य आयोग			
	मूल	91.00	91.00	44.08
				(-)46.92
	3456 सिविल पूर्ति			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	50.00		
			63.75	16.11
	पूरक	13.75		(-)47.64
(4)	04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय			
	मूल	7,19.42		
			7,89.42	5,81.60
	पूरक	70.00		(-)2,07.82
(5)	102 सिविल आपूर्ति योजना			
	02 निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान			
	मूल	1,00.00	1,00.00	23.62
				(-)76.38
	3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ			
	00			
	106 भार और माप का विनियमन			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,76.00
				(-)24.00
(7)	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	5,98.60	5,98.60	4,74.61
				(-)1,23.99
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।			

अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण

01 खाद्य

102 खाद्य सहायता

(1)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00
(2)	05 शक्कर वितरण योजना अंतर्गत परिवहन व टैक्स का भुगतान				
	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00
(3)	06 राज्य खाद्यान्न योजना				
	मूल	55,00.00	55,00.00	0.00	(-)55,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत के अंतर्गत ₹ 9,82,58.01 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि इस अनुदान के अंतर्गत प्राप्त ₹ 4,41,88.89 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी ₹ 5,40,69.12 लाख का व्ययाधिक्य है।
- (vii) ₹ 4,41,88.89 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।
- (viii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण पर पूँजीगत परिव्यय

01 खाद्य

101 खरीद और पूर्ति

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	21,50.00	21,50.00	10,09,40.25	(+)9,87,90.25
-----	----------	----------	-------------	---------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत ₹ 4,40,73.70 लाख के वसूली प्राप्त हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 25 खाद्य समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण पर पूंजीगत परिव्यय

01 खाद्य

800 अन्य व्यय

06 खाद्य गोदामों / भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव

मूल	2,50.00	2,50.00	18.54	(-)2,31.46
-----	---------	---------	-------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण पर पूंजीगत परिव्यय

01 खाद्य

800 अन्य व्यय

05 गोदामों का निर्माण

मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
-----	---------	---------	------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 26 पर्यटन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	---

राजस्व:

3452 पर्यटन

दत्तमत-

मूल	85,15,21			
		98,75,11	57,52,30	(-)41,22,81
पूरक	13,59,90			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

पूंजीगत:

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	1,15,60,02			
		1,32,60,02	88,69,07	(-)43,90,95
पूरक	17,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 41,22.81 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 41,22.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 13,59.90 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	1,10,80.64	68,34.17	42,46.47
2015-16	52,92.48	48,75.67	4,16.81
2016-17	58,68.03	39,98.78	18,69.25
2017-18	66,77.14	58,36.84	8,40.30
2018-19	77,01.96	62,06.35	14,95.61

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
3452 पर्यटन			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1) 03 उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद			
मूल	40,20.00	40,20.00	34,13.81 (-)6,06.19
(2) 05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)			
मूल	1,24.10	1,24.10	90.44 (-)33.66
(3) 09 केदारनाथ विकास प्राधिकरण तथा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण			
मूल	6,00.00	9,00.00	43.50 (-)8,56.50
पूरक	3,00.00		
(4) 12 होटल प्रबंधन संस्थान, नई टिहरी			
मूल	1,21.16	1,25.26	85.11 (-)40.15
पूरक	4.10		
104 संवर्धन तथा प्रचार			
(5) 03 अधिष्ठान			
मूल	3,72.50	3,72.50	3,09.04 (-)63.46
(6) 18 राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान का अधिष्ठान			
मूल	4,59.50	4,65.30	3,39.09 (-)1,26.21
पूरक	5.80		
(7) 25 दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना			
मूल	10,00.00	10,00.00	1,08.20 (-)8,91.80
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।			

अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 15 श्राईन बोर्ड को अनुदान

मूल 0.00

10,00.00

0.00

(-)10,00.00

पूरक 10,00.00

104 संवर्धन तथा प्रचार

(2) 26 उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2018 हेतु अनुदान

मूल 5,00.00

5,00.00

0.00

(-)5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) ₹ 43,90.95 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) ₹ 43,90.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 17,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	2,68,26.09	88,30.64	1,79,95.45
2015-16	1,57,03.03	93,92.78	63,10.25
2016-17	1,89,90.03	1,18,25.96	71,64.07
2017-18	63,30.04	58,08.30	5,21.74
2018-19	1,12,58.72	57,47.81	55,10.91

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

(1) 04 राज्य क्षेत्र

मूल 35,10.01

42,10.01

16,69.07

(-)25,40.94

पूरक 7,00.00

अनुदान सं० 26 पर्यटन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

800 अन्य व्यय

(2)	02 के. एम. वी. एन. / जी. एम. वी. एन. को सहायता अनुदान			
	मूल	2,00.00		
			7,00.00	2,00.00
	पूरक	5,00.00		(-),5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

01 पर्यटक अवसरचना

101 पर्यटन उद्योग

(1)	03 इको टूरिज्म			
	मूल	0.00		
			5,00.00	0.00
	पूरक	5,00.00		(-),5,00.00

80 सामान्य

104 संवर्द्धन तथा प्रचार

(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,50.00	3,50.00	0.00
				(-),3,50.00

(3)	09 उत्तराखण्ड ग्रामीण उत्थान (एकल ग्रामीण एवं कलस्टर ग्राम) योजना			
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00
				(-),5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 27 वन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2406	वानिकी तथा वन्य जीवन
2407	बागान

दत्तमत-

मूल	9,59,23,53			
		10,30,27,35	6,31,28,38	(-)3,98,98,97
पूरक	71,03,82			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 6 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूंजीगत:

4406	वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
------	---

दत्तमत-

मूल	70,20,30			
		90,59,96	36,76,14	(-)53,83,82
पूरक	20,39,66			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,98,98.97 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 3,98,98.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 71,03.82 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2014-15	5,95,57.13	4,75,64.22	1,19,92.91	
2015-16	5,16,36.70	4,35,64.69	80,72.01	
2016-17	6,48,38.35	4,38,30.77	2,10,07.58	
2017-18	6,33,79.87	5,50,89.43	82,90.44	
2018-19	7,42,16.69	6,13,53.90	1,28,62.79	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

00

(1)	101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	7,00.24			
			32,00.24	1,27.46	(-)30,72.78
	पूरक	25,00.00			

01 वानिकी

(2)	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	03 सामान्य अधिष्ठान				
	मूल	4,27,03.05			
			4,34,04.05	3,72,36.66	(-)61,67.39
	पूरक	7,01.00			

(3)	08 कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य				
	मूल	22.77			
			54.28	16.88	(-)37.40
	पूरक	31.51			

003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण

(4)	02 अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास				
	मूल	79.75	79.75	63.56	(-)16.19

क्रम. शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			
	004 अनुसंधान			
(5)	03 राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र			
	मूल	48.51		
			76.51	16.90
	पूरक	28.00		(-)59.61
	070 संचार तथा भवन			
(6)	03 वन संचार साधन-पुल, टेलीफोन तथा भवन			
	मूल	2,00.00		
			2,50.00	1,96.40
	पूरक	50.00		(-)53.60
	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण			
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	29,06.00		
			21,46.34	4,57.53
	पुनर्वि०	(-)7,59.66		(-)16,88.81
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर 2019 को ₹ 1,82.48 लाख, दिनांक 06 नवम्बर 2019 को ₹ 2,18.34 लाख तथा दिनांक 25 नवम्बर 2019 को ₹ 3,58.84 की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए ।			
(8)	06 बहुदेशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण			
	मूल	11,76.02		
			13,26.02	11,54.67
	पूरक	1,50.00		(-)1,71.35
(9)	09 वन पंचायतों को सुदृढीकरण योजना			
	मूल	1,20.50	1,20.50	1,04.59
				(-)15.91
(10)	13 सिविल/सोयम एवं पंचायती वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना			
	मूल	4,50.50		
			4,88.50	4,36.00
	पूरक	38.00		(-)52.50
(11)	14 इको टूरिज्म			
	मूल	2,18.31		
			2,68.31	2,15.72
	पूरक	50.00		(-)52.59

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
102 समाज तथा फार्म वानिकी			
(12) 08 वोमेन कॉम्पोनेन्ट के अंतर्गत नर्सरी विकास कार्य			
मूल	33.00	33.00	25.00 (-)8.00
(13) 09 हमारा पेड़ हमारा धन योजना			
मूल	1,10.00	1,10.00	76.18 (-)33.82
(14) 97 वानिकी परियोजना (विश्व बैंक पोषित)			
मूल	1,00,00.01	1,00,00.01	85,00.00 (-)15,00.01
105 वन उत्पाद			
(15) 03 इमारती लकड़ी कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज			
मूल	90.00	90.00	78.08 (-)11.92
800 अन्य व्यय			
(16) 31 सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढीकरण			
मूल	24.51	24.51	14.66 (-)9.85
02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110 वन्य जीवन परीक्षण			
(17) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	43,04.29		
पूरक	12,03.22	62,67.17	38,36.25 (-)24,30.92
पुनर्वि०	7,59.66		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर 2019 को ₹ 1,82.48 लाख, दिनांक 06 नवम्बर 2019 को ₹ 2,18.34 लाख तथा दिनांक 25 नवम्बर 2019 को ₹ 3,58.84 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
(18) 03 वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता			
मूल	1,00.04		
		1,50.04	97.84 (-)52.20
पूरक	50.00		

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(19)	08 वन्य जंतु परीक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास		
	मूल	3,62.00	
		4,62.00	3,49.04
	पूरक	1,00.00	(-),12.96
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।		

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

01 वानिकी

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	05 उत्तराखण्ड वन विकास निधि का गठन		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।		

101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण

(2)	15 गूजर एवं अन्य प्रभावित पुनर्वास योजना		
	मूल	2,02.00	2,02.00
			0.00
			(-)2,02.00

800 अन्य व्यय

(3)	14 मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यों हेतु वनाधिकारियों / कर्मचारियों को सहायता / पुरस्कार		
	मूल	20.00	
			9.97
			0.00
			(-)9.97

पुनर्वि० (-)10.03

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2019 को ₹ 10.03 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए। वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम

103 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा

(4)	02 प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दण्डित प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा)		
	मूल	0.00	
		15,00.00	0.00
			(-)15,00.00
	पूरक	15,00.00	

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5) 03 कैम्पा के अंतर्गत वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य एवं दंडित वन भूमि का बिल वर्तमान मूल्य	मूल 1,50,00.00	1,50,00.00	0.00 (-)1,50,00.00
(6) 04 कैम्पा के अंतर्गत कैट प्लान (जलागम क्षेत्र उपचार)	मूल 30,00.00	30,00.00	0.00 (-)30,00.00
(7) 05 कैम्पा के अंतर्गत समेकित जल एवं भूमि प्रबंधन कार्यक्रम	मूल 23,00.00	23,00.00	0.00 (-)23,00.00
(8) 06 कैम्पा से अर्जित ब्याज से व्यय	मूल 0.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
	पूरक 5,00.00		
(9) 07 कैम्पा के अंतर्गत अन्य वृक्षारोपण, सुरक्षित क्षेत्र विकास, वृक्षों का पातन, चार दीवार व अन्य	मूल 15,00.00	15,00.00	0.00 (-)15,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

01 वानिकी

001 निदेशन तथा प्रशासन

06 उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद

मूल	0.11			
पूरक	10.09	20.23	16.36	(-)3.87
पुनर्वि०	10.03			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2019 को ₹ 10.03 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मर्दों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

पूँजीगत:
दत्तमत-

- (vii) ₹ 53,83.82 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 53,83.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 20,39.66 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

01 वानिकी

101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास				
(1) 03 वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण				
मूल	10,00.00			
		13,00.00	8,10.35	(-)4,89.65
पूरक	3,00.00			
(2) 04 वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण				
मूल	3,67.01			
		3,97.01	66.92	(-)3,30.09
पूरक	30.00			
(3) 07 इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य				
मूल	3,65.00			
		3,65.01	3,25.00	(-)40.01
पूरक	0.01			
(4) 09 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण				
मूल	25,00.00			
		28,00.00	15,19.13	(-)12,80.87
पूरक	3,00.00			
(5) 14 भू-क्षरण की रोक थाम योजना				
मूल	1,00.00	1,00.00	62.72	(-)37.28
(6) 15 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीवों से खेती सुरक्षा योजना				
मूल	2,00.00	2,00.00	29.02	(-)1,70.98

क्रम. शीर्ष सं०	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	कुल अनुदान			
(7)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 03 औषधीय पौधों का संरक्षण और संवर्धन मूल	1,00.00	1,00.00	52.95 (-)47.05
(8)	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110 वन्य जीव परिरक्षण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	9,13.01	20,72.76	1,09.53 (-)19,63.23
	पूरक	11,59.75		
(9)	111 जीव पार्क 02 मालसी मिनी जू का विस्तारीकरण एवं सुदृढीकरण मूल	1,00.00	1,00.00	40.84 (-)59.16
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।				

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

01 वानिकी

(1)	101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास 08 वनों की अग्नि से सुरक्षा मूल	1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00
(2)	11 वनों की सुरक्षा योजना मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
(3)	13 वर्षा जल संरक्षण योजना मूल	1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00
(4)	800 अन्य व्यय 09 इको टूरिज्म मूल	0.01	49.91	0.00 (-)49.91
	पूरक	49.90		

अनुदान सं० 27 वन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	11 मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना के पूंजीगत कार्य मूल 16.50	16.50	0.00 (-)16.50
	वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव		
	110 वन्य जीव परिरक्षण		
(6)	03 वन्य जंतु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास मूल 1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00
	2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(7)	04 जीवों के वास स्थलों का विकास मूल 1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00
	800 अन्य व्यय		
(8)	03 पारिस्थिकीय पर्यटन निगम मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।		

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-------------------------	-------------------	----------------------	---

राजस्व:

2403 पशु पालन
2404 डेरी विकास
2405 मछली पालन

दत्तमत-

मूल	3,24,98,06			
		3,44,01,62	2,93,72,10	(-)50,29,52
पूरक	19,03,56			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				1,28,86

पूंजीगत:

4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय
4404 दुग्ध विकास पर पूंजीगत परिव्यय
4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	25,85,01			
		37,62,69	13,22,73	(-)24,39,96
पूरक	11,77,68			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 50,29.52 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,28.86 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 50,29.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 19,03.56 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	2,06,56.69	1,72,64.39	33,92.30
2015-16	2,07,06.01	1,82,85.43	24,20.58
2016-17	2,77,68.35	2,03,81.39	73,86.96
2017-18	2,60,82.30	2,38,49.63	22,32.67
2018-19	3,16,17.49	2,90,78.31	25,39.18

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2403 पशु पालन

00

(1)	101 पशु चिकित्सा सेवार्य तथा पशु स्वास्थ्य 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	13,18.13	15,24.06	11,13.82	(-)4,10.24
	पुनर्वि०	2,05.93			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 दिसंबर 2019 को ₹ 11.81 लाख तथा दिनांक 29 फरवरी 2020 को ₹ 1,94.12 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है				
(2)	102 पशु तथा भैंस विकास 10 परजीवी कृमियों से बचाव मूल	0.00	8,00.00	7,08.85	(-)91.15
	पूरक	8,00.00			
(3)	106 अन्य पशुधन विकास 03 राज्य पशुधन एवं कृषि संबन्धी प्रक्षेत्र मूल	7,05.62	6,89.93	5,80.88	(-)1,09.05
	पुनर्वि०	(-)15.69			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2020 को ₹ 15.69 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण किये गए				
(4)	107 चारा और चारागाह विकास 03 चारा बैंकों (भण्डारण / वितरण गृह) की स्थापना (राज्य सैक्टर) मूल	1,50.00	1,50.00	1,31.79	(-)18.21

2404 डेरी विकास

00

(5)	102 डेयरी विकास परियोजनाएं 04 महिला डेरी विकास योजना मूल	5,00.00	5,00.00	3,51.86	(-)1,48.14
-----	--	---------	---------	---------	------------

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	11 दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन मूल	18,00.00		
			23,00.00	18,00.00
	पूरक	5,00.00		(-)5,00.00
(7)	15 साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना मूल	3,00.00	3,00.00	48.03
				(-)2,51.97
(8)	16 पशुचारा परिवहन अनुदान योजना मूल	5,00.00	5,00.00	89.43
				(-)4,10.57
(9)	98 नाबार्ड मूल	4,00.00	4,00.00	2,84.43
				(-)1,15.57

2405 मछली पालन

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	30.00	30.00	3.19	(-)26.81
(11)	03 अधिष्ठान मूल	11,04.51			
	पूरक	12.50	9,88.15	9,82.98	(-)5.17
	पुनर्वि०	(-)1,28.86			
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 1,28.86 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, अन्य भत्ते तथा व्यावसायिक एवं विशेष सुविधाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए ।				
	101 अन्तर्देशीय मछली पालन				
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) मूल	9,82.10			
			10,08.30	4,34.02	(-)5,74.28
	पूरक	26.20			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2403 पशु पालन

00

102 पशु तथा भैंस विकास

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	14.96	14.96	0.00	(-)14.96
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

106 अन्य पशुधन विकास

(2) 06 पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव की योजना

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

(3) 98 नाबार्ड पोषित

मूल	4,50.00			
-----	---------	--	--	--

	1,71.72	0.00	(-)1,71.72
--	---------	------	------------

पुनर्वि० (-)2,78.28

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2019 को ₹ 71.54 लाख, दिनांक 03 दिसंबर 2019 को ₹ 11.81 लाख, दिनांक 26 फरवरी 2020 को ₹ 0.81 लाख तथा दिनांक 29 फरवरी 2020 को ₹ 1,94.12 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए | वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2403 पशु पालन

00

101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य

(1) 09 पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना

मूल	2,12.97			
-----	---------	--	--	--

	2,28.66	2,63.41	(+)34.75
--	---------	---------	-----------

पुनर्वि० 15.69

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 मार्च 2020 को ₹ 15.69 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय			
(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,89.08		
		2,61.43	2,34.60
			(-)26.83

पुनर्वि० 72.35

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2019 को ₹ 71.54 लाख तथा दिनांक 26 फरवरी 2020 को ₹ 0.81 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा व्यय तथा अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम आधिय तथा क्रम संख्या (2) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 24,39.96 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 24,39.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 11,77.68 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	2,72.79	2,66.94	5.85	
2015-16	5,44.01	3,13.72	2,30.29	
2016-17	11,38.51	8,31.92	3,06.59	
2017-18	7,84.41	3,63.85	4,20.56	
2018-19	27,27.78	8,96.86	18,30.92	

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

- (1) 10 पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण

मूल	1,00.00	1,00.00	29.11	(-)70.89
-----	---------	---------	-------	----------

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	106 अन्य पशुधन विकास			
(2)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	5,00.00		
			11,77.68	7,52.50
	पूरक	6,77.68		(-),4,25.18
	4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	101 अन्तर्देशीय मछली पालन			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,79.00		
			10,79.00	2,62.15
	पूरक	3,00.00		(-),8,16.85
(4)	98 नाबार्ड			
	मूल	10,00.00	10,00.00	68.90
				(-),9,31.10
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।			
(xi)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	81.00	81.00	0.00
				(-),81.00
	4404 दुग्ध विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	102 डेरी विकास परियोजनायें			
(2)	04 डेरी विकास निदेशालय निर्माण कार्य			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				(-),1,00.00

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 03 मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण

मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

09 पशुपालन विभाग में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य

मूल	0.00	2,00.00	2,10.07	(+)10.07
-----	------	---------	---------	-----------

पूरक 2,00.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2401 फसल कृषि कर्म

दत्तमत-

मूल	3,13,04,17			
		3,28,85,99	2,60,87,16	(-)67,98,83
पूरक	15,81,82			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

भारित-

मूल	1,72,55			
		1,72,55	1,06,02	(-)66,53
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 24,99 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	11,50,00			
		11,85,07	8,77,37	(-)3,07,70
पूरक	35,07			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 67,98.83 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 67,98.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 15,81.82 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	1,92,70.93	1,51,39.69	41,31.24
2015-16	2,18,98.32	1,57,53.13	61,45.19
2016-17	2,59,67.56	2,10,21.30	49,46.26
2017-18	2,71,10.74	2,15,63.47	55,47.27
2018-19	3,07,44.45	2,62,82.24	44,62.21

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	63,50.05	63,50.05	38,86.23	(-)24,63.82
(2)	07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास				
	मूल	16,08.21			
			16,23.79	14,51.45	(-)1,72.34
	पूरक	15.58			
(3)	10 मधु मक्खी पालन की योजना				
	मूल	54.86	54.86	33.88	(-)20.98
(4)	14 पुराने उद्यानों की घेरबाड़				
	मूल	1,00.00			
			2,00.00	99.69	(-)1,00.31
	पूरक	1,00.00			
(5)	26 सगन्ध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगन्ध पौधों के कलस्टर विकास				
	मूल	13,00.00			
			15,00.00	13,00.00	(-)2,00.00
	पूरक	2,00.00			

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6) 28 कृषि एवं उद्यान उत्पादों के समर्थन मूल्य कि स्थापना (माल्टा,पहाड़ी नीम्बू गलगल आदि)			
मूल	2,00.00		
		1,91.00	0.24
पुनर्वि०	(-9.00)		(-1,90.76)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2020 को ₹ 9.00 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण किये गए			
(7) 31 मिशन एप्पल योजना			
मूल	1,50.00	1,50.00	1,30.80
			(-19.20)
(8) 32 राजकीय / भेषज संघों की नर्सरियों के विकास एवं संवर्धन की योजना			
मूल	20.00	20.00	10.00
			(-10.00)
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषि कर्म

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1) 08 सघन पौध रोपण हेतु फल पौध सामग्री का आयात				
मूल	30.00	30.00	0.00	(-30.00)
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
(2) 17 भेषज विकास इकाई का ढांचागत विकास				
मूल	16.52	16.52	0.00	(-16.52)
(3) 21 मिर्च मसाला खेती की योजना हेतु राज्यांश				
मूल	20.00	20.00	0.00	(-20.00)
वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4) 23 एंटी हैल नेट की योजना (25 प्रतिशत राज्यांश)			
मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(5) 27 जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को अनुदान / औषधीय एवं सगन्ध पौधों के कलस्टर विकास			
मूल	1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00
(6) 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं			
मूल	12,00.00	12,00.00	0.00 (-)12,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(7) 98 नाबार्ड पोषित			
मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

**राजस्व:
भारित-**

- (vi) ₹ 66.53 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (vii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	(₹ लाख में)		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	60.24	60.23	0.01
2015-16	91.41	90.06	1.35
2016-17	77.97	76.71	1.26
2017-18	82.42	80.69	1.73
2018-19	1,05.98	1,05.35	0.63

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

(viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

03 औद्योगिक विकास

मूल	1,72.55	1,72.55	1,06.02	(-)66.53
-----	---------	---------	---------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(ix) ₹ 3,07.70 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(x) ₹ 3,07.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 35.07 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(xi) ₹ 3,69.93 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)।

(xii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1) 13 राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण

मूल	1,50.00	1,50.00	48.08	(-)1,01.92
-----	---------	---------	-------	------------

(2) 98 नाबार्ड

मूल	5,00.00	5,00.00	1,13.30	(-)3,86.70
-----	---------	---------	---------	------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1) 09 सचल दल केन्द्रों का निर्माण

मूल	0.00			
-----	------	--	--	--

		35.07	0.00	(-)35.07
--	--	-------	------	----------

पूरक	35.07			
------	-------	--	--	--

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(2)	97 बाह्य सहायतित परियोजना			
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

(xiv) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

04 रोग रहित आलू बीज/कीटनाशक औषधियों की लागत

मूल	0.00	0.00	7,15.99	(+)7,15.99
₹ 3,69.93 लाख की वसूली उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)				

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत निधि के प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किये गए (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं		
2205	कला तथा संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2215	जल आपूर्ति तथा सफाई		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना तथा प्रसार		
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2401	फसल कृषि कर्म		
2403	पशु पालन		
2404	डेरी विकास		
2405	मछली पालन		
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन		
2425	सहकारिता		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
2810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा		
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

दत्तमत-

मूल	10,98,05,37			
		12,09,53,24	8,29,57,32	(-)3,79,95,92
पूरक	1,11,47,87			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				85,12

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 4,79,79 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------------	------------	---------------	--

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय		
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय		
4406	वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
4801	बिजली परियोजना श्रोत पर पूँजीगत परिव्यय		
5054	सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय		
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय		
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

दत्तमत-

मूल	3,07,92,03			
		3,26,65,51	2,38,00,03	(-)88,65,48
पूरक	18,73,48			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				6,00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 3,79,95.92 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 85.12 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके ।
- ₹ 3,79,95.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 1,11,47.87 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2014-15	11,25,38.01	8,55,88.08	2,69,49.93
2015-16	12,70,86.46	7,80,47.80	4,90,38.66
2016-17	12,41,11.21	6,98,90.43	5,42,20.78
2017-18	10,06,20.97	7,61,08.62	2,45,12.35
2018-19	12,00,62.34	8,79,54.75	3,21,07.59

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	40,00.01	40,00.01	35,35.12	(-)4,64.89
-----	----------	----------	----------	------------

02 माध्यमिक शिक्षा

106 पाठ्य पुस्तकें

(2) 02 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तक

मूल	8,00.00	8,00.00	5,19.18	(-)2,80.82
-----	---------	---------	---------	------------

03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	5,00.00	5,00.00	72.98	(-)4,27.02
-----	---------	---------	-------	------------

103 राजकीय कालेज तथा संस्थान

(4) 03 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण

मूल	30.00	30.00	16.79	(-)13.21
-----	-------	-------	-------	----------

2211 परिवार कल्याण

00

101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं

(5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	11,63.46	11,63.46	9,07.85	(-)2,55.61
-----	----------	----------	---------	------------

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	16,00.00	16,00.00
			32.52
			(-)15,67.48
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(7)	07 एस. सी. पी / टी. एस. पी. नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान		
	मूल	80.80	80.80
			67.70
			(-)13.10
102 आर्थिक विकास			
(8)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना		
	मूल	12.60	12.60
			6.38
			(-)6.22
(9)	06 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1956 का क्रियान्वयन		
	मूल	1,00.00	
			2,50.00
			1,88.20
			(-)61.80
	पूरक	1,50.00	
(10)	07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता		
	मूल	18,00.00	18,00.00
			9,00.00
			(-)9,00.00
277 शिक्षा			
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	1,57,00.00	
			1,59,00.00
			49,95.05
			(-)1,09,04.95
	पूरक	2,00.00	
(12)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
	मूल	3,41.02	3,41.02
			2,70.13
			(-)70.89

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन		
	मूल	6,39.58	
	पूरक	7.36	6,36.57
	पुनर्वि०	(-10.37)	3,85.57
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 को ₹ 10.37 लाख की कमी भोजन व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
(14)	07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना		
	मूल	75.06	75.06
			46.81
			(-28.25)
(15)	12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास		
	मूल	3,61.03	
			3,68.01
			2,61.40
			(-1,06.61)
	पूरक	6.98	
(16)	16 कक्षा 01 से 10 तक के तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति		
	मूल	25,00.00	25,00.00
			8,23.55
			(-16,76.45)
(17)	18 अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना		
	मूल	1,75.62	
			1,92.22
			1,40.08
			(-52.14)
	पूरक	16.60	
(18)	19 पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालयों हेतु सहायता		
	मूल	1,65.00	1,65.00
			1,24.77
			(-40.23)
(19)	283 भवन		
	02 अटल आवास योजना		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			42.53
			(-4,57.47)
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
	02 रोजगार सेवाएं		
	101 रोजगार सेवायें		
(20)	02 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना		
	मूल	67.59	
	पूरक	4.26	60.25
	पुनर्वि०	(-11.60)	58.24
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 11.60 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन में हुई बचत के कारण किए गए		

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<i>03 प्रशिक्षण</i>			
(21)	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण		
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		
	मूल	2,39.01	
		1,66.64	56.63
	पुनर्वि०	(-72.37)	(-)1,10.01
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 72.37 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।		
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
<i>02 समाज कल्याण</i>			
(22)	102 बाल कल्याण		
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	55,10.74	
		58,95.32	32,69.77
	पूरक	3,84.58	(-)26,25.55
(23)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	9,30.24	9,30.24
			7,95.61
			(-)1,34.63
<i>03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</i>			
(24)	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना		
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	25,75.00	25,75.00
			13,46.80
			(-)12,28.20
(25)	102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना		
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	5,45.90	5,45.90
			3,68.80
			(-)1,77.10
<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>			
(26)	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	1,12,20.00	1,12,20.00
			98,94.10
			(-)13,25.90
(27)	03 किसान पेंशन योजना		
	मूल	7,00.00	7,00.00
			4,13.78
			(-)2,86.22

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2401 फसल कृषि कर्म			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(28)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 57,04.82		
		51,42.05	26,79.03 (-)24,63.02
	पुनर्वि० (-)5,62.77		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2020 को ₹ 80.00 लाख, दिनांक 29 जनवरी 2020 को ₹ 53.66 लाख तथा दिनांक 14 फरवरी 2020 को ₹ 4,44.44 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 फरवरी 2020 को ₹ 15.33 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
(29)	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें		
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 12,20.00		
		15,15.16	10,06.77 (-)5,08.39
	पूरक 2,95.16		
2403 पशु पालन			
00			
101 पशु चिकित्सा सेवार्ये तथा पशु स्वास्थ्य			
(30)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 3,56.09		
		3,46.09	2,32.57 (-)1,13.52
	पुनर्वि० (-)10.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 दिसंबर 2019 को ₹ 10.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
(31)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल 32.29	32.29	19.26 (-)13.03
(32)	102 पशु तथा भैंस विकास		
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 7.93	7.93	1.52 (-)6.41

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2404 डेरी विकास			
00			
102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(33)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	4,00.00	4,00.00
			3,23.10
			(-76.90)
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
01 वानिकी			
102 समाज तथा फार्म वानिकी			
(34)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	0.00	
			5,00.00
			30.60
			(-4,69.40)
	पूरक	5,00.00	
2425 सहकारिता			
00			
800 अन्य व्यय			
(35)	08 दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना		
	मूल	8,00.00	8,00.00
			3,67.14
			(-4,32.86)
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
003 प्रशिक्षण			
(36)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	67,68.00	
			77,75.33
			57,12.71
			(-20,62.62)
	पूरक	10,07.33	
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
00			
102 सामुदायिक विकास			
(37)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	16,00.01	16,00.01
			8,00.00
			(-8,00.01)

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

2810 नई और नवीकरणीय उर्जा

60 ऊर्जा के अन्य स्रोत

800 अन्य व्यय

(38)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	30.00	30.00	10.00 (-)20.00

3452 पर्यटन

80 सामान्य

104 संवर्धन तथा प्रचार

(39)	02 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना			
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,23.53 (-)76.47

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2203 तकनीकी शिक्षा

00

112 इंजीनियरिंग / तकनीकी कालेज तथा संस्थान

(1)	03 पन्त कॉलेज ऑफ टैक्नालोजी, पन्तनगर को सहायक अनुदान			
	मूल	1,49.25	1,49.25	0.00 (-)1,49.25
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

(2)	04 इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा को सहायक अनुदान			
	मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

06 लोक स्वास्थ्य

101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण

(3)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी			
	मूल	7,00.00	7,00.00	0.00 (-)7,00.00

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2217 शहरी विकास			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(4)	03 नगरों का समेकित विकास		
	मूल	1,00.00	1,00.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-1,00.00)
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5)	06 राज्य समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड (50 प्रतिशत के 0 पो 0)		
	मूल	20.00	20.00
		0.00	(-)20.00
102 आर्थिक विकास			
(6)	04 अनुसूचित जातियों हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना		
	मूल	40.00	40.00
		0.00	(-)40.00
(7)	05 शिल्पी ग्राम योजना		
	मूल	25.00	25.00
		0.00	(-)25.00
277 शिक्षा			
(8)	13 अनुसूचित जातियों की बालिकाओं के शिक्षा प्रोत्साहन हेतु कन्या धन योजना		
	मूल	10,00.00	10,00.00
		0.00	(-)10,00.00
(9)	20 अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण संचालित सेमिनार / कार्यशाला / सर्वेक्षण / शोध / प्रचार प्रसार		
	मूल	15.00	15.00
		0.00	(-)15.00
793 अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता			
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	1,60.00	1,60.00
		0.00	(-)1,60.00

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
2401 फसल कृषि कर्म			
	00		
	114 तिलहन विकास		
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 18.00		
		2.67	(-2.67)
	पुनर्वि० (-)15.33		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2020 को ₹ 15.33 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए		
2404 डेरी विकास			
	00		
	102 डेयरी विकास परियोजनाएं		
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 54.00	54.00	(-54.00)
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
	01 वानिकी		
	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण		
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 1,57.57	1,57.57	(-1,57.57)
2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम		
	800 अन्य व्यय		
(14)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 0.01		
		40,00.01	(-40,00.01)
	पूरक 40,00.00		
3452 पर्यटन			
	80 सामान्य		
	104 संवर्धन तथा प्रचार		
(15)	03 दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना		
	मूल 1,00.00	1,00.00	(-1,00.00)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 समाज कल्याण

101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

(1) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

मूल	16,47.00	16,47.00	16,84.65	(+37.65
-----	----------	----------	----------	---------

2401 फसल कृषि कर्म

00

109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	11,96.00			
-----	----------	--	--	--

	17,74.10	17,32.86	(-)41.24
--	----------	----------	----------

पुनर्वि० 5,78.10

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2020 को ₹ 80.00 लाख, दिनांक 29 जनवरी 2020 को ₹ 53.66 लाख तथा दिनांक 14 फरवरी 2020 को ₹ 4,44.44 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

2403 पशु पालन

00

113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय

(3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	20.00			
-----	-------	--	--	--

	30.00	29.94	(-)0.06
--	-------	-------	---------

पुनर्वि० 10.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 दिसंबर 2019 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (2) एवं (3) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

पूजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 88,65.48 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 6.00 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	

- (viii) ₹ 88,65.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 18,73.48 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	5,67,29.30	2,67,61.75	2,99,67.55
2015-16	3,12,68.66	1,77,91.75	1,34,76.91
2016-17	3,25,23.18	2,07,27.58	1,17,95.60
2017-18	3,06,23.93	2,44,35.21	61,88.72
2018-19	3,31,33.26	2,35,05.53	96,27.73

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

- (1) 02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनैन्ट प्लान
मूल 2,50.00 2,50.00 1,02.69 (-)1,47.31

203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

- (2) 02 चुडियाला (हरिद्वार) में महाविद्यालयों की स्थापना / भवन निर्माण
मूल 1,00.00 1,00.00 42.82 (-)57.18

04 कला और संस्कृति

800 अन्य व्यय

- (3) 03 कला और संस्कृति का संवर्द्धन
मूल 20.00 14.00 5.80 (-)8.20

पुनर्वि० (-)6.00

दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 6.00 लाख के अभ्यर्पण वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए ।

4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल आपूर्ति

101 शहरी जल आपूर्ति

- (4) 05 नगरीय पेय जल
मूल 1,50.00 1,50.00 43.50 (-)1,06.50

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>01 अनुसूचित जातियों का कल्याण</i>			
277 शिक्षा			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	10,00.00	
		9,98.76	1.25 (-)9,97.51
	पुनर्वि०	(-1.24	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2020 को ₹ 1.24 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए ।		
4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>01 वानिकी</i>			
101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(6)	04 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण		
	मूल	1,50.00	58.79 (-)91.21
		1,50.00	
4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
102 सामुदायिक विकास			
(7)	02 अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	23,00.00	18,13.60 (-)4,86.40
		23,00.00	
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>04 नलकूपों का निर्माण</i>			
800 अन्य व्यय			
(8)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	1,00.00	36.81 (-)63.19
		1,00.00	
<i>06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/ अन्य योजनाएं</i>			
800 अन्य व्यय			
(9)	02 अन्य रख-रखाव व्यय		
	मूल	1,50.00	1,28.49 (-)21.51
		1,50.00	

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
800 अन्य व्यय			
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	15,00.00	15,00.00
			1,44.48
			(-)13,55.52
(11)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान		
	मूल	3,10.00	3,10.00
			1,53.49
			(-)1,56.51
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(12)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			1,63.05
			(-)36.95
4801 बिजली परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय			
05 पारेषण एवं वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(13)	03 पिटकुल को आर.ई.सी. ऋण के सापेक्ष अंशपूजी		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			3,75.00
			(-)1,25.00
(14)	04 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन की परियोजनाओं हेतु अंशपूजी		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			2,50.00
			(-)2,50.00
5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय			
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(15)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान		
	मूल	58,20.00	58,20.00
			26,15.46
			(-)32,04.54
5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(16)	03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस अड्डों / बस डिपो के निर्माण		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			1,55.16
			(-)44.84

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

104 संवर्द्धन तथा प्रचार

(17)	04 पर्यटन विकास की नई योजनाएं (राज्य क्षेत्र)			
	मूल	50.00	50.00	21.63
				(-28.37)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

02 तकनीकी शिक्षा

104 बहुशिल्प

(1)	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थानों के (पुरुष / महिला) भवन निर्माण / सुदृढीकरण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

105 इंजीनियरिंग / तकनीकी कालेज तथा संस्थान

(2)	03 पंत कालेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी, पन्तनगर			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)

(3)	04 इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)

03 खेलकूद तथा युवा सेवा

102 खेलकूद स्टेडियम

(4)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-पश्चात्य चिकित्सा पद्धति

110 अस्पताल तथा औषधालय

(5)	04 अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)

वर्ष 2013-14 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	<i>02 मल-जल तथा सफाई</i>		
	105 स्वच्छता सेवाएँ		
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	30,00.01	
		12,69.41	0.00 (-)12,69.41
	पुनर्वि०	(-)17,30.60	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को ₹ 17,30.60 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	<i>01 अनुसूचित जातियों का कल्याण</i>		
	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश		
(7)	03 अनुसूचित जाति निगम को स्वरोजगार हेतु अंश पूंजी		
	मूल	30.00	30.00 0.00 (-)30.00
	277 शिक्षा		
(8)	05 अनुसूचित जाति के बालक / बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विद्यालय		
	मूल	2,00.00	2,00.00 0.00 (-)2,00.00
	वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(9)	06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन निर्माण		
	मूल	50.00	50.00 0.00 (-)50.00
4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
	<i>02 समाज कल्याण</i>		
	102 बाल कल्याण		
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	0.02	
		27.50	0.00 (-)27.50
	प्रक	27.48	

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

4801 बिजली परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय

05 पारेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(11) 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं

मूल	2,28.91	2,28.91	0.00	(-)2,28.91
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

00

800 अन्य व्यय

(12) 03 देहरादून चालक परीक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण

मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00
-----	-------	-------	------	----------

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

05 पारेषण एवं वितरण

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(13) 97 बाह्य सहायतित योजना

मूल	5,34.13	5,34.13	0.00	(-)5,34.13
-----	---------	---------	------	------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल आपूर्ति

102 ग्रामीण जल आपूर्ति

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	20,00.00
-----	----------

पूरक	18,46.00	55,76.60	55,76.60	0.00
------	----------	----------	----------	------

पुनर्वि०	17,30.60
----------	----------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को ₹ 17,30.60 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
02 मल-जल तथा सफाई			
106 मल निकासी सेवाएँ			
(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	0.00	0.00	12,69.40 (-)12,69.40
प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किये गए (सितम्बर 2020)।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	---------------	--

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं		
2205	कला तथा संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2215	जल आपूर्ति तथा सफाई		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना तथा प्रसार		
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2401	फसल कृषि कर्म		
2403	पशु पालन		
2404	डेरी विकास		
2405	मछली पालन		
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन		
2425	सहकारिता		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
2810	नई और नवीकरणीय ऊर्जा		
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

दत्तमत-

मूल	3,39,86,50		
		3,84,32,74	2,39,02,84 (-)1,45,29,90
पूरक	44,46,24		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)			1,03,50

अनुदान के राजस्व में ₹ 99,87 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------------	------------	---------------	--

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4225	अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय		
4406	वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
4801	बिजली परियोजना श्रोत पर पूँजीगत परिव्यय		
5054	सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय		
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय		
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

दत्तमत-

मूल	1,30,06,59			
		1,32,21,59	97,77,38	(-)34,44,21
पूरक	2,15,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2020)				...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,45,29.90 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,03.50 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- ₹ 1,45,29.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 44,46.24 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
------------------------	-------------------	----------------------	---

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2014-15	2,94,23.92	1,98,65.23	95,58.69
2015-16	3,12,91.70	1,95,06.70	1,17,85.00
2016-17	3,44,48.80	2,06,33.71	1,38,15.09
2017-18	3,15,42.40	2,25,08.42	90,33.98
2018-19	3,63,87.92	2,41,78.87	1,22,09.05

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	6,00.00	6,00.00	4,34.50	(-),1,65.50

02 माध्यमिक शिक्षा

106 पाठ्य पुस्तकें

(2)	02 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक				
	मूल	1,35.00	1,35.00	58.19	(-),76.81

109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	12,00.00			
	पूरक	2,00.00	14,00.00	11,59.87	(-),2,40.13

03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

103 सरकारी विद्यालय तथा संस्थान

(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	2,50.00	2,50.00	91.30	(-),1,58.70

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
2205 कला तथा संस्कृति			
00			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(5)	03 पारंपरिक वाद्य यंत्रों एवं वेशभूषा का क्रय		
	मूल 20.00		
		6.42	6.42
	पुनर्वि० (-)13.58		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 13.58 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए		
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 20,00.00	20,00.00	8,80.89
			(-)11,19.11
(7)	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना		
	मूल 1,83.11		
		2,53.11	1,81.83
	पूरक 70.00		(-)71.28
04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(8)	05 कालसी देहरादून में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना		
	मूल 25.57		
		33.56	28.56
	पूरक 7.99		(-)5.00
2211 परिवार कल्याण			
00			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 3,00.63		
		3,40.27	2,48.31
	पूरक 39.64		(-)91.96

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(10)	02 एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन		
	मूल 2,50.96		
		2,52.88	2,15.77 (-)37.11
	पूरक 1.92		
(11)	04 उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान		
	मूल 50.23		
		50.98	38.98 (-)12.00
	पूरक 0.75		
102 आर्थिक विकास			
(12)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 18,00.00	18,00.00	13,41.32 (-)4,58.68
(13)	02 एकीकृत जनजाति विकास योजना		
	मूल 66.84	66.84	32.10 (-)34.74
(14)	06 बुक्सा और राजी जनजाति का विकास		
	मूल 1,00.00	1,00.00	19.54 (-)80.46
277 शिक्षा			
(15)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 39,50.00		
		44,50.00	10,68.37 (-)33,81.63
	पूरक 5,00.00		
(16)	03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रखरखाव		
	मूल 1,98.35		
		1,99.51	1,50.93 (-)48.58
	पूरक 1.16		
(17)	04 अनु. जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्यति विद्यालयों का रखरखाव		
	मूल 28,30.01		
		28,35.81	21,39.81 (-)6,96.00
	पूरक 5.80		

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
(18)	05 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावित्त मूल 3,50.00	3,50.00	84.48 (-)2,65.52
(19)	06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल 5,58.09 पूरक 1.99	5,60.08	3,62.94 (-)1,97.14
(20)	07 सहायता प्राप्त पुस्तकालयों / छात्रावासों एवं प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान मूल 8,00.00 पूरक 1,00.00	9,00.00	3,28.14 (-)5,71.86
(21)	283 आवास 02 अटल आवास योजना मूल 3,00.00	3,00.00	24.77 (-)2,75.23
(22)	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 9,00.00 पूरक 3,57.68	12,57.68	10,00.00 (-)2,57.68
(23)	800 अन्य व्यय 21 अनुसूचित जनजातियों की पुत्रियों के शादी हेतु सहायता मूल 5,00.00	5,00.00	3,83.00 (-)1,17.00
(24)	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास 02 रोजगार सेवाएं 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 03 शिक्षण / मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना मूल 98.27 पुनर्वि० (-)52.62	45.65	40.51 (-)5.14

दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 52.62 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
<i>03 प्रशिक्षण</i>			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(25) 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना			
मूल	2,18.50		
		1,88.39	90.76
			(-)97.63
पुनर्वि०	(-)30.11		
दिनांक 31 मार्च 2020 को ₹ 30.11 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
<i>02 समाज कल्याण</i>			
796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
(26) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	20,04.87		
		20,07.67	11,80.01
			(-)8,27.66
	2.80		
(27) 03 निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान			
मूल	8,60.00	8,60.00	5,39.14
			(-)3,20.86
(28) 10 किसान पेंशन योजना			
मूल	1,00.00	1,00.00	68.81
			(-)31.19
<i>03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</i>			
101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
(29) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	5,32.51	5,32.51	4,05.11
			(-)1,27.40
102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना			
(30) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,33.90	1,33.90	75.92
			(-)57.98

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
2401 फसल कृषि कर्म			
	00		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(31)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	10,49.97	
		7,42.09	4,04.94 (-)3,37.15
	पुनर्वि०	(-)3,07.88	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2020 को ₹ 80.00 लाख, दिनांक 29 जनवरी 2020 को ₹ 5.66 लाख तथा दिनांक 14 फरवरी 2020 को ₹ 2,22.22 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किये गए ।		
(32)	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें		
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	1,80.00	1,80.00 1,03.82 (-)76.18
(33)	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
	31 राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना		
	मूल	88.16	88.16 67.33 (-)20.83
2403 पशु पालन			
	00		
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
(34)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	71.88	
	पूरक	1,05.34	1,78.14 44.86 (-)1,33.28
	पुनर्वि०	0.92	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2020 को ₹ 0.92 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अंतिम बचत का प्राप्त होने प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है ।		
2406 वानिकी तथा वन्य जीवन			
	01 वानिकी		
	102 समाज तथा फार्म वानिकी		
(35)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	0.00	
		2,00.00	4.72 (-)1,95.28
	पूरक	2,00.00	

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(36)	04 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	55.80
				(-)44.20
	2425 सहकारिता			
	00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(37)	09 दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना			
	मूल	2,00.00	2,00.00	1,35.56
				(-)64.44
	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	003 प्रशिक्षण			
(38)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	11,54.00		
			19,57.19	14,94.01
				(-)4,63.18
	पूरक	8,03.19		
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(39)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	12,15.01		
			27,15.01	7,49.04
				(-)19,65.97
	पूरक	15,00.00		
	2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(40)	97 आईफेड बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	3,00.00	3,00.00	2,00.00
				(-)1,00.00
	2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
	00			
	103 हथकरघा उद्योग			
(41)	05 थारू, बोक्सा एवं अन्य जनजातियों की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना			
	मूल	50.00	50.00	19.80
				(-)30.20

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
--------------------	------------	------------------	--

3452 पर्यटन

80 सामान्य

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(42) 02 अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान

मूल	1,50.00	1,50.00	16.29	(-),33.71
-----	---------	---------	-------	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2203 तकनीकी शिक्षा

00

105 बहु शिल्प (पालीटेक्निकल)

(1) 03 सामान्य पोलिटेक्निक

मूल	35.00	35.00	0.00	(-),35.00
-----	-------	-------	------	-----------

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

06 लोक स्वास्थ्य

101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण

(2) 99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वस्थ्य कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी

मूल	2,52.60	2,52.60	0.00	(-),2,52.60
-----	---------	---------	------	-------------

2217 शहरी विकास

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता

(3) 03 नगरों का समेकित विकास

मूल	60.00	60.00	0.00	(-),60.00
-----	-------	-------	------	-----------

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

102 आर्थिक विकास

(4) 03 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना

मूल	10.00	10.00	0.00	(-),10.00
-----	-------	-------	------	-----------

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
(5)	04 शिल्पी ग्राम योजना मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(6)	05 अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये परियोजनाएं मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
277 शिक्षा				
(7)	08 गौर देवी कन्या धन योजना मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
(8)	10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों सिविल एवं एलाइड सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
(9)	11 बुक्सा जनजाति हेतु महाराजा जगत देव शिक्षा कोष मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				
(10)	12 थारू जनजाति हेतु चेतक शिक्षा प्रोत्साहन योजना मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)				

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुआ:

2401 फसल कृषि कर्म

00

109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 2,49.00

5,56.88

5,46.24

(-)10.64

पुनर्वि० 3,07.88

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2020 को ₹ 80.00 लाख, दिनांक 29 जनवरी 2020 को ₹ 5.66 लाख तथा दिनांक 14 फरवरी 2020 को ₹ 2,22.22 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | ₹ 10.64 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020) |

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------------	------------	---------------	--

पूँजीगत:
दत्तमत-

- (vii) ₹ 34,44.21 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 34,44.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2019 को प्राप्त ₹ 2,15.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2014-15	1,63,12.48	1,20,75.04	42,37.44	
2015-16	1,17,20.32	55,68.66	61,51.66	
2016-17	1,19,11.78	59,27.08	59,84.70	
2017-18	1,09,16.63	72,51.67	36,64.96	
2018-19	1,51,17.59	97,09.35	54,08.24	

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	6,00.01	6,00.01	3,05.09	(-),94.92
-----	---------	---------	---------	-----------

4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

01 जल आपूर्ति

102 ग्रामीण जल आपूर्ति

- (2) 02 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठान

मूल	1,00.00	1,00.00	36.90	(-),63.10
-----	---------	---------	-------	-----------

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
4225 अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>			
<i>277 शिक्षा</i>			
(3)	05 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण		
	मूल	1,50.00	1,50.00
			45.39
			(-)1,04.61
(4)	06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण		
	मूल	2,50.00	2,50.00
			2,19.47
			(-)30.53
(5)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधा		
	मूल	1,50.00	1,50.00
			39.31
			(-)1,10.69
<i>800 अन्य व्यय</i>			
(6)	03 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मौलिक सुविधाओं का विकास		
	मूल	4,00.00	4,00.00
			3,18.97
			(-)81.03
4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
<i>796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना</i>			
(7)	03 मेरा गाँव मेरी सड़क		
	मूल	1,50.00	1,50.00
			8.96
			(-)1,41.04
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>04 नलकूपों का निर्माण</i>			
<i>796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना</i>			
(8)	03 नलकूपों का निर्माण		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			21.81
			(-)78.19
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>00</i>			
<i>796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना</i>			
(9)	02 ट्राईबल विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आर्टीजन कूपों का निर्माण		
	मूल	50.00	50.00
			36.00
			(-)14.00

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
800 अन्य व्यय			
(10) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	7,00.00	7,00.00	46.51 (-)6,53.49
4801 बिजली परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>05 पारेषण एवं वितरण</i>			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(11) 04 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन की परियोजनाओं हेतु अंशपूंजी			
मूल	2,00.00	2,00.00	1,00.00 (-)1,00.00
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) 02 पिटकुल को आर.ई.सी. ऋण के सापेक्ष अंश पूंजी			
मूल	3,00.00	3,00.00	2,25.00 (-)75.00
5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>04 जिला तथा अन्य सड़कें</i>			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) 02 चालू निर्माण कार्य			
मूल	50,00.00	50,00.00	42,56.37 (-)7,43.63
(14) 03 सड़क/ भवन / पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण			
मूल	2,50.00	2,50.00	1,68.45 (-)81.55
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)।			
(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>02 तकनीकी शिक्षा</i>			
104 बहुशिल्प			
(1) 03 राजकीय बहुधन्धी संस्थानों के (पुरुष / महिला) भवन निर्माण / सुदृढीकरण			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
<i>03 खेलकूद तथा युवा सेवा</i>			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
(2)	04 प्रादेशिक विकास दल		
	मूल	50.00	50.00
		0.00	(-)50.00
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
<i>04 कला और संस्कृति</i>			
800	अन्य व्यय		
(3)	02 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जनमिलन केन्द्रों / सांस्कृतिक भवनों का निर्माण		
	मूल	70.00	70.00
		0.00	(-)70.00
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
(4)	03 नर्सिंग कालेज की स्थापना		
	मूल	20.00	20.00
		0.00	(-)20.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(5)	04 नर्सिंग स्कूल की स्थापना		
	मूल	50.00	50.00
		0.00	(-)50.00
	वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
<i>02 मल-जल तथा सफाई</i>			
105	स्वच्छता सेवाएँ		
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	8,00.00	
		1,64.21	0.00
	पुनर्वि०	(-)6,35.79	(-)164.21
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को ₹ 6,35.79 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण किये गए		

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
4225 अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
(7)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश		
	03 अनुसूचित जनजातियों हेतु स्वरोजगार अंशपूंजी (49 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)		
	मूल	51.00	51.00
			0.00
			(-)51.00
277 शिक्षा			
(8)	10 राजकीय आश्रम पद्यति बालक विद्यालय विन्सोड़ देहरादून का निर्माण		
	मूल	15.00	
			1.88
			0.00
			(-)1.88
	पुनर्वि०	(-)13.12	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2020 को ₹ 13.12 लाख की कमी वृहत निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किये गए ।		
4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(9)	02 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			0.00
			(-)2,00.00
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10)	05 गहरी बोरिंग हेतु अनुदान		
	मूल	30.00	30.00
			0.00
			(-)30.00
	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
4801 बिजली परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय			
05 पारेषण एवं वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(11)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं		
	मूल	36.14	36.14
			0.00
			(-)36.14
	वर्ष 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय			
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12)	01 नया निर्माण कार्य		
	मूल	30.00	30.00
			0.00
			(-)30.00
5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
00			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(13)	03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैंड के निर्माण हेतु अनुदान		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
800 अन्य व्यय			
(14)	03 चालक परीक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण		
	मूल	15.00	15.00
			0.00
			(-)15.00
5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80 सामान्य			
104 संवर्द्धन तथा प्रचार			
(15)	04 राज्य सैक्टर		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
05 पारेषण एवं वितरण			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16)	97 बाह्य सहायतित योजना		
	मूल	84.34	84.34
			0.00
			(-)84.34
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (सितम्बर 2020)			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------------	------------	---------------	--

(x) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01 जल आपूर्ति

102 ग्रामीण जल आपूर्ति

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 4,40.00

पूरक 2,15.00 12,90.79 12,90.79 0.00

पुनर्वि० 6,35.79

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 मार्च 2020 को ₹ 6,35.79 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान की आवश्यकता के लिये की गई।

02 मल-जल तथा सफाई

106 मल निकासी एवं सफाई

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 0.00 0.00 1,48.65 (+)1,48.65

प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किये गए (सितम्बर 2020)।

परिशिष्ट- I

(सन्दर्भ - विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ सं०-xii)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2019-2020 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अंत तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे :-

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(₹ हजार में)
1	05	2015- निर्वाचन	10,75
2	10	2055- पुलिस	2,93,93
3	11	2202- सामान्य शिक्षा	61,72
4	13	2217- शहरी विकास	43,34
5	15	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	30,00
6	16	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	9,99,99
7	17	6401 - फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज	10,00
8	22	3054 - सड़क और सेतु	1,27,88
9	24	3055- सड़क परिवहन	10,00,00
10	27	2406- वानिकी तथा वन्य जीवन	6
योग			25,77,67

परिशिष्ट- II

(सन्दर्भ: - पृष्ठ सं० - xiii तालिका)

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आंकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण ।

क्रम संख्या	अनुदान	बजट	प्राक्कलन	
			राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत
1	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
2	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	25,00,00
3	18-सहकारिता
4	25-खाद्य	23,01,50,00
5	29-औद्योगिक विकास	8,00,00
योग		23,34,50,00

वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
		अधिक (+) कम (-)	
राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत	राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत
...	11,00,00	...	(+)11,00,00
...	19,77,31	...	(-)5,22,69
...	2,04,53	...	(+)2,04,53
...	4,41,88,89	...	(-)18,59,61,11
...	3,69,93	...	(-)4,30,07
...	4,78,40,66	...	(-)18,56,09,34

परिशिष्ट -III

[संदर्भ: - टिप्पणी (xi), अनुदान-20]

उचंत लेन देन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2019-20	31 मार्च 2020 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
2701- मध्यम सिंचाई						
उचंत स्टॉक	(+)83,20.70	(+)83,20.70
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)7.88	(-)7.88
कार्यशाला उचंत	(+)4,36.51	(+)4,36.51
योग	(+)87,49.33	(+)87,49.33
2702-लघु सिंचाई						
उचंत स्टॉक
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
कार्यशाला उचंत
योग

परिशिष्ट -IV

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xi), अनुदान 20]

उचंत लेन देन - सिंचाई - पूंजीगत प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2019-20	31 मार्च 2020 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)2,68,61.41	(+)2,68,61.41
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)61,06.76	(+)61,06.76
योग	(+)3,29,68.17	(+)3,29,68.17
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(-)7.82	(-)7.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
योग	(-)7.82	(-)7.82
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)5,13.95	(+)5,13.95
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)13.66	(-)13.66
कार्यशाला उचंत
योग	(+)5,00.29	(+)5,00.29

परिशिष्ट -V

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xiii), अनुदान-22]

उचंत लेन देन - लोक निर्माण विभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2019-20	31 मार्च 2020 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+) 1,56,73.71	(+) 1,56,73.71
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,62,76.51	(+) 2,62,76.51
योग	(+) 4,19,50.22	(+) 4,19,50.22

© भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://agua.cag.gov.in>